(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 11] पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार,

10 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.प. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, सहकारिता, चिकित्सा, राजस्व, कृषि, जन स्वास्थ्य, पंचायत, समाज कल्याण, जन सम्पर्क एवं देवस्थान विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रामानन्द अग्रवाल।

पेन्शन में बढ़ोत्तरी

17. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शनों में एडहाक बढ़ोत्तरी की है और तीन बार पांच प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से महंगाई भत्ता भी दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अपने सेवा निवृत्त आई. ए. एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की पेन्शन में बढ़ोत्तरी कर दी है जो केन्द्रीय सरकार ने की है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने भी केन्द्र के समान पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) आई.ए. एस व आई.पी.एस. के अधिकारी केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन पेन्शन प्राप्त करते हैं।

(3) जी हां। पेन्शनरों के पेन्शन में वृद्धि का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह विचाराधीन कितने अर्से तक रहेगा? काफी समय हो गया है।

श्री चन्दनमल बैद: जब तक फैसला नहीं हो जाता।

Page No 2

(2)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह अस्पष्ट स्थिति कब तक बनी रहेगी। यह कितने दिन तक मामला विचाराधीन चलता रहेगा। अब तो आप की वित्तीय स्थिति भी सुधर गयी है। आप केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की मांग को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह मामला पेन्डिंग चला आ रहा है आखिर इसमें दिक्कत कौनसी स्टेज पर आ रही है। क्या कोई आर्थिक कठिनाई आ रही है या और कोई बात है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा था कि मामला विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर कब तक विचाराधीन रखेंगे ? कब तक आप फैसला करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक विचाराधीन चलता ही रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिरी फैसला नहीं होने में दिक्कत कहां है ? क्या आप के विभाग में कोई आर्थिक कमी की वजह से है या क्या बात है ?

श्री चन्दनमल बैद : दिक्कत यही है कि मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जेठमल

सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक

18. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को राजस्थान स्टेट को-आप-रेटिव बैंक के अन्तर्गत लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ले लिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस बैंक में अपने सदस्य समितियों को जो अल्पकालीन कर्ज दिया जाता है उसका भुगतान नहीं कर के अधिकतर खातों में ही जमा कर दिया जाता है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस किस समिति को वास्तव में कर्जा दिया गया और किस समिति का केवल जमा खर्च किया गया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जब से श्री ज्योति लाल मुनोयत इस बैंक मे मैनेजर हो कर आये हैं तब से ही बैंक घाटे में जा रही है तथा संचालक मण्डल के सदस्यों के यात्रा भत्तों में अधिकतर खर्च कर दिया जाता है ? यदि हां, तो गत चार वर्षों में किस किस सदस्य ने कितना कितना यात्रा भत्ता उठाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड को राजस्थान स्टेट को-आप-रेटिव बैंक के अन्तर्गत लिये जाने की सिफारिश दास कमेटी रिपोर्ट द्वारा की गयी है। यह विषय विभाग एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं, गत दो वर्षों में बैंक द्वारा समितियों को दिये गये कर्जे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं, संचालकों द्वारा गत चार वर्षों में जो यात्रा भत्ता उठाया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी है)

श्री जेठलम आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक ने दो जीपें खरीदी हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री जेठमल आर्य : क्या यह बात सही है कि सिरोही को-आपरेटिव बैंक ने जो दो जीपें खरीदी हैं उसमें से एक जीप बैंक के मैनेजर खुद अपने यूज में हर वक्त रखते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है और यह प्रश्न जो इस प्रश्न के बनते हैं उसमें भी नहीं आता है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं।

श्री जेठमल आर्य : अगर आप यह बता दें कि दो जीपें खरीदी हैं तो सप्लीमैन्ट्री कवर हो जायेगा। बैंक के मैनेजर जीप अपने ही यूज में लेते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। अगर बैंक ने दो जीपें खरीदी हैं तो वह बैंक के यूज के लिये खरीदी होंगी। बैंक के मैनेजर के पर्सनल यूज के लिये नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामगोपाल।

ग्राम असनावर में चिकित्सा सुविधा

19. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम पंचायत असनावर, तहसील छीपा-बड़ौद जिला कोटा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला) : आगामी वर्ष में आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्रसिंह।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

20. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि प्राप्त हुई ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त भूमि में कितनी कम्बर्ड व कितनी अनकम्बर्ड भूमि है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) क्षेत्रफल जिसको अधिग्रहण करने के आदेश दिये। 5,69,468 एकड़ जा चुके हैं।

(2) क्षेत्रफल जिसका वास्तविक-353779 एकड़ कब्जा लिया गया। जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस प्रकार की सूचना अलग से नहीं रखी जाती है और न मंगाई ही जाती

(श्री मूलचन्द मीणा)
है। इस प्रकार की सूचना सीलिंग कानून के अधीन निर्णीत प्रत्येक पत्रावली में दिये गये निर्णय के आधार पर तैयार करनी होगी जिसमें बहुत समय लगने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि 5,69,468 एकड जमीन अधिग्रहण करनी थी उसमें सिर्फ 3 लाख 53 हजार 779 एकड़ भूमि ही क्यों अधिग्रहीत की जा सकी बाकी दो लाख कुछ एकड़ अधिग्रहीत नहीं होने का क्या कारण है ? इसमें क्या बात है, क्या कोई स्थगन आदेश हुए हैं या बोर्ड से स्थगन आदेश हुए हैं या और कोई बात है ? यह क्या मामला है, कृपया यह बताने की कृपा करेंगे मन्त्री महोदय, और किन किन में स्टे हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है । बाकी जो भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकी है उसके लिये स्टे भी हो सकते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह कम्बर्ड क्या बला है।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी जमीनों के मामले में स्टे आर्डर नहीं आया हुआ है ऐसी बहुत कम भूमि है जिन पर कि स्टे आर्डर आये हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक उन जमीनों को अपने कब्जे में नहीं लिया है ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, हर जमीन के बारे में बताना कठिन है और यह असंग प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो डाइरेक्ट सवाल है। इससे तो सवाल का जवाब आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : सवाल तो कितने ही निकाले जा सकते हैं । नेक्स्ट ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह कम्बर्ड एरिया से क्या मतलब है।

एक माननीय सदस्य : यह कम्बर्ड नहीं है एन कम्बर्ड है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ओंकारलाल ।

ग्राम गंगधार की नल योजना

21. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) ग्राम गंगधार, जिला झालावाड में नल योजना स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक इसका कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

(2) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी नहीं। योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) वर्ष 75-76 से नई ग्रामीण जल-प्रदाय योजना जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृत की जाती है। इस वर्ष प्राप्त प्रस्तावों में ग्राम गंगधार सम्मिलित नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस आश्वासन की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि उन्होंने सन् 74-75 में दिया था कि यह योजना स्वीकृत हो गयी है और उसे इस वर्ष में ले लिया जायेगा। और उसके लिये ढाई प्रतिशत राशि भी जमा करायी गयी। पर आज तक कोई कार्य शुरू नहीं कराया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। हां अलबत्ता ऐसा आश्वासन शायद दिया हो कि योजना का सर्वे करा लिया गया है। जहां तक राशि के जमा कराने का सवाल है आपने जो राशि जमा करवायी है वह अच्छी जगह है।

एक माननीय सदस्य : वो अच्छी जगह कौनसी हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सरकार के खजाने से अच्छी जगह और कौनसी होती है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आया है तब वित्त मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना जिला आयोजना समिति की सिफारिशों से स्वीकृत होती है। तो मैं मंत्री महोदय को बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष जिला आयोजना समिति ने इसके लिये स्वीकृति दे दी है वह पत्र मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं पेश करदूं या सदन की मेज पर रख दूं।

एक माननीय सदस्य : सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी कुछ मजबूरी है इसमें सन् 75-76 में कितनी जगह राजस्थान में ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हुई उसमें कितनी जिला आयोजना समितियों की कितनों को स्वीकृति प्राप्त हुई है अगर उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं किया है तो उनसे स्वीकार कराने की क्षमता मेरे में नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर वहां से आती है तो आप उसको प्राथमिकता देना चाहेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अगर वित्तीय स्थिति ठीक हुई तो जिला आयोजना समिति की सिफारिश को स्वीकार किया जायेगा इसमें शक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस प्रेम पत्र का क्या होगा।

श्री चन्दनमल बैद : वह खानगी बात है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचौर तहसील की मण्डी समिति

22. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील की मण्डी समिति भीनमाल समिति से निकाल कर अलग करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्डी समिति की स्थापना अब तक नहीं की गई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
है ? अगर हां, तो अब स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

(3) सांचोर मण्डी का अलग यार्ड कब तक बना दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि जिला जालौर में अन्य स्थानों पर भी अलग से मण्डी समितियां स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ? अगर हां, तो कहां कहां पर और इनकी स्थापना कब तक कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि अब तक सांचोर तहसील मण्डी शुल्क की आय भी मण्डी समिति भीनमाल में ही जमा की गई है ? अगर हां, तो अब तक सांचौर तहसील से कुल कितनी आय हुई है ? उक्त आय सांचोर मण्डी समिति के विकास के लिये अलग से कब तक जमा करवा दी जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। सांचोर पंचायत समिति के क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल के क्षेत्र से अलग करने संबंधी घोषणा राजस्थान राज-पत्र दिनांक 26 फरवरी, 1976 को हो चुकी है।

(2) जी हां, मण्डी समिति स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार के पश्चात् ही समिति की स्थापना नियमानुसार शीघ्र ही कर दी जायेगी।

(3) मण्डी समिति की स्थापना हो जाने पर ही वह मण्डी यार्ड घोषित किया जा सकेगा। मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित मण्डी यार्ड की सीमा का राज-पत्र में प्रकाशित होते ही वहां पर मण्डी यार्ड स्थापित हो जायेगा और वहां नियमन कार्य लागू हो जायेगा। नये यार्ड के निर्माण की दिशा में मण्डी समिति सक्षम होने पर स्वयं कार्यवाही करेगी।

(4) जिला जालौर में जालौर के लिये अलग से मण्डी समिति की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। भीनमाल, सांचोर एवं जालौर के अतिरिक्त जिला जालौर में अन्य स्थानों पर मण्डी समिति बनाये जाने के प्रश्न पर औचित्य के आधार पर भविष्य में विचार किया जायेगा।

(5) सांचोर तहसील भीनमाल मण्डी समिति के क्षेत्र में होने के कारण वहां की मण्डी समिति में जमा होना स्वाभाविक था। सांचोर मण्डी समिति के विकास के लिये अलग से जमा कराने का कोई प्रश्न नहीं है। अलग मण्डी समिति स्थापित हो जाने पर मण्डी समिति सांचोर को पृथक् से आय होने लगेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों की वसूली होती है यह किस हिसाब से होती है। जब तक काश्तकारों को कोई फैसिलिटि नहीं देते हैं तब तक वसूली किस बेसिस पर करते हैं। रुपया तो इसीलिये लिया जाता है कि फेसिलिटि देवें। इसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मण्डी समिति के शुल्क के माध्यम से जो आमदनी होती है उस सारे क्षेत्र में साधनों की उपलब्धि के हिसाब से खर्च किया जाता है। अब प्राथमिकता के तौर पर मण्डी

(श्री शिवचरण माथुर)
डवलप करने का सवाल आता है, कितनी मण्डी समिति के साधन बने हैं और कितना कर्जा लेने की क्षमता हुई है। यह बात सम्भव नहीं हो सकती है कि जितनी जगह से पैसा आता है सब जगह काम किया जाता। अलग अलग खर्च करने की व्यवस्था जरूर है और इसीलिये अधिक क्षेत्र बढ़ाने की बात नहीं है। कोशिश यह कर रहे हैं कि हर एक पंचायत समिति के स्तर पर मंडी समिति स्थापित की जाय ताकि अधिक लोगों को फायदा हो सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भीनमाल का मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि सांचोर में और भीनमाल में कुल कितनी आमदनी हुई। किस क्षेत्र से कितनी इन्कम हुई, यह नहीं बता सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : किस क्षेत्र से कितनी इन्कम हुई, यह राज्य सरकार को मालूम नहीं है। जितनी गाड़ियां आती हैं उसके हिसाब से नहीं रहता है जो कुछ खर्च करना होता है वहां की मण्डी समिति खर्च करती है। भीनमाल में ही वसूली होती है सारे इलाके में तो वसूली नहीं होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ये हर गांव में, हर तहसील में, हर क्षेत्र में काट रहे हैं। केवल भीनमाल में ही वसूली हो रही हो, ऐसा नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : हर गांव में वसूली नहीं होती है। होल सैल ट्रेड के आधार पर होती है। वैसे भी स्थानीय मण्डी कमेटी आथोराइज्ड है किस किस एरिया को छोड़ने की और किस किस एरिया को लेने की। हर जगह वसूली नहीं होती है। जहां होल सैल ट्रेड होता है, वहीं वसूली होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो नीति है बिल्कुल डिफेक्टिव है। चार आने के बजाय एक रुपया कर दी है और हर जगह क्लर्क वगैरह भेज कर वसूली कर रहे हैं। काश्तकार को कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। एक रुपया तो वसूल कर रहे हैं लेकिन फैसिलिटी के नाम पर कोई चीज नहीं है। उसको सुविधा दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य की चिंता यह है कि सांचोर में ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे सांचोर की चिन्ता नहीं है। वहां तो अलग मण्डी समिति की स्थापना की जा रही है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर भीनमाल में जो वसूली होती है, उसके अनुसार काश्तकारों को अभी तक कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य, सांचोर को अलग करने की घोषणा गजट नोटिफिकेशन में हो चुकी है। नोटिफिकेशन द्वारा सांचोर मण्डी समिति को उससे निकाला जा रहा है। 40 दिन की कार्यवाही का नोटिस होता है उसके बाद अलग से सांचोर मण्डी समिति स्थापित कर दी जायगी। जितने साधन होंगे, काम तो उतना ही होगा। जो रुपया इकट्ठा होगा सांचोर में उसके बाद उसके किसी गांव का सवाल आ जाय तो यह नहीं हो सकता है कि जहां जहां से पैसा वसूल हो रहा है सब जगह काम नहीं किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने सांचोर को भीनमाल मण्डी समिति से अलग कर दिया और सांचोर की मण्डी समिति अभी घोषित नहीं की है तो इस इन्टरिम पीरियड में जो सांचोर में पैसा वसूल होगा, वह कौन करेगा, और किसके पास रहेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : अभी तो भीनमाल में होगा जब तक नियमन नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो इस सम्बन्ध में कारसपोन्डेन्स हुई है यह लिफाफे में बन्द करके मुझे क्यों भेज दिया है ? नोटिफिकेशन, मंत्री जी का आर्डर, नोटिंग वगैरह—सब विभाग वालों ने मुझे दे दिया है। इससे मुझे क्या करना है। ये सब कागजात विभाग वालों ने बन्द लिफाफे में मुझे भेज दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : सूचनार्थ दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नोटिंग वगैरह सब मेरे पास भेज दिये हैं, इसका क्या कारण ? मुझे इन कागजातों का क्या करना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 23

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

ग्राम पंचायत लालसोट की बकाया

24. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालसोट, जयपुर के मोटर स्टेण्ड के प्राइवेट बस मोटरों के (सवारी) मालिकों पर किराये के चालू वर्ष के अन्त तक 52,872.65 रु० बकाया हो जावेंगे ?

(2) क्या उक्त किराये की वसूली के लिये ग्राम पंचायत लालसोट अथवा राज्य सरकार ने समय समय पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब व क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार उक्त वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती है और पंचायत की धनराशि डूब जाती है तो उसके लिये व्यक्तिगत रूप से कौन जिम्मेदार है ?

पंचायत मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी): (1) जी हां।

(2) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यदि ग्राम पंचायत अपने करों की वसूली समय पर नहीं कर पाती है तो वह तो स्वयं ही जिम्मेवार है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 पर देखिये)

श्री मीठालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धनराशि सरकार की बाकी है और आपने खुद ने माना है कि 52 हजार 872 रुपये की बकाया है। यह कोई पर्सनल बकाया तो है नहीं बल्कि सरकार की है और इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं गत तीन साल से मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं और माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं 73 में और बाद में बताया गया कि ग्राम पंचायत कार्यवाही कर रही है और ग्राम पंचायत

(श्री मीठालाल मीणा)
से पत्र व्यवहार हुआ है, कलेक्टर को भी लिख दिया है– प्रादेशिक परिवहन विभाग को लिख दिया गया है और जो एस. डी. ओ. है उसकी रिपोर्ट है कि हमने कोशिश की है पैसा नहीं दे रहे हैं और ग्राम पंचायत को भी नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के तो लम्बे हाथ होते हैं वह एक मिनिट में वसूल कर सकती है इनकी बसों को चलने से रोक दें और यह आर्डर निकाल दें कि जब तक बकाया राशि नहीं अदा होगी बसें नहीं चलेंगी। मेरी समझ में नहीं आता है, क्या कारण है? क्या आपके मिलने वालों की बस है? यह 65 का बकाया है और 65 से आज तक आपने एक नया पैसा वसूल नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण है?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे तो मिलने वाले हैं नहीं। लालसोट, के ही है इसलिये आपके ही मिलने वाले हो सकते हैं। मेरा तो उनसे कोई लेन-देन नहीं है। राज्य सरकार इसके बीच में नहीं आती है, ग्राम पंचायत ही इस टैक्स की वसूली की कार्यवाही कर रही है। अब इसमें कितना टाईम लगेगा यह नहीं कह सकता हूं, इसकी जांच कर रहे हैं। जहां तक वसूली का प्रश्न है ग्राम पंचायत को ही वसूली करनी पड़ेगी।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बस मालिकों को प्रोत्साहन देते हैं। आप यदि वसूली करना चाहें तो उनके परमिट कैन्सिल करके फौरन वसूल कर सकते हैं। 65 से आज तक पैसा नहीं दिया। कुछ रिकवरी नहीं की गई है। 53 हजार में से एक पैसा नहीं मिला। आपका कोई उत्तरदायित्व है नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : यह ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राम पंचायत एक्ट के तहत पंचायतों के ऐरियर्स वसूल करने के नियम पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत सरकार की मशीनरी द्वारा होने का प्रावधान है, यदि हां, तो सरकार की ओर से इस प्रकार के टैक्स की रिकवरी की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो प्रश्न उठाया बहुत महत्वपूर्ण है। कल जानकारी करवाई है कि क्या ग्राम पंचायत के ड्यूज जिसमें करों की बकाया हो सकती है पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत पब्लिक डिमान्ड में यह आती है या नहीं आती है? एक कानूनी प्रश्न है और मैंने लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया है लेकिन अनुभव के आधार पर मालूम है कि ग्राम पंचायत के ऐरियर्स की कोई बकाया पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली योग्य नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि ग्राम पंचायत की टैक्स प्रणाली को इफेक्टिव बनाने के लिये कानून में कोई प्रावधान लाया जाय और कानून में अमेन्डमेंट करके इस प्रकार का प्रावधान किया जाय कि पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली हो सके वरना कोई स्वायत्त शासन संस्था अपने अधिकारों से इस प्रकार की वसूली नहीं कर सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : जहां तक मैंने आपसे निवेदन किया इस प्रश्न की

(श्री रामनारायण चौधरी)
मैं जांच करता हूं कि वर्तमान रूल्स के तहत यह ड्यूज पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी की तरह वसूल हो सकते हैं या नहीं। यदि नहीं हो सकते हैं तो फिर सरकार इस पर विचार करेगी कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के ड्यूज हैं उनको भी पब्लिक ड्यूज मान कर पी. डी. आर. के तहत वसूली किये जायं।

श्री दलपतसिंह (खारची) : पंचायतों को इस प्रकार की ड्यूज वसूली के लिए किस प्रकार की मदद दी है राज्य सरकार ने ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस सम्बन्ध में जो रूल्स बने हुए हैं उनके प्रावधानों को यदि माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पंचायत विभाग ने परिवहन विभाग को लिखा है कि बस मालिकों की गाड़ियों के चलने पर रुकावट लगा दे जब तक कि पंचायत के टैक्स की वसूली न हो जाय ? क्या परिवहन विभाग से आपकी ओर से सहयोग मांगा गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो जानकारी आयी है वह यह है कि ग्राम पंचायतों ने ट्रान्सपोर्ट विभाग को लिखा कि वसूली में उनको सहयोग दिया जाय।

श्री मीठालाल मीणा : पदाधिकारियों को लिखा और एस. पी. को भी लिखा। उन्होंने क्या कार्यवाही की ? वसूली नहीं होती है, सरकार सहयोग नहीं करती है। रोडवेज चलने वाली है वहां पर। प्राइवेट बसें कहीं चली जायेंगी। कई बसें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। गाड़ियों को बस मालिक बेच देंगे और वसूली नहीं होगी। ऐसी हालत में यातायात विभाग को लिख कर बसों को रुकवा दें और इस तरह से वसूली में सहयोग करना चाहते हैं या नहीं ? आपको क्या दिक्कत है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा मैंने निवेदन किया कि हम बसों को रुकवा सकते हैं यह अलग प्रश्न है। ग्राम पंचायतों को करों की वसूली के अधिकार पंचायत एक्ट के तहत बने हुए नियमों में बहुत स्पष्ट हैं कि करों की वसूली किस प्रकार करेगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। उनके प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली करेगी तो राज्य सरकार को क्या अधिकार है कानून के तहत जो सहयोग दिया जाना चाहिये वह दिया जावेगा। इसमें तीन प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि सन् 1966 से बकाया है। दूसरा प्रश्न यह है कि लिमिटेशन पीरियड तीन साल का है। पी. डी. आर. में आये तो इसकी अवधि पचास साल हो जाती है। नहीं आता है तो तीन साल इसकी अवधि रह जाती है। इसको डिपार्टमेंट से एक्जामिन करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत ने टैक्स लगाया वह ठीक प्रकार से विधि विधान के अनुसार लगाया होगा।

श्री मीठालाल मीणा : पंचायत के नोटिस हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जल्दी क्यों कर रहे हैं ? राज्य सरकार ग्राम पंचायत को क्या सहयोग दे सकती है इस प्रश्न की जांच करवा रहा हूं। विकास विभाग के डिप्टी डवलपमेंट कमिश्नर को इसके

(श्री रामनारायण चौधरी)
लिये लगाया है कि ग्राम पंचायतों के सारे प्रश्नों को लीगली एक्जामिन करवा लिया जाय। जब तक कि कानून स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने में असमर्थ हूं।

श्री मोहनराज (बाली): अभी भी है। पंचायत या पंचायत समितियों द्वारा टैक्स लगाये गये हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी यह बकाया राशि जिनका डिमाण्ड बना कर तहसीलों में भेजती है और उनकी वसूली पटवारियों के द्वारा होती नहीं है? जहां तक मेरी जानकारी में है अभी भी वसूली का तरीका राजस्व अधिकारियों के द्वारा बनाया हुआ है, वहां राजस्व अधिकारियों के द्वारा हो रही है। जैसा कह रहे हैं कि कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है तो फिर किस प्रावधान के अनुसार राजस्व अधिकारी वसूली कर रहे हैं? यह पंचायतों के एक्जिस्टेन्स का प्रश्न है। पंचायत सरकार का रूप है। उनके आर्थिक हितों की रक्षा और उनके करों की वसूली करने में सरकारी मशीनरी काम में नहीं लायी जा सकती है तो पंचायत और पंचायत समितियों की धनराशि के डूबने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जावेगा। इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायं।

श्री रामनारायण चौधरी: मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि ग्राम पंचायतों के ड्यूज में और सरकारी ड्यूज में कानूनी प्रावधान के अनुसार अन्तर है। मेरी यह मान्यता है कि ग्राम पंचायतों के ड्यूज को भी पब्लिक ड्यूज माना जाना चाहिए। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों या पटवारियों के द्वारा पंचायतों के ड्यूज की वसूली हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सब जगह हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी: इसको देख लेंगे कि पटवारियों के द्वारा वसूली हो रही है पंचायतों के ड्यूज की। वैसे ग्राम पंचायतों के ड्यूज पब्लिक ड्यूज की तरह ही वसूल हों और कानूनन मदद क्या दी जा सकती है राज्य सरकार की ओर से, दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री शंकरसिंह।

अनुसूचित जन जाति और मीणा जाति

25. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की मीणा जाति अनुसूचित जन जाति में शुमार है?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले की मीणा जाति अनुसूचित जन जाति में शुमार नहीं की जाती? यदि हां, तो इसके लिये अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला): (1) जी हां। अजमेर जिले की मीणा जाति के अलावा।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले की मीणा जाति को सारे राज्य

(श्रीमती कमला)

के लिये अनुसूचित जन जाति की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश भारत सरकार को की गयी थी।

श्री शंकरसिंह रावत : पहले अजमेर स्टेट सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन थी। राजस्थान में इसके मर्जर को 20 साल होने आये हैं क्या यह प्रश्न अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है? आज तक भी इस जाति को अलग माना जा रहा है और 20 साल तक जो भी लाभ इसको मिल सकता था उससे यह जाति वंचित रही है। क्या इसके लिये शीघ्र निर्णय नहीं हो सकता है? क्या इसके लिये कोई प्रयास किया गया है या प्रोविजन कर लिया गया है? आज तक ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : कब सिफारिश की भारत सरकार को यह बताने की कृपा करें?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : 66 में सिफारिश की थी जिसमें यह कहा गया था कि अजमेर की मीणा जाति को अनुसूचित जन जाति के रूप में सम्मिलित कर लिया जावे। यहां तक हुआ है कि सन् 67 के अन्दर 19 नम्बर का बिल था इस जाति को शिड्यूल में एड कर लिया। वह बिल लैप्स हो गया। उसकी फिर सिफारिश भेजी। अब वह सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : किस तारीख को फिर भेजी?

श्री मोहनलाल छंगाणी : फिर रिमाइन्डर भेजा। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास और स्टेट्स की सिफारिशें आ जावेंगी तो विचार करेंगे। उन्होंने जरूरी समझा कि बिल लाया जाय और शिड्यूल में इन्क्लूड किया जाय, तो करेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कितने रिमाइन्डर्स सन् 1966 के बाद राज्य सरकार की ओर से दिये गये पूर्ण रूप से मंत्री महोदय सदन के सामने रखें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फिर रिमाइन्डर भेजेंगे। बार बार रिमाइन्डर नहीं भेज सकते हैं। सारी स्टेट्स की ओर से जो जातियां शिड्यूल्ड में निकलने वाली होती हैं उनके लिये सिफारिशें जाती है, उन पर काफी तफसील में बहस की जाती हैं और जिस किसी को भी सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जंचे किसको निकालना है और किसको रखना है तब जाकर बिल होता है और उनमें इन्क्लूड होती है। अजमेर की मीणा जाति को इन्क्लूड करने के लिये फिर सिफारिश भेजेंगे। यह हमारा काम है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या होता है और क्या नहीं होता है यह हम जानते हैं। क्या राज्य सरकार ने चिन्तन किया है और रिमाइन्डर भेजा है? भेजा तो कब कब भेजा। मैंने तीन बार पूछा और आपने नहीं बताया। रिमाइन्डर नहीं भेजा है तो मंजूर करें कि नहीं भेजा हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बार बार रिमाइन्डर भेज देंगे। वैसे बार बार रिमाइन्डर से कोई मतलब नहीं है।

Page No 13

(13)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फीनमाल) : कागजों में तो भेज दिया। व्यक्तिगत प्रभाव काम में लाकर कि यह अन्याय हो रहा है इस जाति के साथ में उसको करवाना चाहिये।

श्री शंकरसिंह रावत : दस साल हो गये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास है व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दें कि इस और प्रयास किया जावेगा। इतने साल रहा तो राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है और अब कब तक करवा देगी ?

श्री बिरदाराम (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है कि आबू रोड में रेगर जाति है और एक जाति और है उसको शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में लिया है ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया और उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय रोजाना दिल्ली जाते रहते हैं इसलिए वह चिन्तन करके वहां से कराकर ले आयेंगे। अजमेर जिले की मीणा जाति के लिए बड़ा इनजस्टिस हो रहा है और खास तौर से जब कि इन्दिराजी का बीस सूत्री कार्यक्रम है। माननीय मंत्री महोदय इस बात का स्पेसिफिक जवाब दें कि वह अपने पर्सनल लेवल पर इसको कब करायेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो शिड्यूल बना हुआ है कि किन किन जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्क्लूड किया गया है। उसका फिर से विचार हो रहा है कि वह किस आधार पर होना चाहिये, आया इकानामिक बेसिस पर होना चाहिये या और बेसिस पर। आज कई जातियों के नक्शे बदल गये हैं। हम तो इसके लिए लगातार सिफारिश करते ही रहे हैं कि मीणा जाति को इसमें इन्क्लूड कर लिया जाये लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट में आना और नहीं आना यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकार की बात है। हमें इस दिशा में जितना भी प्रयास करना चाहिए वह हम करेंगे।

श्री शंकरसिंह रावत : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कहा है कि प्रयत्न करेंगे।

श्री जेठमल : अध्यक्ष महोदय, आबू में भी दो तीन जातियां हैं और वह भी इसमें इन्क्लूड होनी चाहिए ...

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आबू रोड के बारे में तो आप मुझे लिखिये मैं भी सिफारिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) एक माननीय सदस्य पूछ लें।

श्री शंकरसिंह रावत : मंत्री महोदय अपने पर्सनल लेवल पर इसको लें ...

Page No 14

(१४)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य पूछ लें। उसी बात को दुबारा पूछने से कोई मतलब नहीं है।

श्री शंकरसिंह रावत : वही बात नहीं पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की मीणा जाति के लिए सोचना चाहिये कि उसको लें या नहीं लें और अजमेर जिले के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए आपने क्या किया ? आपने कहा वह ठीक है। समय आयेगा तब सबको निकाल देंगे और इस सम्बन्ध में अजमेर के अलावा दूसरे जिलों को लाभ मिल रहा है। आप व्यक्तिगत प्रयास करके आश्वासन दें कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : He has already given the assurance to you.

नेक्स्ट ! श्री बनवारी लाल।

जनसम्पर्क विभाग का बजट

20. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) व श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जन सम्पर्क विभाग का गत तीन वर्षों का बजट क्या था और उसमें से किन किन कार्यों पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) उक्त अवधि में राज्य में तथा राज्य के बाहर कहां कहां प्रदर्शनियां लगाई गई और उनमें कितना खर्चा किया गया ?

(3) उक्त अवधि में विभाग ने राज्य के बाहर के किन किन पत्रों को कितनी कितनी राशि के विज्ञापन दिये तथा विज्ञापन देने का आधार क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला) : (1) जन सम्पर्क विभाग का गत तीन वर्षों में (1972–73, 1973–74, 1974–75) बजट और उसमें से प्रत्येक मद पर हुए व्यय का ब्योरा अनुसूची (अ) में दिये अनुसार है।

(2) उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों में राज्य में तथा राज्य के बाहर निदेशालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों तथा उसमें से प्रत्येक पर हुए व्यय का ब्योरा अनुसूची (ब) में दिये अनुसार है।

(3) गत तीन वर्षों में राज्य के बाहर के पत्रों को दिये गये विज्ञापनों की तीन सूची मय राशि के अनुसूची (स) में दी जा रही है। इन पत्रों को विभागों से प्राप्त टेण्डर नोटिस, नीलामी विज्ञप्तियां, पदों की भर्ती संबंधी विज्ञापन, नोटीफिकेशन तथा राज्य की प्रगति एवं गतिविधियों के प्रचार हेतु भी सजावटी विज्ञापन एवं परिशिष्ट सम्बन्धी विज्ञापन आदि दिये जाते हैं। पत्रों में विज्ञापन, विज्ञापन नियमों के अनुसार दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का करीब 39 लाख रुपये का बजट है जिसमें से 39 लाख रुपया तो सरकार एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च कर देती है और 6 लाख रुपया विज्ञापनों पर खर्च करती है और उसमें भी राजस्थान के बाहर के पत्रों

(श्री बनवारीलाल)

पर 3 लाख से ज्यादा खर्च होता है। तो राजस्थान को इसका क्या फायदा हुआ? नम्बर (1) और नम्बर (2) मेरा प्रश्न यह है कि जो बाहर के प्रदेशों के अखबारों पर इतना खर्च करते हैं उससे राजस्थान को क्या फायदा है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन नेशनल पेपर्स को राजस्थान सरकार की तरफ से विज्ञापन दिये जाते हैं यह विज्ञापन दो दृष्टि के होते हैं। एक तो यह है कि किन चीजों की आवश्यकता है वह टेण्डर नोटिस में उल्लिखित होती हैं उनका अथवा पदों के भरने के लिए जो क्वालीफिकेशन्स होती हैं उनके अनुसार और जो क्लासीफाई विज्ञापन दिये जाते हैं उनका आल इन्डिया लेवल से ताल्लुक होता है। इसलिए नेशनल पेपर्स में उनका विज्ञापन देना आवश्यक होता है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की देशभर के पैमाने पर इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए और राजस्थान के अन्दर पिछले सालों में कितना क्या पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कार्य हुआ, कितने एचीवमेन्ट्स हुए और विशेष तौर पर बीस सूत्री प्रोग्राम के संबंध में हमने क्या किया यह सब विज्ञापनों में होता है। दूसरे राज्यों को जिस प्रकार से हमें जानकारी इन बातों की होती है तो यह हमारा फर्ज होता है कि हम भी अपने यहां की जानकारी दूसरी स्टेट्स को दें इसलिए यह दो तरह के विज्ञापन हम देते हैं।

श्री बनवारी लाल : यह बीस सूत्री कार्यक्रम तो अब आया है लेकिन कई सालों से हम खर्च कर रहे हैं उससे क्या फायदा हुआ? उन अखबारों का कितना सरकुलेशन है और कितनी कापीज हमारे यहां राज्य में आती हैं उसका आपने कभी असेसमेन्ट किया?

श्रीमती कमला : वह पेपर्स वही हैं जिनका कि अच्छा स्तर है और अच्छा सरकुलेशन है और इसके अलावा ऐसे पेपर्स को नहीं दिया है जिनका कि सरकुलेशन नहीं है।

श्री बनवारी लाल : केरल और मद्रास से अखबार निकलते हैं उनका सरकुलेशन हमारे यहां कितना है?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सप्लीमेन्ट्री है। राज्य सरकार जितने पैसे एडवर्टाइजमेन्ट के लिए इन अखबारों को देती है उसका कितना प्रतिशत तो राज्य के अखबारों को दिया है और कितना बाहर के अखबारों को दिया है? जिनको आप नेशनल पेपर्स कहते हैं–सो काल्ड–कितना गत दो सालों में देना शुरू किया है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1972–73 में केवल विज्ञापन के मद में जो पैसा खर्च किया गया है वह 5,40,000 रुपया है, 1973–74 में 4,33,000 रुपया है, 1974–75 में 6,25,000 रुपया है और 1975–76 में 7,00,000 रुपया है। इसके अगेन्स्ट में बाहर के पत्रों को इन तमाम सालों में सालवार कितनी रकम दी गयी यह माननीय सदस्य के पास सूची में है।

श्री बनवारी लाल : उसका पर्सेन्टेज क्या है ?

श्रीमती कमला : वह ग्राप निकाल लें, मैंने नहीं निकाला है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 39 लाख के बजट में से 31 लाख रुपया तो एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च होता है और बाकी 8 लाख रुपयों में से भी 3 लाख से अधिक की राशि बाहर के पेपर्स पर खर्च की जाती है और राजस्थान के अन्दर 60 हजार रुपया प्रदर्शनियों में खर्च किया गया और दो, ढाई लाख रुपया विज्ञापन में खर्च किया गया। इसके अलावा न तो कोई विज्ञापन, न प्रदर्शनी और न कुछ। क्या इस प्रकार की गतिविधियों से आप सन्तुष्ट हैं और आप ठीक मानते हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नावली के प्रश्न (2) में मैंने जो सूची संख्या 2 दी है उसमें स्पष्ट तौर से उल्लिखित है कि राजस्थान में किन किन जिलों में और किन किन शहरों में कितनी कितनी प्रदर्शनियां लगाई गई। इसको आप देखेंगे तो यह काफी संख्या में लगाई गई हैं।

श्री फूलचन्द जैन : केवल 60 हजार रुपया 39 लाख के बजट में से प्रदर्शनियों में पूरे राजस्थान में चालू वर्ष में खर्च किया है और यह 60 हजार रुपया प्रदर्शनियों पर 20 जिलों में खर्च किया है--क्या आप सोच सकते हैं कि यह प्रदर्शनियां हैं या तमाशा है ?

श्रीमती कमला : 60 हजार नहीं है। आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। यह 96,598 रुपया है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : क्या यह सही है कि 39 लाख में से 3 लाख बाहर के अखबारों पर खर्च होता है ?

श्रीमती कमला : जो कुछ मैंने आपको यहां विवरण दिया वह बिलकुल सही है।

श्री फूलचन्द जैन : सही और गलत का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आप हमें इससे संतुष्ट कर सकती हैं या आप स्वयं संतुष्ट हैं।

श्रीमती कमला : मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। यह बात दूसरी है कि चन्द ऐसी पत्र पत्रिकायें है जिनका पूर्व में हमने छोटे छोटे अमाउण्ट दिये हैं विज्ञापन के तौर पर लेकिन पिछले साल डेढ़ साल से हमने यह निर्णय लिया हुआ है कि बजाय विज्ञापनों के हम जो विज्ञापन नेशनल पेपर्स को देंगे वे सिर्फ विज्ञापन ही नहीं होंगे, उस विज्ञापन के अगेन्स्ट में यहां के जो प्रोजेक्ट हैं, जो स्कीम्स हैं, जो हमारे अचिवमेंट्स हैं, कोरपोरेशन्स की, डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं, जो उन्होंने काम किया उन सबके बारे में विवरण होंगे, लेख होंगे, फीचर्स होंगे, न सिर्फ विज्ञापन होंगे मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं कि हमारे बहुत अच्छे अचिवमेंट्स हुए हैं और मैं निश्चित तौर से कह सकती हूं कि इस निर्णय के बाद में स्टेट के प्रोजेक्ट्स की इमेज नेशनल लेवल पर बनी है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्री विजयसिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा। यह अपना जो बीस सूत्री कार्यक्रम है इसके सिलसिले में गांवों के अन्दर आपका जन सम्पर्क विभाग क्या कार्य कर रहा है? क्या आपने इसके लिए अलग से बजट रखा है? कोई भी कार्यक्रम, प्रदर्शनी या ऐसी कोई योजना हाथ में ली जिससे गांवों के अन्दर प्रचार हो? गांवों के लोगों को मालूम पड़े जिन लोगों को फायदा मिलने वाला है उनको यह फायदा है, इस तरह के प्रचार के लिए यहां बजट में कोई प्रावधान रखा है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्वइन्टी पोइन्ट प्रोग्राम के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है और उनके प्रचार का सवाल है, जितने भी हमारे जन सम्पर्क कार्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट्स में उन तमाम जिलों के अन्दर जन सम्पर्क अधिकारियों ने छोटी-छोटी बुकलेट तैयार की हैं जिसमें बताया गया है कि हमारे जिले में किस किस पोइन्ट के सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां हुई हैं और वह सारी देहातों में वितरण की गई हैं। और छोटी-छोटी स्लाइड्स के जरिये से, गोष्ठियों के जरिये ये कुछ कार्यक्रम किये जा रहे हैं। अभी एक नया कार्यक्रम जो हाथ में लिया जाने वाला है कि जितनी भी बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियां हैं उनके चित्र और स्लाइड्स बना करके और उन स्लाइड्स के फोटो लेकर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जा रहे हैं जिससे राजस्थान भर की जानकारी तमाम जिलों में पहुंच जायेगी और हम लोगों का उसमें क्या योगदान है यह भी इसमें दर्शाया जाएगा।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में नहीं आया कि जो बुकलेट छपती हैं, आपने प्रकाशन के हैड में जो प्रोविजन किया है वह एक लाख चार हजार का है जिसमें से एस्टेब्लिशमेंट पर ही एक लाख रुपया चला जाएगा फिर किस प्रकार प्रकाशन कर रहे हैं, कहां से प्रकाशन कर रहे हैं, कितना प्रकाशन कर रहे हैं, कहां कहां पर कर रहे हैं, हमको जानकारी तो हो।

श्रीमती कमला : आप मत मानिये मैंने आपको बता दिया है।

श्री फूलचन्द जैन : जो आंकड़े दिये हैं उससे मेल नहीं खाता ...

श्रीमती कमला : मैं आपको तथ्य प्रस्तुत कर रही हूं, जबानी नहीं कह रही। मैंने माननीय सदस्यों को जानकारी दी है कि विभाग के द्वारा जो कुछ प्रकाशन हुए हैं समय समय पर हमने इन बुक लेट्स को और पब्लिकेशन्स को वहां पर दिये हैं और मैं मानती हूं कि यह प्रचार सारे डिपार्टमेंट्स का हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। हमारी एक ही तो मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : एक ही तो मंत्री हैं और उनको इस तरह से लपेटा जा रहा है।

Page No 18

(18)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि मुझे कसोटी पर कसा जाय और मैं खरी उतरूं। मैं दया की पात्र नहीं बनना चाहती हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : आपके साथ हमदर्दी हो तो क्यों एतराज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपूतली में पानी की टंकी का निर्माण

27. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली में पानी की टंकी कब बनाई गई तथा क्या उसका उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि टंकी का लीकेज काफी अर्से से ठीक नहीं होने के कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो मरम्मत में इतनी देरी के लिए कौन दोषी हैं ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) टंकी का कार्य दिनांक 7–10–74 को पूर्ण किया जा चुका है किन्तु ठेकेदार द्वारा लीकेज ठीक न करने के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जा सका है।

(2) टंकी का लीकेज काफी अर्से से ठीक नहीं किया गया है किन्तु इस बीच सीधे पम्प द्वारा प्रातः एवं सायंकाल डेढ़ डेढ़ घण्टा जल वितरण किया जा रहा है। बार बार नोटिस देने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा लीकेज ठीक करने की कार्यवाही नहीं की गई है जिसके लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि बराबर डेढ़ डेढ़ घण्टा पानी दिया जा रहा है यह सही नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस किसी अधिकारी ने उनको यह सूचना दी है वह गलत दी है। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि पिछले डेढ़ महीने से बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि ठेकेदार को क्या नोटिस दे रहे हैं, यह तो आपके विभाग और ठेकेदार के बीच की बात है लेकिन आम जनता को वाटर सप्लाई स्कीम संक्शन हो जाने के बावजूद और दो दो तीन तीन साल तक लीकेज चलता रहे और लालफीताशाही के कारण कार्यवाही चलती रहे लेकिन जनता को पानी नहीं मिले तो इससे जनता में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। इसलिए इस सम्बन्ध में सख्ती से कार्यवाही जल्दी से जल्दी करें यह मेरा निवेदन है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 7-10-74 को टंकी का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद जनवरी 75 में इसका टेस्टिंग किया गया तो पाया गया कि इसमें लीकेज है। तब से बराबर ठेकेदार को नोटिस दिए हैं लेकिन ठेकेदार ने इसकी परवाह नहीं की। अब डिपार्टमेंटली लीकेज ठीक कराया जा रहा है ठीक कराने के बाद उस टंकी के द्वारा पानी सप्लाई किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने, डेढ दो घण्टे पानी नहीं दिया जा रहा है यह बात कही है। मैं

(श्री चन्दनमल बैद)
समझता हूं कि यह सचमुच ही गंभीर है। मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं और जांच कराऊंगा और माननीय सदस्य की बात सही पाई गई तो जिस किसी अधिकारी ने मुझे यह गलत सूचना दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या ठेकेदार को उसकी रकम पूरी दे दी गई है?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं, उसका करीब 24 हजार रुपया बाकी है।

श्री अध्यक्ष : रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : प्रश्न सं. 28।

श्री चन्दनमल बैद : बीस हजार रुपये की रकम बाकी है।

सूर्य मंदिर की मरम्मत

28. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर जो बिजली गिरने से क्षति ग्रस्त हो गया था, की मरम्मत हेतु कब कब निवेदन किया गया और अभी तक इसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? अब इसकी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि यह एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है जिसे देखने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं? यदि हां, तो इसे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को कब तक सौंप दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) मन्दिर की गुम्बज पर 24-8-73 को बिजली गिरी थी। इसके दूसरे दिन से ही इसकी मरम्मत कराने के प्रयास शुरू कर दिए थे। जिलाधीश, झालावाड़ और आयुक्त देवस्थान द्वारा अनेक बार पत्र लिखकर पी. डब्ल्यू. डी. और पुरातत्व विभाग को मरम्मत का तखमीना बनाकर भेजने को कहा गया है। पी. डब्ल्यू. डी. ने अब तखमीना बनाकर देने में असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि मन्दिर पर जिस प्रकार की चित्रकारी, कलाकारी अंतराशी एवं गुम्बज की विशिष्ट बनावट का काम किया हुआ है उसके खर्चे का तखमीना कोई विशिष्ट कलाविज्ञ ही बता सकता है। अतः अब पुनः पुरातत्व विभाग से तखमीने भेजने का अनुरोध किया गया है। तखमीना प्राप्त होते ही मरम्मत का काम शुरू हो जाने की आशा है।

(2) जी हां। मामला विचाराधीन है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अफसोस की बात है ऐतिहासिक मंदिर की तीन साल के बाद भी मरम्मत नहीं हुई, पी. डब्ल्यू. डी. से एस्टीमेट मांगते हुए तो तीन साल हो गए और अब पुरातत्व विभाग को तीन साल और लग जायेंगे, तो ऐसी हालत में क्या यह सम्भव है कि जल्दी ही यहां मरम्मत हो जाएगी? और दूसरा यह कि पुरातत्व विभाग भारत सरकार को क्यों नहीं सौंपना चाहते?

श्री मूलचन्द मीणा : जहां तक पुरातत्व विभाग का सवाल है अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट

(श्री मूलचन्द मीणा)
ने मेरे ख्याल से सन् 75 में ही यह फैसला कर लिया था कि इसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाय और उनको बराबर कहा जाता है लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपने चार्ज में मंदिर को नहीं लिया है। जहां तक देवस्थान विभाग का सम्बन्ध है, देवस्थान विभाग की ओर से यह आत्मनिर्भर मंदिर है इसलिए इसकी एकदम आवश्यक मरम्मत जो थी थोड़ी बहुत वो करवा दी गई है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है। यह जो आपको सूचना दी गई है कि मरम्मत करवादी गई है यह गलत सूचना दी गई है। आप इसको पुरातत्व विभाग को क्यों नहीं सौंप देते। यह एक ऐतिहासिक चीज है जिसको देखने के लिए हजारों आदमी आते हैं हर महिने।

देवस्थान मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय ..

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हमारा भी प्रश्न हो जाय। फिर एक साथ जवाब दे दें।

ऐसा है कि राज्य सरकार ने तीन सालों में इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और कब कब आपने लिखा है और जब वहां पर पी. डब्ल्यू.डी. असमर्थ है तो आपने आगे क्या प्रयास किया है ? उसकी तारीखवाइज सूचना सदन में रखने की चेष्टा करें। इतनी वेल्यूएबल चीज है।

श्री करणसिंह (डीग): मेरा भी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जब यह इतना महत्वपूर्ण मंदिर है और आप जानते हैं कि वेल्यूएबल मानूमेंट है तो इसके ऊपर लाइटनिंग कण्डक्टर लगा देना चाहिए था। अगर लाइटनिंग कण्डक्टर लगा दिया जाता तो जो बिजली गिरी वह नहीं गिर सकती थी। जब आप यह मानते हैं कि वह महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मानूमेंट है तो उस पर यही प्रकाशन पहले क्यों नहीं लिया गया, इसकी जिम्मेदारी किस की है ?

श्री गौरी शंकर मुनीम (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय में कहूंगा। मंत्री महोदय ने फरमाया है कि मंदिर की मरम्मत करा दी गई है। मंदिर की मरम्मत नहीं कराई गई है और उस पर पुताई करा दी है। उसका महत्वपूर्ण काम था वह पुताने से और खराब हो गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सूर्य मंदिर जो बड़ा रिमार्केबल मंदिर है आर्टीटेक्चर और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसलिए उत्तर देना ज्यादा उचित रहेगा।

प्रश्न यह नहीं है कि हमने कौन सी तारीख को किस को क्या लिखा है। तारीखें मेरे पास हैं, अगर आप तारीखें मांगेंगे तो समय लगेगा। करीबन जनवरी 74 से लेकर के सितम्बर 75 तक रिमाइण्डर पी.डब्ल्यू. डी. को दिए हैं और उन्होंने बाद में अभी यह उत्तर दिया है अक्टूबर 75 में कि यह काम बड़ा दूसरी तरह का है। इसमें जैसा कि अभी उत्तर दिया गया है चित्रकारी, कलाकारी, संगतराशी के हिसाब से हम इसका एस्टीमेट नहीं बना सकते। अब डायरेक्टर पुरातत्व विभाग को लिखा गया है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि वह इसके तख्मीनें बना कर दें। प्रश्न यहां पर यह नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता ने कहा है कि यह मंदिर आर्कोलाजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया को सुपुर्द कर दिया जाय। यह प्रश्न यहां से अभी तक गायब है। मैं इस प्रकार के कदम उठा रहा हूं कि अगले दो दिनों में एक मीटिंग बुलाई जावे जिसमें यहां के जो डायरेक्टर हैं पुरातत्व विभाग के और एजूकेशन डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ग्रौर कमिश्नर देवस्थान हैं सब मिल कर इसको भारत सरकार को सुपुर्द करने के बारे में विचार करें। यह हिस्टोरिकल मानूमेंट है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये ग्रौर यह काम गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया करे। इस प्रकार की व्यवस्था करने हेतु मैं आदेश दे रहा हूं, जब सोलूशन निकलेगा तो मरम्मत ग्रौर टेक्निकल मामलों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह सही बात है कि यह इम्पोर्टेन्ट मंदिर है ग्रौर नेशनल, हिस्टोरिकल इम्पोरटेंस् का मंदिर है। इसलिए गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय राजस्व विभाग ने 1974 को 12 मार्च को ले लिया था लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए मैं कल ही मीटिंग बुला रहा हूं ग्रौर कमिश्नर एजूकेशन को भी कह रहा हूं कि वह मीटिंग को अटेंड करें ग्रौर इस सम्बन्ध में कोई न कोई फैसला निश्चित तौर पर, इस स्टेज पर हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

कोटडी गांव की सहकारी समिति

29. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में रेलमगरा तहसील के कोटडी गांव में कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो इस समिति का क्या नाम है ? ग्रौर यह कब से काम कर रही है तथा समिति के चेयरमैन कौन है ?

(2) क्या यह सही है कि ऋण दात्री सहकारी समिति का पदाधिकारी कोई भी मनीलेण्डर नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या कोटडी ऋणदात्री सहकारी समिति का चेयरमैन मनीलेण्डर है या नहीं ?

सहकारिता मंत्री, (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। उदयपुर जिले में रेलमगरा तहसील के कोटडी गांव में केवल एक सहकारी समिति है एवं जिसका नाम कोडडी वृहत ऋणदात्री सहकारी समिति लि. है। वह सहकारी समिति दिनांक 31-1-56 से कार्य कर रही है एवं इसके अध्यक्ष श्री नारजी हैं।

(2) यह सही है कि ऋणदात्री सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी मनीलेंडर नहीं हो सकता है। विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोटडी वृहत् कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति के चेयरमैन मनीलेण्डर हैं।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के पैरा 2 का जो उत्तर दिया है, वह मेरी जानकारी के अनुसार

Page No 22

(22)

(श्री नानालाल)

बिल्कुल गलत है। क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि किसी अधिकारी ने उनको गलत सूचना दी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास यह सूचना आयी है कि उनके पास मनीलेण्डिंग का कोई लाइसेन्स नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि वे मनी लेण्डिंग का काम करते हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और उनको इस पद से हटा दिया जायेगा, यदि शिकायत सही पायी गयी।

श्री नानालाल : ये मनी लेण्डिंग का काम आज भी बराबर कर रहे हैं। दो साल पहले ही इन्होंने यह काम बन्द किया है और लाइसेन्स खत्म कराया है। सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं और इस प्रकार से गलत कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : गांव में मनी लेण्डिंग का कार्य ये दो साल से नहीं कर रहे हैं। और आप यह कह रहे हैं वे इसके पहले यह कार्य करते रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि यह व्यक्ति पिछले चार साल से इस सहकारी समिति का सदस्य है। अगर दो साल पहले भी ये मनी लेण्डिंग का कार्य करते थे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उनको इस पद से हटा दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 30

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह।

श्री मेवाड़ शुगर मिल्स लि. भूपालसागर की भूमि

31. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी मेवाड शुगर मिल्स लिमिटेड भूपालसागर जिला चित्तौड़ को कब कब कितनी भूमि राज्य सरकार द्वारा किन किन शर्तों पर दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कम्पनी के पास उदयपुर जिले में भी भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के समय से ही जयसमंद के आसपास जमीन थी?

(3) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा दी गई भूमि के बाद में राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का योग सन् 1959 में कितना था?

(4) क्या यह सही है कि 1959 के बाद उक्त भूमि कम्पनी के मालिकों ने सीलिंग से बचने के लिए अपने अपने अलग नामों पर दर्ज करवा ली?

(5) क्या यह भी सही है कि कम्पनी के मालिकों ने इसमें से काफी भूमि छोटे छोटे किसानों को बेच दी है और लाखों रुपया कमाया है? जबकि उक्त भूमि इन्हें किन्हीं शर्तों पर दी गई थी और जिसे उन्हें वे बेचने का अधिकार नहीं था?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्री रामसिंह।

कृषि पैदावार और बाजार भाव

32. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1975 को जुलाई के अन्त में राजस्थान को प्रत्येक जिले की प्रमुख अनाज मण्डियों में कृषि उत्पादन अनाजों, तिलहन व दालों के बाजार भाव क्या-क्या थे एवं वर्ष 1976 की फरवरी की आखिरी तारीख में इन उत्पादनों के बाजार भाव प्रत्येक जिले की प्रमुख मण्डियों में क्या-क्या थे ? तथा कितना-कितना स्टॉक तारीख 31-7-75 व तारीख 29-2-76 को इन उत्पादनों का इन मण्डियों में सरकारी गोदामों के अलावा था ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि पैदावार के वर्तमान बाजार भाव वर्तमान उत्पादन खर्च से कम हैं ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में कुओं से सिंचित करने वाले काश्तकारों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या उपाय सोच रही है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राजस्थान के प्रत्येक जिले की प्रमुख मण्डियों में जुलाई 1975 एवं फरवरी 1976 के अन्त में अनाजों, तिलहनों व दालों के बाजार भावों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। अनाज की गिरती हुई कीमतों के कुप्रभाव से किसानों को बचाने के लिये राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सपोर्ट प्राइज पर मंडियों में आने वाले गेहूं को खरीदने की कार्यवाही कर रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : भाव बहुत ही डाउन हो गये हैं। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। भाव मिनीमम रेट से भी नीचे हो गये हैं। इसके बारे में आप क्या कार्यवाही शीघ्र ही कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह कुडी : यह जो भाव गिरे हैं उसमें तिगुना, चौगुना फर्क है आपने जो सूची दी है उसमें भी यह भाव 80/- रुपये तक आ गये हैं। ज्यादा से ज्यादा पहले जो भाव था वह 250/- रुपये का था। तो क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विशेष कार्यवाही करनी चाहिये ?

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या सरकार यह महसूस करती है कि आने वाली फसल पर गेहूं के भाव को और नहीं गिरने दिया जायेगा। आज भी जो भाव गिर रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : कृषि उत्पादनों के जिस तरह से भाव गिर रहे हैं उससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार क्या समुचित कार्यवाही कर रही है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : जब भाव गिर रहे हैं तो सरकार सपोर्ट प्राइज पर अनाज क्यों नहीं खरीद रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, वह मेरी भी चिन्ता है। कृषि उत्पादनों की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके भाव गिर रहे हैं और इससे राज्य सरकार और भारत सरकार को भी चिन्ता है। इस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री महोदय से मिलने गया था और उन्हें यह निवेदन किया था कि इन जिलों के प्रमुखत: जौ, गंवार के भाव अप्रत्याशित ढंग से गिरे हैं। इसके लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है और हम यह आशा करते हैं कि राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सपोर्ट प्राइज पर आज भी खरीद कर रही है और आगे गेहू की भी करेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति तय हो जाने पर बड़े पैमाने पर खरीद की जावेगी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार खाद्यान्नों को, तमाम कृषि उपज की सपोर्ट प्राइज पर खरीद? करेगी राज्य सरकार लोगों को यह आश्वासन देगी तो भाव गिरने बंद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि गवर्नर एड्रेस में, बजट भाषण में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो पायी है और उससे यह जाहिर होता है कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। इसीलिये आज कृषि उपज के भाव बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने निवेदन किया है सपोर्ट प्राइज पर खरीद हो रही है। इसके लिए नीति का निर्णय करना केवल एक राज्य सरकार का काम नहीं है। यह सारे राज्यों के खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री मिल कर तय करते हैं। इस प्रकार की मीटिंग भारत सरकार हरेक फसल के पहले बुलाती है और उस में यह निर्णय करती है। रबी की फसल के पहले यह मीटिंग प्राय तौर पर मार्च माह के मध्य में या अन्तिम सप्ताह में बुलायी जाती है और बहुत शीघ्र ही दिल्ली में सारे देश के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री की बैठक बुलायी जाने वाली है जिससे आगे आने वाली रबी के सम्बन्ध में सरकारी नीति, क्या भाव हों, उन पर अन्तिम रूप से फैसला लिया जायेगा। जैसा पहले निवेदन किया है मैंने भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य मंत्री महोदय से इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार बडे पैमाने पर किसानों का माल निश्चित दर पर लेने की व्यवस्था करेगी। आज भी गेहूं की खरीद जारी है।

कई माननीय सदस्य : किस जगह पर खरीद हो रही है।

कहीं भी खरीद नहीं हो रही है?

कहीं एक क्विन्टल जौ भी खरीदा है?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कोटा बूंदी की बार्डर आपने सील कर दिया है जो कि प्रोहबिटेड डिस्ट्रिक्टस् हैं उनके माल को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। आज वहां पर चावल की क्या दुर्दशा हो रही है? दूसरी तरफ आप इरिगेशन की रेट बढ़ा रहे हैं। क्या आप काश्तकारों को मारना चाहते हैं? राज्य सरकार की यह क्या नीति है? जमीन की कीमत भी आपने दुगुनी कर दी है। आप बफर स्टाक क्यों नहीं क्रियेट करते

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
हैं ? आपके पास स्टोरेज का कोई प्राविजन नहीं है। काश्तकारों में भारी निराशा है। भारत सरकार कोई निर्णय ले उसके पहले ही राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपका बाकी है सवाल ?

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर, भीलवाड़ा जिले में·····

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय ने खरीफ की फसल के मौके पर भाव बान्धे थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले 5-6 मार्च को जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : 80 प्रतिशत जनता का सवाल है····

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले 5-6 मार्च को जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो क्या उस सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया या नहीं ?

हाजी श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा) : किसानों को बरबाद किया जा रहा है··

(अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो उसके लिए प्रोसीजर है वह एडाप्ट कर लें।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

हाजी श्री जान मोहम्मद : सब परेशान हैं···(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (मंत्रीजी से) जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री विजयसिंह : इस पर स्टेटमेंट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट इस तरह से होगा नहीं।

श्री मोहरसिंह : 80 प्रतिशत जनता पर असर पड़ता है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हर साल यह बात होती है कि दोनों फसलों के पहले भारत सरकार सब राज्य सरकारों से बुला कर तय करती है अपनी नीति पर जब तक नीति वहां पर तय न हो जाय तब तक निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया मेरी चिन्ता थी इसलिए मैंने जाकर इस बारे में बातचीत की और मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगली फसल पर बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिए भारत सरकार मदद करेगी राज्य सरकार की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।
Now no more.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट कर लेंगे?

श्री अध्यक्ष : But who refused it मना कौन करता है? कोई करता ही नहीं तो क्या करूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : दीजिये आप।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोलायत तहसील में भूमि का आवंटन

23. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोलायत तहसील में कुल कितने बंधे व उन्नाव हैं? तथा उन स्थानों पर सन् 1967 से अब तक किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि अस्थाई कृषि पट्टे पर दी गई है?

(2) जिन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित की गई, वे कहां के निवासी हैं तथा उनका मुख्य पेशा क्या है?

(3) क्या सरकार उक्त कतिपय अनियमित आवंटित कृषि भूमि को खारिज करके उसी क्षेत्र के अन्य भूमिहीनों को आवंटित करेगी?

(4) उपरोक्त बंधों व उन्नावों के अतिरिक्त गांव मोटावतान पिलाप खारी, चारनान, गजनेर, चांदी, चांदासर, तहसील कोलायत में सन् 1967 से अब तक जिन जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई उनका नाम, पिता का नाम, मुख्य पेशा, निवासी स्थान आदि बतलाने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्धारित मण्डी शुल्क

30. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्धारित मात्रा तक फुटकर व्यापार करने वालों तथा उन चीजों पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगता है, जिन्हें उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है? यदि हां, तो यह निर्धारित मात्रा क्या है?

(2) क्या यह सही है कि फुटकर व्यापार करने वालों और पटरी पर बैठ कर या फेरी वालों को कृषि उपज मंडी समितियों का लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है? यदि लाइसेंस लेना आवश्यक है तो उसकी दरें क्या हैं? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में फल सब्जी समिति अलग नहीं होकर राज्य सरकार के आश्वासन के अनुसार एक ही मंडी समिति के अन्तर्गत संचालित होती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि केवल जयपुर नगर में ही फल सब्जी समिति और कृषि

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
उपज समिति दो समितियां हैं जबकि सम्पूर्ण राजस्थान में और भारत के अन्य भागों में एक ही समिति द्वारा दोनों संचालित होती हैं ? यदि यह सही है तो जयपुर में इस अलग व्यवस्था को कब समाप्त किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, फुटकर बिक्री की मात्रा प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी उपविधियों में निर्धारित की जाती है।

(2) जी हां। मण्डी समिति द्वारा निर्धारित मात्रा से नीचे की फुटकर विक्रय पर मण्डी नियमन लागू नहीं हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में पृथक् से दोनों मण्डी समितियां अनाज एवम् फल सब्जी को बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

(4) जी हां। राजस्थान में जयपुर जितना बड़ा नगर और कोई नहीं हैं। अस्तु इसकी जनसंख्या तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहां दोनों मण्डी समितियों का होना आवश्यक समझा गया है व इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा, ने राजस्थान में राज्य सरकार के एक आदेश के बावजूद बीड़ी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित मंत्रीजी ने दो दिन पहले परसों अपना बजट पेश किया है वह सामान्य तौर पर एक अच्छा बजट कहा गया है, परन्तु इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता था, इट इज गुड, बट इट कुड हेव बीन बेटर। अब चूंकि यह बजट हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करने के पश्चात् और निश्चित प्रावधान के पश्चात् हमारे सदन में पेश किया गया है इसलिए मैं उसी रोशनी में आपके माध्यम से राज्य सरकार और सदन के सामने अपने विचार रखूंगा।

सामान्य तौर पर यह बजट थोड़ा घाटे का पेश किया गया है, परन्तु यदि हम कुछ वर्षों के पहले के आंकड़े देखें और आज के आंकड़े देखें तो ऐसा महसूस होता है कि बढ़ी हुई कीमतों में राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ गये, विकास के कार्यों की कीमतें बढ़ गई इसलिए उसके मुताबिक इतने बड़े घाटे का पेश होना अति आवश्यक है। 1972 से लेकर जनवरी 1975 तक भाव काफी बढ़े थे और जनवरी 1976 में भाव काफी गिर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

चुके हैं। गिरते हुए भावों को देखते हुए यह बजट 72–73 से 60 पर्सेन्ट ज्यादा होना आवश्यक था।

राजस्व में समग्र प्राप्तियां 397.12 करोड़ और समग्र व्यय 382.72 करोड़ रुपये, पूंजी लेखे में प्राप्तियां 96.46 करोड़ और समग्र व्यय 139.56 करोड़ का इसमें उल्लेख किया गया है, अर्थात् कुल प्राप्तियां कन्सोलिडेटेड इन्कम् 493.58 करोड़ और समग्र व्यय 521.28 करोड़ इसमें किया जा रहा है। कुल बजट में शुद्ध घाटा 27.70 करोड़ का है। वित्त मंत्रीजी ने बड़ी खूबी के साथ में विशेष साधन जुटा कर इस घाटे को पूरा करने का उल्लेख किया है, और बजट बनाने और भाषण बनाने के बीच में चन्द सुविधाओं के लिए अलग प्रावधान रखा है उसने बजट के घाटे को बढ़ा कर 27 करोड़ का कर दिया है।

जहां तक विकास योजनाओं का प्रश्न है तो इन योजनाओं के लिए 138.19 करोड़ का प्रावधान रखा है, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, प्लान आउट साइड दी प्लान एण्ड प्लान इटसेल्फ। यह बड़ी तारीफ की चीज है कि प्लान पर 138.19 करोड़ और आउट साइड दी प्लान पर 135 करोड़। तो प्लान से दुगुना आप विकास पर खर्च कर रहे हैं। इसका उल्लेख बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने किया है।

(12.09 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

135 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं और निगमों का खर्च होगा। केन्द्रीय संस्थाओं के जरिये 20 करोड़ 33 लाख रुपया खर्च होगा। मैं कहूंगा कि केवल विकास पर 274.52 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। मैं कहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

परन्तु जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 20–सूत्री कार्यक्रम की आकांक्षा को कहां तक यह बजट पूर्ति करता है, उसी रोशनी पर मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं 20–सूत्री कार्यक्रम को, उपाध्यक्ष महोदय, तीन मदों में विभाजित करता हूं। पहला मुद्दा यह है कि राज्य की आमदनी में तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए। यदि राज्य की आमदनी नहीं बढ़ती है तीव्र गति से तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो कि ढाई पर्सेन्ट प्रति वर्ष है और गरीब लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं वह नहीं हो सकता है। यदि तीव्र गति से उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं कर पायेंगे और प्रति व्यक्ति आय हमारी ज्यादा नहीं बढ़ पायेगी। भगवान की कृपा से इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और मौसम भी अच्छा रहा है और हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है 76 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इस तरह का उत्पादन कृषि क्षेत्र में हमारे लिए एक हर्ष की बात है। परन्तु इतनी तेजी से जो बढ़ाने का उल्लेख किया है जो आपके सामने यह विकास की योजनाओं पर जो 138.19 करोड़ रुपया खर्च होने की सम्भावना है तो इसमें से 50 पर्सेन्ट का खर्चा है वह खर्चा हो रहा है सिचाई और विद्युत् के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह अति आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
विशेष तौर से कृषि उत्पादन के लिए और सिंचाई के स्रोत ज्यादा से ज्यादा काम में लाये जायं, परन्तु हमें सोचना पड़ेगा कि जो अपनी दुर्लभ धनराशि का 72 पर्सेन्ट जिन पर लगा रहा है और जो इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं वह लोग हमारी कितनी मदद करेंगे और मदद करेंगे भी कि नहीं ? इससे आप यह न समझें कि मैं शहर से आ रहा हूं तो हमारे किसान भाइयों का विरोध कर रहा हूं, परन्तु जो कुछ हमने अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कुछ हमने विद्युत में इन्वेस्टमेंट किया है अपनी सिंचाई के पोटेन्शियल को बढ़ाने के लिए। मैं यह पा रहा हूं कि सिंचाई में जितने रुपये लगाये गये, 300 करोड़ 400 करोड़ रु. लगाये गये हैं उनका ब्याज तो मिले। जो सिंचाई होती है, उससे जो आमदनी होती है, उससे नहरों के रख रखाव के लिए ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इससे राजकोष में कुछ भी नहीं आयेगा। अगर राज्य का पैसा आता है तो सिंचाई को बढ़ाने के लिए होता है। उससे उत्पादन बढ़ता है। आबादी के अनुपात में इसकी आवश्यकता किसानों को होती है। अब 10 हजार गावों का विद्युतिकरण करने आप जा रहे हैं। राजस्थान राज्य के विद्युत मण्डल के आने वाले वर्ष में 12 करोड़ प्रति वर्ष में घाटा होगा। और जो लगी हुई पूंजी 300 करोड़ है, वह पूंजी ब्याज नहीं दे पायेगी। यह मैं ठीक कह रहा हूं। तो वह घाटा क्यों नहीं होगा। विद्युत बोर्ड वाले कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे का है। तो कर अगर लगाया जाये तो छोटे किसानों को फायदा दिया जायेगा। आपने हिम्मत से कर नहीं लगाये हैं। जिन लोगों को विकास से फायदा हुआ है, उन लोगों पर कर लगाया जाय। आपने आम आदमी पर कर लगाया है, उन लोगों पर कर लगाया जाये। आपने आम आदमी पर कर लगाया है। आने वाले समय में उनके बदले में ब्याज देते रहेंगे। मेन्टेनेन्स देते रहेंगे। उससे विकास नहीं हो पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि विकास के लिए 60% पैसा जिनके लिए लगा रहे हैं, उन पर कर लगाया जाये। सिंचाई पर आपने जो लगाया है वह कम है। छोटे किसानों को डीजल आयल से व्यय 300 रुपया आता है। अगर वह मेन इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं तो उन का 100 रुपया आता है। भाखरा और गंग कैनाल में 10 रु. आता है। 10 रु. सिंचाई का कुल आता है। यह आप अमीर किसानों के लिए कर रहे हैं। सब्सीडाइज आम किसानों को कर दीजिए। आपने एक करोड़ रुपया अगले साल के लिए रखा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। एक तरफ आप टैक्स ही टैक्स लगाते जा रहे हैं। जो कुछ आपने प्लान बनाया है, वह स्वागत योग्य है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विकास की दिशा को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए! मनुष्य जीवन के लिए 6 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सेवायें और शिक्षा। जहां तक भोजन और वस्त्र का प्रश्न है, वह किसी स्तर पर चला है। मगर पानी के बारे में मुझे उल्लेख करना पड़ेगा माननीय वित्त मन्त्रीजी के पास जन स्वास्थ्य विभाग भी है। आपने विभाग को संभालने के साथ राजस्थान के 32 हजार गावों में से ढाई तीन हजार गावों में पानी पहुंचाया, 9 करोड़ रुपया आपने दूसरे गावों को दिया है।

(30)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

इन गांवों में स्कीम मैण्टेन करने के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है। आपको सोचना पड़ेगा राज्य कोष से कितना पैसा लगाया गया है। बनाने के लिए पैसा हम दे रहे हैं। मैन्टेन करने के लिए पैसा राज्य कोष से दिया जावे। नतीजा यह होगा, राजस्थान का जो आम आदमी है, उसका क्या होगा। नतीजा यह होगा कि 50 साल दूसरे गांवों में पानी नहीं पहुंचेगा। इस स्टेज पर आप पहुंच गये कि मैन्टेन करते रहेंगे तो अन्य गांवों में नहीं पहुंचेगा। जिन गांवों में आप कर रहे हैं, उनमें मैन्टेन करने का खर्चा आप निकालें। अभी तो आप ब्याज भी राज्य कोष से और मैन्टेन करने का खर्चा भी राज्य कोष से देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी आवश्यकता आवास की है। कुछ मकान हाउसिंग बोर्ड बना कर देता है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज बनायेंगी। मैं राजस्थान के एक बड़े नगर से आ रहा हूं। न तो यह बजट भाषण में ही है और न 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरों में रहने वालों को मकान बना कर देने का प्रावधान है। कोई प्रावधान नहीं है। शहरों में कितनी बड़ी आवश्यकता है। हजारों अर्जियां हाउसिंग बोर्ड में पड़ी हैं। राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख है। 56 लाख शहरों में। इसके बारे में आपका भाषण साइलेण्ट है। शहर में रहने वालों की आवासीय समस्या के बारे में सरकार उदासीन है। बड़े शहरों में यह समस्या सुलझाना बहुत मुश्किल है। नगर परिषदों में अपना काम बन्द हो चुका है। आज जमीन की क्या स्थिति है। चौथे नम्बर पर शिक्षा होती है। मन्त्री महोदय ने आंकड़े दिये हैं। शिक्षा में 56.75···

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): 56.73····

श्री अमृतलाल गहलोत: चिकित्सा में 21.15 और जन स्वास्थ्य में 16.00 से बढ़ा कर जो आपने बताया है, यह भ्रामक है। मन्त्री महोदय बता चुके हैं।

श्री चन्दनमल बैद: आप किसी लम्बे आदमी को रिड्यूस करें····

श्री अमृतलाल गहलोत: मैं निवेदन कर रहा हूं। 72 के बाद में प्राइस इण्डेक्स बढ़ाया गया है। 75 प्रतिशत बढ़ाते तो कोई बात थी। आपने 55 प्रतिशत बढ़ाया है यह भ्रामक है। यह आपने पूरी तरह से काटा है। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वह शक्तिमान और भगवान के बराबर हैं। लेकिन यह जनता उनको माफ नहीं करेगी। नतीजा क्या हो रहा है कि मेरे इतने बड़े शहर में पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने पाठशालाओं का पुनर्वर्गीकरण किया और उस पुनर्वर्गीकरण में क्या किया कि एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नया नहीं खोला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और लोग पिछड़ते जा रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं एक कहानी है चार्ल्स डिकन्स की "It is not school, but it is a teaching shop" इस तरह की पढ़ाई हो रही है। आपने स्तर गिरा दिया है शिक्षा का। मुझे तो कहना पड़ेगा चाहे आप नाराज हो जायं। आपको स्कूलों को अनुदान देना चाहिए, साल साल से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है, यह एक प्रकार से शिक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

है। आपने जो यह वृद्धि बजट में 56.73 प्रतिशत की है यह मेरे विचार से 76 प्रतिशत होनी चाहिए थी। इस तरह से आप राजस्थान की जनता को ज्यादा अशिक्षित रखते जा रहे हैं। मेरी मान्यता है कि चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ा लें, उद्योग धन्धे लगा लें और कुछ भी काम कर लें, परन्तु जब तक राज्य शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक सही मायने में विकास नहीं होगा और शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। वैसे आप तो सर्वशक्तिमान भगवान हैं, आपको कौन क्या कह सकता है। इन दो चीजों के बारे में अब इस बजट भाषण में जिक्र आपने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूं तीसरी चीज पर। आज हम देख रहे हैं कि विषमता बहुत बढ़ गई है, टैक्स कहां कहां लगाये जाने चाहिए और कहां कहां पर इसकी गुंजाइश है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, लोग बाग मुझे कुछ और भी कहें लेकिन मेरी नजर भू-राजस्व पर पड़ती है। राज कमेटी के अनुसार उत्पादन का 1/6 हिस्सा भू-राजस्व में जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह भी है कि हमारे राज्य में कई भूपति ऐसे हैं जिनके हाथ में 90 प्रतिशत जमीन है। और अधिकतर भू-राजस्व का भार छोटे-छोटे किसानों पर पड़ता है हो सकता है जिस वक्त यह वर्तमान भू-राजस्व किया गया उस वक्त प्राइस लेवल क्या था और अब क्या है।

श्री रतीराम यादव : आसरेडी बढ़ गया सैटलमेन्ट में, आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मील लम्बी सड़क बनाने के लिए एक लाख का खर्च आता है, और हमको सही मायने में विकास करना है तो क्या वित्त मंत्री कोई जादू से पैसा पैदा कर देंगे, उनको कर लगाने चाहिए। चार्ल्स डिकन्स...

श्री परसराम मदेरणा : चार्ल्स डिकन्स की आप चर्चा कर रहे हैं। आप यह बताइये कि लेनिन ने क्या कहा था ?

श्री अमृतलाल गहलोत : लेनिन ने कहा था कि भू-पति ही नहीं रहेंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हर जगह तो लेनिन को कोट करते हैं आप।

श्री अमृतलाल गहलोत : लेनिन ने कहा था कि "Foodgrains is the currency of all currencies."

श्री परसराम मदेरणा : अब इण्डिया में वह लागू हो रहा है क्या ?

श्री अमृतलाल गहलोत : अब लेनिन का जमाना लद गया।

श्री परसराम मदेरणा : आप जो बात कह रहे हैं वह इण्डिया की हालत को देखते हुए और वित्त मन्त्रीजी ने जो बात कही है कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में गिरावट आई है उसको आप आज के हालात में एलोबोरेट कीजिये। You are a very intelligent man, you should come to a right conclusion.

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में बताया कि कृषि उत्पादन की कीमतों में गिरावट आई है। इधर किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सरकार कीमतों को गिरने से रोकने के लिये खरीद रही है और कोशिश कर रही है कि कीमतें गिरें नहीं। अभी तो उसके मूल्यों में पांच से 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है। लेकिन जो वस्तु किसान खरीदता है उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आई है। इससे तो रूरल इन्डेटेडनेस और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए फ्लोर प्राइस पर खरीदना शुरू होना चाहिए। आपने तो 105 रुपये तय कर दिया। इन वक्त खलिहानों में गेहूं और चना पहुंचने वाला है और मुख्य मन्त्रियों की बैठक दिल्ली में हो तब तक और भावों में कमी आ जावे। इसका कोई उल्लेख वित्त मन्त्रीजी के भाषण में नहीं है। होना चाहिए यह कि राज्य सरकार मूल्य निर्धारित कर दे और उसमें राज्य सरकार को भी बाध्य होना पड़े। 1971–72 में राजस्थान के भंडारों में भारतीय खाद्यान्न निगम ने भण्डार भरे परन्तु मार्च के महीने में राष्ट्रीयकरण किया गया तो भण्डार में दाना भी नहीं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भण्डारों की हालत है। मैं तो यह कहूंगा कि दस लाख टन का सुरक्षित भण्डार होना चाहिए जिससे कि किसानों को बरबादी से बचाया जा सके। राजस्व के जरिये भी और इरिगेशन के जरिये भी उसको भी हमें छोड़ना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बातों के बारे में मुझे यही कहना है कि यह बजट घाटे का है और साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ लोग और हैं जो भी बोलेंगे। हमारे राज्य में कालेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो हैं वह और राज्यों के मुकाबले में बहुत कम हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी की फीस देख लीजिये और यू. पी. की यूनिवर्सिटी की फीस देख लीजिये नतीजा यह हो रहा है कि जो अच्छे अध्यापक हैं वे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के ग्रेड्स नहीं दिये हैं इसलिये वे बाहर जा रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है किन्तु पड़ोस के राज्यों में यूनिवर्सिटी की, कालेजों की, स्कूलों की क्या फीस है? ग्रेड देने पड़ते हैं तो फीस भी बढ़ा सकते हैं। यह हो सकता है कि गरीबों के लिए हम फीस कम कर दें। मुझे याद है एम. एस. सी. में जब मैं पढ़ता था तो 30 रु. लगते थे आपको (वित्त मंत्रीजी) को भी मेरे ख्याल से 30 साल होने को आ गये अच्छी तरह से याद होगा।

दूसरा, अस्पतालों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल फ्री होते हैं, मैं कहता हूं जो साधन सम्पन्न लोग होते हैं वे 25 रु. संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में प्रति दिन देते हैं। फीस लगा दें तो अस्पतालों का विकास हो सकता है। साधन सम्पन्न लोग आसानी से देने की स्थिति में होते हैं। आज वैसे भी साधारण तौर पर एक रुपया हर मरीज पर लगा दें तो उससे भी अस्पतालों का काफी विकास किया जा सकता है। आज अस्पतालों की हालत यह है कि चद्दरें नहीं हैं, बिस्तर टूटे पड़े हुए हैं, ओढ़ने बिछाने की पूरी तरह से सुविधा नहीं है। 25) रु. अगर एक आदमी दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में देते हैं तो वह एक रुपया हमको भी दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही

(श्री अमृतलाल गहलोत)

निवेदन है कि जो बेनिफिशरीज हैं उन पर कुछ लगाइये परन्तु भगवान के नाम पर जो गरीब हैं उनको पीछे धकेलते मत जाइये ।

वैसे मैं आपके अच्छे बजट की तारीफ भी करता हूँ किन्तु मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर भी आप जरा गौर फरमा लें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में और जिन हालात में यह बजट लाया जा रहा है वह असाधारण और गैर मामूली है और हम यह उचित तौर पर उम्मीद कर सकते थे कि इस मर्तबा जो बजट लाया जायगा वह 20 सूत्री प्रोग्राम को सफल बनाने के लिये और जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा फैसले लिए गये हैं उनको लागू करने के लिए लाया जायगा। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम में 7 सूत्र तो ऐसे हैं कि जिनका सम्बन्ध गरीब काश्तकारों से, हरिजनों से, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों से, भूमिहीन लोगों से और खेत में काम करने वाले मजदूरों से है । इनकी भलाई ही हमारा ध्येय होना चाहिये था और इसी को मद्दे नजर रखते हुए यह बजट लाया जाना चाहिये था पर मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जितने चार बजट आये उन सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी, खराब और किसानों और मजदूरों के हित के खिलाफ यह बजट यहां पर रखा गया है।

आपके द्वारा यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि कीमतों में गिरावट आई है और लोगों को राहत मिली है और हमने प्राइस को बढ़ने से रोक दिया है। जो कीमतें आसमान छू रही थीं उनको हमने रोक दिया है पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहे बगैर नहीं रह सकता हूँ कि यह गिरावट किन चीजों में आ रही है, यह गिरावट किस पैदावार में आ रही है। आपको पता चलेगा कि यह गिरावट जो कृषक अपनी चीज पैदा करता है, उसमें आई है। उसका जौ, गेहूं, उसका बाजरा, उसका चना और उसकी सब चीजों में जो वह पैदा करता है उसमें इतनी गिरावट आई है कि आज आप यकीन रखिये कि वह दिन दूर नहीं कि जो लोग आपको समर्थन देकर बड़ी शक्ति के साथ यहां बैठाते हैं, उनकी हालत इतनी दयनीय हो जायगी कि आप और हम और प्रगतिशील नीति रखने वाली जितनी भी पार्टियां हैं वह गांवों में कदम नहीं रख सकेंगी और यह आशा की जाती थी कि इस बजट में राज्य सरकार कुछ ऐसे, महत्वपूर्ण सुझाव रखेगी और कुछ ऐसे कदम उठायेगी कि जिन कदमों के द्वारा हम 20 सूत्री प्रोग्राम को पूरी तौर से लागू कर सकें, पर यह आशा निराशा में बदल गई । जितने टैक्स लगाये गये हैं वे सब टैक्स, उन सब टैक्सों का बोझा गरीबों पर है, कृषकों पर है शिड्यूल्ड कास्ट्स के छोटी मोटी-जमीन रखने वालों पर है।

आपने खूबी के साथ कह दिया मैं बिजली के कनेक्शन वापिस नहीं लेना चाहता हूं, आपने खूबी के साथ कह दिया एक पैसा बिजली का बढ़ा दिया, आपने खूबी के साथ कह दिया कि जो मुरब्बे बेचे जा रहे हैं

Page No 34

(३४)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

भूमिहीनों के, उनकी कीमत हमने दुगुनी कर दी है। वह मालिकाना जो साल भर के लिये लिया जाता है उसको दुगुना कर दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह ऐसा कदम है जिसके लिये जितनी भर्त्सना की जाय उतनी कम है। अभी एक माननीय सदस्य यह कह कर गये हैं कि साहब कृषक से ज्यादा पैसा वसूल किया जा सकता है पर मैं यह समझता हूं कि जो खेत में सुबह से शाम तक रहकर पैसा पैदा करता है उसका तजुर्बा शायद उनको नहीं है। वे शहर की आबादी से खेती कर जाते हैं लेकिन यह याद रखना चाहिये कि जो हमको सफल बनाने वाले हैं वे काश्तकार ही होते हैं जो आपको और हमको समर्थन देते हैं और आज जो उसके लिये संकट पैदा हुआ है वह मामूली संकट नहीं है।

मैं बहुत संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि काश्तकार पर किन किन चीजों का खतरनाक असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं उन फैसलों को लूंगा जिनके अनुसार आपने यह तय किया है कि जो मुरब्बे गंगानगर में और दूसरे इलाकों में दिये जायेंगे उनकी कीमत दुगुनी कर दी जायगी। आप जरा मुलाहिजा फरमायें कि जो मुरब्बा गंगानगर में दिये जाते हैं उनकी कीमत 17 हजार रुपया देनी पड़ती है और ये 17 हजार रुपये 10 किश्तों में उस काश्तकार को, जो भूमिहीन है या जिसको मुरब्बा दिया गया है, अदा करनी पड़ती है। अब इस रकम को आपने 17 के बजाय 34 हजार कर दिया और फिर जिसको आपने यह दे दिया है वह कौन है ? आपके आंकड़ों के अनुसार, आपके कहने के मुताबिक वह या तो शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी है, मार्जिनल फार्मर है या भूमिहीन किसान है जिसको आपने यह मुरब्बा दिया है। आपने मुरब्बा देकर उससे समझौता कर लिया और आप उससे यह कहते हैं कि तू 17 हजार के बजाय 34 हजार देने को मजबूर है और 17 किश्त देने के बजाय अब 34 किश्त देगा। उसके बाद अब आपको यह देखना पड़ेगा कि इसके अलावा उसको लेवलिंग का पैसा देना पड़ता है जो उस पर लादा गया है। विश्व बैंक द्वारा जो काम चलाए जा रहे हैं, उनमें दो काम हैं, जमीन का लेवलिंग और धोरों को पुख्ता करना। इस पर भी उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं और उनको मौका नहीं दिया जाता है कि सहूलियत के साथ जमीन का लेवलिंग कर लें और आप उसका पैसा भी उस पर लादना चाहते हैं। अगर आप देखते हैं कि यह 17 हजार की जगह 34 हजार रुपए उसको मुरब्बे के देने पड़ेंगे और उसको एक हजार रुपए या 1100) रु. सालाना उस सिलसिले में सरकार को देने पड़ेंगे जो उसने अपनी जमीन का लेवलिंग कराया है और उसको कुछ ऐसी रकम 700) रु. भी देनी पड़ेगी जो उसके धोरे पुख्ते किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 6 प्रतिशत ब्याज भी लिया जाएगा। हिसाब लगाने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह रकम कमोबेश 5-6 हजार के बीच में हो जाएगी। अब आप अपना करिश्मा देखिए कि आपने उस काश्तकार पर, जिसको कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स का कहते हैं या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कहते हैं, उस पर 6,000) रुपए और सालाना की किश्त का बोझ डाल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही है 20 सूत्री कार्यक्रम जिसका पालन करना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आप अपना कर्तव्य मान कर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स व मार्जिनल फार्मर को यह रिलीफ देना चाहते हैं, कि उससे 6,000) रुपए सालाना की किश्त लें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह इतनी बड़ी रकम कभी भी अदा नहीं कर सकेगा और मैं इतना बड़ा खतरनाक हमला उन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मार्जिनल फार्मर व भूमिहीन किसान पर समझता हूं, जितना पिछले 4 वर्षों में नहीं हुआ।

मैं समझता हूं, राज्य सरकार के इरादे कुछ भी हों, लेकिन इस बजट को पैदा करने वाली वह अफसरशाही मशीन है कि जिसने जय प्रकाश नारायण के प्रोग्राम को सामने रखकर बजट बनाया है। जो फ्यूडल लार्ड्स और जागीरदारों से सांठगांठ करके बनाया करती है वैसे पूंजीवाद के समर्थन से बनाया गया है। क्या आपकी आंखें खुली हुई नहीं थीं जिस समय फैसला लिया कि जिस मुरब्बे के 17 हजार रुपए लेते थे उसके एक दिन के अन्दर 34 हजार रुपए कर दिए? कहीं ऐसा होता है कि न उनको नोटिस है, न उनको जानकारी है। मैं इस चीज की पुरजोर भर्त्सना करता हूं और वित्त मंत्री से और खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कदम को वापिस लिया जाना चाहिए, नहीं तो यह पूरे राजस्थान में एक बदमीनी की पेशीवीयर होगी? कम्युनिस्ट पार्टी आपका समर्थन करती चली आ रही है लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी का यह भी फर्ज है कि अगर किसानों पर, शिड्यूल्ड कास्ट्स पर, शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर और दूसरे ऐसे लोगों पर जो कि पिछड़े हुए हैं, अगर शासन हमला करता है तो हम उस मौके पर खामोश नहीं रह सकते।

उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो खतरनाक कदम सरकार उठा रही है, इसको वापिस ले। इसी चीज का दूसरा पहलू भी है और वह यह कि मालिकाना या टेम्प्रेरी जो जमीन किसान को एलॉट की जाती है उसका रेट बारानी का एक से दो और चाही का 4 से 8 कर दिया गया। वे कौन लोग हैं? वे लोग जिनके पास जमीन नहीं होती है और वे जमीन को साल भर के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लेते हैं और दिन भर मेहनत के बाद चंद चांदी के टुकड़े उनको नसीब होते हैं। क्या यह कोई तरीका है जिस से आप 20 सूत्री प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हैं? क्या वह सूत्र है जिसके लिए श्रीमती गांधी ने कहा कि जो छोटे किसान हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, जो भूमिहीन हैं उनको जल्दी से जल्दी सरप्लस लैण्ड दी जाए? आपके पास जो भूमि है वह दे रहे हैं और उसको आप छीनना चाहते हैं इस तरीके से जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अतः वित्त मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें। चूरू जिले में ऐसे 14 हजार लोग हैं भूमिहीन काश्तकार, जिनमें से ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं जो इस तरह की जमीनों के खरीदार हैं जिनकी 22 या 24 तारीख को लाटरी खुलने वाली है। वह इस आशा के साथ कि उसे जमीन मिल जाएगी और वह अपना गुजर कर सकेगा। अपना पैसा लगाता है, लाटरी के अन्दर हिस्सा लेता है और जब उसको मालूम होगा कि जो चीज 100) रु.

Page No 36

(36)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में मिलती है वह 200) रु. में मिलेगी तो उसकी सारी खुशी मिट जाएगी। तो चूरू जिले में क्या मुझको हक नहीं होगा कि मैं वित्त मंत्री के खिलाफ जाकर कहूं कि यह यह वित्त मंत्री है जिसने आप पर इस तरह का टैक्स लगाया। तो मेरा निवेदन है कि ये दोनों कदम जो उठाये जा रहे हैं, वापिस लेने चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, किसी पीतल की अंगूठी या चांदी की अंगूठी पर आप सोने का झोल चढ़वालें तो चमक तो पैदा होती है लेकिन वास्तव में आर्थिक ढांचे में किस तरह से परिवर्तन हुआ, यह बजट से मालूम नहीं होता है। मैं सराहना करता हूं इन कदमों की कि आपने 200 आयुर्वेद औषधालय खोलने की बात कही, कुछ बैड्स बढ़ाये, स्कूलों के लिए कुछ सेक्शन्स दे दिये लेकिन इस सराहना के बावजूद मेरी समझ में नहीं आता कि इससे हमारे आर्थिक ढांचे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह तब होगा जब हमारे भूमिहीन काश्तकारों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को रोजगार मिले, जमीन मिले, उपज का फायदा उठाने का मौका मिले, तब इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके लिए अगर वित्त मंत्री चाहेंगे तो मैं दिल व दिमाग के साथ धन्यवाद इनको दूंगा लेकिन मुझे उनकी बुद्धि पर अफसोस होता है कि इन्होंने जो भी हमला किया है, तमाम काश्तकारों पर किया है। जितनी वृद्धि की है उसका कोई असर दूसरे सेक्शन्स पर नहीं पड़ता सिवाय काश्तकारों के। मिसाल के तौर पर, आपने स्टैम्प ड्यूटी बढ़ायी, एफीडेविट्स पर दो ढाई रुपये लगते हैं आपने डेढ़ गुना कर दिया। आपने कन्वेयंस पर बोंड्स पर, सब चीजों पर ड्यूटी लगा दी। अब हर कदम पर काश्तकार को एफीडेविट देना पड़ता है। अब ढाई रुपये के बजाय 3।। रुपये या 3–1।4 रुपये देने पड़ेंगे। आप सक्षम वर्ग पर ऐसे कर लगायें, जैसे कम्पनियां बनती हैं, निगम बनते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं, उन पर लगायें, वे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन चीजों का असर सक्षम वर्ग के बजाय गरीब किसानों पर पड़ता है उसके लिए आपका क्या कहना है? इसके अलावा आपने एक फैसला यह लिया कि आपने एक पैसा पर यूनिट बिजली ड्यूटी बढ़ा दी। राजस्थान में बिजली की दरें मेरे खयाल से....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्षजी, खेद के साथ कहना पड़ता है कि बजट सत्र के संबंध में केबिनेट मंत्रियों की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। एक भी केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है।

श्री भूंझारसिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : आप फिक्र नहीं करें। आप जो फरमा रहे हैं वह सभी नोट हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एकाध तो केबिनेट रैंक का मन्त्री होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : ट्रेजरी बैन्चेज की तरफ से स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह पर्याप्त है। कम से कम यह उपेक्षा का द्योतक तो है।

श्री उपाध्यक्ष : ट्रेजरी बैन्चेज में फाइनेन्स मिनिस्ट्री का रिप्रेजेन्टेशन है।

Page No 37

(37)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश यह थी जब बजट पर डिस्कशन होता है तब हम यह आशा करते हैं कि फाइनैन्स मिनिस्टर साहब को यहां मौजूद रहना चाहिये। यहां पर पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन होता है और हम फाईनेन्स से संबधित अच्छी तकरीरें पेश करते हैं इसलिए ऐसे वक्त वित्त मन्त्री महोदय का यहां होना निहायत जरूरी होता है। इसके विपरीत हम यह देख रहे हैं कि ट्रेजरी बैन्चेज बिलकुल खाली पड़ी हुई हैं।

श्री जुझार सिंह : यह कहना इनका उचित नहीं है क्योंकि आप जो फरमा रहे हैं हम सब नोट कर रहे हैं। इसमें आपको कोई शुबाह नहीं होना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अभी तक तीन तीन माननीय सदस्य बोले हैं इन तीनों सदस्यों ने बजट की भर्त्सना की है। आप हमारे सुझावों को मानें या नहीं मानें लेकिन आपको सुनाने का तो हमारा हक है ही।

श्री जुझारसिंह : वैसे तो प्रिसेन्सरशिप है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रिसेन्शरशिप की आप तो कहते हैं लेकिन हम यहां जो निवेदन कर रहे हैं वह तो फिर जब आप नहीं तो जंगल में मोर नाचा वह किसने देखा। कम से कम वित्त मन्त्री जी को यहां हाजिर तो रहना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश किया चाहता था कि आपने जो बजट में यह इर्रिगेशन पर टैक्स बढ़ाया है इसमें तो पहले भी इतन्डेसन पर भी आपने टैक्स लगा दिया वह बढ़ाया है, यह भी ठीक नहीं किया गया है। इसमें कई क्राप्स ऐसी है जिन पर आपने टैक्स बढ़ाया है। जिसमें वीट, पेडी, ग्राम, बारले वगैरह ऐसे आईटम्स है जिन पर आपने जो टेक्स लगाया है उसका असर काश्तकारों पर बहुत पड़ा है जिससे काश्तकारों की हालत खराब हो गयी है। आप चाहे इसमें कुछ भी समझे लेकिन हमारे यहां का नासमझ से नासमझ इन्सान यह समझ लेगा कि यह आपने गलत किया है। आप नहरी क्षेत्र में इजाफा करते तो कोई बात नहीं लेकिन तमाम काश्तकार पेशा लोगों पर टैक्स इजाफा करके उनकी हालत को खराब कर दिया है। आपने यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो किसान को बिजली और पानी की सहूलियत की बात की है इसमें तो कोई शक शुबाह नहीं है। लेकिन आप बिजली के बारे में तो फरमा रहे हैं, इसके साथ आपने इन पर और अधिक टैक्स लगाया है जो पहले आपने रेट्स कायम कर रखी थी उससे आपने सवाई, ड्योढ़ी ज्यादा कर दी है। यह कहां तक उचित है? यह आपने क्या अजीबो गरीब ढंग अपनाया है। इन सभी का भार काश्तकार पर पड़ रहा है जिससे वह बरबाद हो रहा है। इसके लिए आपको रियायत देनी चाहिये थी। अब मैं थोड़े मुद्दे और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिनके ऊपर वित मन्त्रीजी को रोशनी डालने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में यहां सदन में कुछ सवालात यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उठाये थे। उस वक्त राज्य सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था, आश्वा-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सन दिया गया था कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू किया जायेगा लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले तो आपने उन लोगों की जबां बंद कर दी और अब आप उसका अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि हमारे देश की एक ही नहीं अनेकों यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को मान लिया है। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी की मिसाल दिया चाहता हूं जिसकी वित्तीय हालत आपकी यूनिवर्सिटी से भी बहुत अधिक खराब है। वह काश्मीर की यूनिवर्सिटी है उसने भी यू.जी.सी. की सिफारिशों को लागू कर दिया है। लेकिन आपने अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। आज स्थिति यह है कि आप उन प्रोफेसर्स की दाद फरियाद को सुनने को तैयार नहीं हैं और न ही उन्हें इस बात का मौका ही देने को तैयार हैं कि वह लोग अपने रोष का प्रदर्शन भी कर सकें। तो मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं कि आपके यह किस प्रकार के वायदे हैं? आज यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने की बदौलत यहां के जो बड़े दानिश्वर और काबिल प्रोफेसर्स हैं वह आपकी यूनिवर्सिटी को छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। ऐसे काबिल प्रोफेसर्स चले गये हैं जिनको एशिया में शोहरत है। आपकी इस तरह की कार्यवाहियों को देखकर मुझे हसरत मोहानी का एक शेर याद आगया है :—

यहं आईने जमाबन्दी हमें तसलीम है लेकिन,
जो लोगों की जुबां पर है उन अफसानों का क्या होगा।

जिन लोगों की जुबां बन्द है उन लोगों के अफसानों का क्या होगा? तो मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि यह जो अफसाने कानाफूसी की शक्ल में सामने आ रहे हैं, तो सदन में आपने वायदे किये उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इससे लोगों के मन में काफी रोष है। इसके लिए आपको अपने वायदों को पूरा करना चाहिये। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के जो रिटायर्ड पेन्शनर्स हैं उनकी पेन्शन के बढ़ोतरी के बारे में भी आज भी सदन में सवाल आया था। उसमें आपने फरमा दिया कि विचाराधीन है। आज आप उनकी दयनीय हालत को जाकर देखिये, कितनी हालत खराब है। आप उन पर तवज्जह देने को तैयार नहीं। आखिर आपका यह विचाराधीन मामला कब तक चलता रहेगा। इसका कोई अन्त आयेगा या नहीं। मैं समझता हूं कि आपका यह विचाराधीन मामला तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह खुदा को प्यारे नहीं हो जावें। क्योंकि आपका यह विचाराधीन मामला चार साल से चला आ रहा है। एक दो साल बाद वह लोग खुद ही इस दीन दुनिया से उठ जायेंगे। तो इसका यह हाल होगा कि न रोने वाला ही रहेगा न सुनने वाला ही। तो मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि जो लोग आपके कर्मचारी थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेन्शन में बढ़ोतरी कर दी है लेकिन आज कई पेन्शनर्स तो ऐसे है जो बेचारे गरीब हैं और चलने फिरने की स्थिति में नहीं। आखिर आप उन्हें कब तक राहत देंगे? हम लोगों को आये आज चार साल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हो गये हैं एक साल बाकी है और आपका यह मसला विचाराधीन ही चल रहा है। तो यह आखिर कब तक चलता रहेगा हो सकता है पांच साल बाद कौन इस विधान सभा में आये कौन नहीं आये, यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि आपके यह वायदे बईद चलते रहेंगे और लोग बेचारे यों ही बरबाद होते रहेंगे। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की पेन्शन में तुरन्त बढोतरी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात और गुजारिश करना चाहता हूं वह है हमारे यहां पिछले साल इमर्जेन्सी लगी उसमें राज्य सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की। मैं यह अर्ज किया चाहता हूं राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ में, जिन लोगों का ताल्लुक आर. एस. एस., जनसंघ और दूसरी ऐसी खतरनाक जमातों के साथ रहा है, उन लोगों के ऊपर कुछ रोक लगाने की बात कहती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि राज्य सरकार के किरदार उसके विपरीत हैं। आज उस यूनियन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें जनसंघ और आर. एस. एस. के जाने माने लोग ताकत में हैं, चाहे नागोरिया साहब हो, चाहे टन्डन साहब हों, चाहे वह और कोई व्यक्ति हों, मैं उसूलन उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी उनकी अदम मौजूदगी में पसन्द नहीं करता लेकिन मैं राज्य सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आपने दुश्मनों की दोस्ती का अन्जाम देखा है, और आप फिर उसको देखना चाहते हैं, "नतीजा दुश्मनों की दोस्ती का अभी देखो अभी देखा ही क्या है" आपने बहुत परखा है। अब आप उस चीज को दोहराना चाहते हैं। मैं निवेदन किया चाहता हूं आप की सर्विसेज, मुलाजिमान, जो आपके हाथ हैं, पांव हैं, आपकी ताकत हैं, उनकी तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिए। उनकी जो उचित मांग हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। वरना आप इस तरह मुलाजिमान को आपस में लड़ायें और ऐसे लोगों को, जिनके दिमाग डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र से नावाकिफ है, आप ताकत में लाकर, यूनियन की ताकत में लाकर प्रगतिशील यूनियन को आप हटाना चाहते हैं तो मैं सिवाय इसके कि आपकी बुद्धि पर आंसू बहाऊं, और क्या कर सकता हूं। आपके हाथ में ताकत है, जिसको चाहेंगे मान्यता देंगे। आज जो यूनियन ऐसे एम्प्लाइज की नुमाइन्दगी करना चाहती है, उसके प्रेसीडेंट को कह दिया, हम तुमको नहीं मानते हैं, न तुमसे बात करने को तैयार हैं। क्या यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया जाना उचित है? क्या इन फैसलों को आप उचित समझते हैं? मैं समझता हूं, यह चीज अपनी जगह सही नहीं है, आपने, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ फैसले कांग्रेस की जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें लिये थे। उसमें माइनोरिटी के लोगों के बारे में मैं निवेदन किया चाहता हूं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की मिली जुली हुकूमत ने कुछ फैसले लागू किये हैं केरल के अन्दर, उसमें अमली दिक्कतों को दूर किया है, जो रोज सामने आती हैं। मैं निवेदन किया चाहता हूं, साढ़े छः पर्सेन्ट आबादी राजस्थान में माइनोरिटी की है, और जो माइनोरिटी है छोटी मोटी उनकी कम है, लेकिन मुस्लिम माइनोरिटी की तादाद साढ़े छः से आठ पर्सेन्ट है। लेकिन आप यह देखें और इन आंकड़ों की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जांच करें कि उनको कितने पर्सेन्ट मुलाजिमत मिली हुई है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह एक दो पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं है। आपने रावतभाटा में फैसला लिया था, माइनोरिटी की तरफ कई चेन्ज करेंगे। आज केरल हुकूमत ने एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने तय किया है, माइनोरिटी और शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों का कोटा है, उसको पूरी मजबूती के साथ लागू किया जायगा और वह कोटा मुकर्रर किया जायगा। माइनोरिटी में जो आर्थिक लिहाज से पिछड़े तबके हैं, चाहे जूते बनाने वाले हों, चाहे कपड़ा बुनने वाले हों, चाहे लोहे का काम करने वाले हों, चाहे बुनकर हों—उन सबको बेकवर्ड या पिछड़ी हुई क्लास डिक्लेअर करके उनको सारी सहूलियत दी जायगी और उनकी जबान को तहाफुज किया जायगा मैं चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने उर्दू अकादमी कायम करने का रुख दिखाया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं, यह मंत्री जी के दिमाग की उपज नहीं है, यह चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक मीटिंग में एलान किया था। लेकिन मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, ताकि उनको नागवार न गुजरे। मैं यह सुझाव रखूंगा कि आप माइनोरिटी के हुकूक की तरफ तवज्जह करके कोई रास्ता निकालें, चाहे वह निकालिये जो सिद्धार्थ शंकर रे ने निकाला है, चाहे वह निकालिये जो यू.पी. की गवर्नमेंट, बहुगुणा ने निकाला है, चाहे वह निकालिये जो केरल ने निकाला है। आप माइनोरिटी की तकलीफ को सुनने के लिए एक सेल कायम कीजिये, जिस सेल के अन्दर बहुत सुलझे हुए, साफ दिमाग के लोग हों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों, आपके यहां अच्छे दिमाग के लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, बहुत हैं-उनको बनाइये, ताकि उनकी तकलीफें और दिक्कतें दूर हों। मैंने कई मर्तबा सवाल उठाया है, तिब्बिया कालेज है उसके लिए। माननीय मंत्री महोदया, कमला जी ने एक कमेटी अपाइन्ट की थी। उस कमेटी ने यूनेनिमस रिपोर्ट दी है और वह यह दी है कि इस कालेज को फौरन राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया जाय। प्राइवेट मैनेजमेंट में इसका भला होने वाला नहीं है। मुझे अफसोस है कि कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया है। जो दो सौ औषधालय खोले गये है उसमें तिब्बिया यूनानी का कोई शफाखाना खोलने का कोई इरादा नहीं बताया गया है। मैं चाहूंगा, इन चीजों को आखिर बहुत उदार तरीके से क्यों तय नहीं करते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? यह छोटी छोटी बातें हैं; यह बहुत बड़ी बन जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वक्त हमारे मंत्री महोदय नहीं हैं यहां पर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, वह इस तरफ तवज्जह करें और तिब्बिया कालेज है उसको हाथ में लें। इसके अलावा कुछ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: (श्री जुझारसिंह से) आपको तस्लीम कर लीजिये मंत्राणी महोदया। सब कुछ यही हैं। सब कुछ आप ही हैं।

श्री जुझारसिंह: वह भी नोट कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: इसके अलावा एक चीज और निवेदन करना चाहता था, वह यह है कि हमने यह कहा था सदन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में कि यह रोडवेज का नेशनलाइजेशन है, यह मुकम्मिल कर दिया जायगा, इस पंचसाला प्रोग्राम में। अब इस पूरे साल के अन्दर 1977 के एण्ड तक जो टार्गेट है, निशाना है वह 50 पर्सेन्ट है। मतलब यह, आपकी यह रफ्तार है, इस रफ्तार से तो, मुझे आशा नहीं है, आप अपने वायदे पर पूरे उतरेंगे और शत प्रतिशत इस रोडवेज का ढांचा है, इसको बदलेंगे और नेशनलाइजेशन करेंगे। इसलिए जो आपकी प्रगति है इसको देखते हुए, मैं समझता हूं, यह कार्य आप सुचारु रूप से नहीं चला सकेंगे · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : थोड़ा सा और अर्ज कर दूं।

एक चीज, जिसकी तरफ मैं निवेदन करना चाहता था, वह यह है, उसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला समझता हूं। मैं समझता हूं, इन्सानियत के नाते अगर इसकी तरफ उनकी तवज्जह उनकी अदम मौजूदगी में दिलाई गई तो वह शायद मान लेंगे। वह यह है, यह सोशल सीक्योरिटी एण्ड वेलफेयर के आंकड़े दिये गये हैं, वह इस तरह दिये गये हैं कि 1974-75 में 8.41 था, यह ग्रान्ट है, 1975-76 में 11.86 है और अब 1976-77 में 5.24 रखी गई है। यह किस सिलसिले में कम की गई है, क्या कोई मुसीबतजदा लोगों की कमी हो गई है, क्या लोग कम मरने लगे हैं, क्या बेवाएं अब नहीं हैं, क्या बूढे नहीं हैं? इस सेक्शन को आप को दुगुना करना चाहिए, क्योंकि आज सैंकड़ों बेवाएं हैं, सैंकड़ों मजबूर औरतें हैं, सैंकड़ों बूढ़े हैं। दिन रात वह चीफ मिनिस्टर के बंगले के बाहर बैठे रहते हैं। वित्त मंत्री जी मुलाहिजा करना चाहें तो उन्हें वहां तशरीफ ले जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कहते हैं जितना पैसा था वह मैं बांट चुका हूं और अब और कहां से लाऊं। इससे ज्यादा अफसोसनाक चीज और क्या होगी। जो चीज बूढ़े लोगों को दे रहे थे, उसमें क्यों रिमार्केबल कमी कर रहे हैं, जिसका असर बहुत बढ़ रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारा जो बजट है, ऐसा लगता है कि यह हमें अराजकता की ओर ले जावेगा। शिड्यूल्ड् कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको इस इकोनोमी के अन्दर इतना तबाह और बरबाद कर दिया गया कि वे सर उठाने के काबिल न हों।

मैंने यह गुजारिशात सदन में की, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत उनके पास पहुंच जानी चाहिये। इस वक्त शिड्यूल्ड् कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फेयर डील नहीं मिला है। जो मशीनरी काम कर रही है वह काबिले तारीफ नहीं है और इसलिये यह सोचना होगा कि उनके बारे में क्या किया जाय। आज आपने फिगर मुकर्रर कर दिया, 28 पर्सेन्ट अपोइन्टमेंट देंगे। लेकिन आज यह टार्गेट पूरा क्यों नहीं होता है? पहले मुख्य मंत्री ने यह वायदा किया था कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि उनके लिये नरमी हो कानून में, क्वालिफिकेशन्स में नरमी हो लेकिन उनके लिये कोई चीज नहीं की जाती और कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे उनको राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैं दो चार बातें उनकी तारीफ में भी कहना चाहूंगा वरना उनको नागवार गुजरेगा। कुछ ऐसे कदम भी उठाये हैं जिनको सराहनीय समझता हूं वह यह है कि पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वायदा किया है बशर्ते वे हो जायं। यह काबिले तारीफ है। 60 पर्सेन्ट बजट पानी और बिजली के लिये एलाट किया है वह भी सराहनीय कदम है। इसके प्रतिरिक्त जो कुछ भी तालीम के लिये, शफाखाने के लिये किया वह भी काबिले तारीफ है। लेकिन मैं यह अर्ज किया चाहूंगा कि एक कमेटी चिकित्सा मंत्री साहब ने बनायी। बदकिस्मती से उसमें मैं भी एक मेम्बर था। उसकी दो तीन मीटिंग्स हुई आज तक और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई और कमेटी ही खत्म हो गयी। मंत्री महोदय को खुद को देखना चाहिये कि शफाखाने में दवाओं का इन्तजाम है या नहीं, सफाई आदि का इन्तजाम है या नहीं और मरीजों को किसी प्रकार की मुश्किलात तो नहीं है और दिक्कतें तो नहीं हैं। इन तफसीलात में डिमाण्ड पर निवेदन करना चाहूंगा। यही कहा चाहूंगा कि जो बुनियादी टैक्सेज हैं उनको आप खत्म कीजिये। फ्रीजियात पर आपने बढाने के बजाय और कम कर दिया। कूलर्स फ्रीजियात इन पर, एयर कन्डीशनर्स इन पर भरपूर टैक्स लगाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन मेहरबानी करके जो आपने टैक्स बढाये हैं जो इजाफा किया है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स पर और किसानों पर हमला किया है उसको वापिस लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ गुजारिश किया चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सन् 1976-77 के बजट के सम्बन्ध में अपने थोड़े विचार प्रकट करना चाहता हूं। बजट राज्य की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा होता है। राज्य की आर्थिक स्थति को यह बजट मजबूत किये हुए है यह प्रतीत होता है परन्तु 90 पर्सेन्ट लोग गांवों में रहते हैं उनके विकास के लिये बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। न तो उनके लिये चिकित्सा के साधन उपलब्ध हैं, न रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, न सिंचाई के साधन हैं और न ही बिजली के साधन हैं। न सड़कें आदि के लिये भी कोई विशेष प्रबन्ध बजट में नहीं है।

20 सूत्री प्रोग्राम में जो लोग भूमिहीन हैं उनको जमीनें दी जा रही हैं परन्तु हमें यह देखने को मिला है कि उनको कम से कम पांच बीघा, चार बीघा जमीन, दस बीघा जमीन तो किसी को मिली नहीं, पांच बीघा से अधिक नहीं मिली, वे किस प्रकार से उस पर खर्च करेंगे, किस प्रकार से वे उससे उत्पादन बढ़ायेंगे, किस प्रकार से कुआ खोदेंगे ? लोन आदि के साधन उनको उपलब्ध नहीं कराये गये। पांच बीघा पर कितना लोन मिल सकता है यह प्रावधान नहीं है इसमें। न ही उनको किसी बैंक या सहकारी समिति के द्वारा समय पर लोन मिल जाय, ऐसी कोई इसमें व्यवस्था है। दो तीन बीघा जमीन भी लोगों को आवंटित हुई है उनमें भी गड़बड़ियां हुई हैं जिनकी शिकायतें की।

उनको आवासीय भू-खण्ड दिये गये हैं लेकिन उनके पास मकान बनाने के लिये

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कोई साधन उपलब्ध नहीं है। न ही बैंक से और न सहकारी समिति से उनको लोन मिल सकता है। कोप्रोपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुई थीं उनकी ओर से एड दी गयी थी। एक किश्त के बाद उन को कुछ नहीं मिला। किस प्रकार से इससे वे अपने विकास का और जीवन का स्तर बढ़ा लेंगे? एक किश्त दी और बाद में बन्द कर दी। वे भू-खण्ड किसी तरह से उनके काम नहीं आये। इसलिए जो उनको भू-खण्ड आवंटित हुए हैं उनके लिये उनको या तो सबसिडी या लोन बिना व्याज के मिलना चाहिये।

रोजगार की दृष्टि से भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जो लोग बेकार बैठे हुए हैं उनको रोजगार दिलाया जाय और यह समस्या राजस्थान में ही नहीं किन्तु सारे देश में है। किसानों के काम आने वाली चीजें महंगी हैं। उत्पादन बढ़ रहा है और सरकार की ओर से इमदाद हो रही है। उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन भाव गिर गये हैं और किसान के काम आने वाली चीजें बहुत मंहगी हैं। क्या कपड़ा, क्या दवाइयां, और क्या अन्य चीजें, ये सब उसके लिए मंहगी हैं। किस तरह से ऐसी हालत में काश्तकार जिन्दा रहेगा? राज्य सरकार को चाहिये कि किसानों के साथ आपका एग्रीमेन्ट है, मंडियों में माल पहुँच रहा है तो आपको उसको लेने की व्यवस्था करनी चाहिये।

सहकारी संस्थाओं में शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स को आपने प्रतिनिधित्व दिया है वह अच्छी बात है। परन्तु उनमें भी पुराने मठाधीश बैठे हुए हैं जो कि गबन भी कर चुके हैं। लाखों रुपयों का इन संस्थाओं में गबन है। वे दूसरे आदमियों को नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए किस प्रकार से गरीब का फायदा हो सकेगा? यह जो चीजें सामने आ रही हैं, इनसे सहकारिता की हालत अच्छी नहीं है।

जिला झालावाड़ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। 18 नदियों में पानी मौजूद है। उत्पादन बढ़ाने के लिये इस पानी के साधनों को काम में लाया जाय। दो मध्यम सिंचाई योजनायें हैं हरिश्चन्द्र सागर और भीमसागर बांध। लाखों रुपया इन पर खर्च हो चुका है लेकिन वे अधूरे ही पड़े हुए हैं। बजट सेशन में हमेशा कहते आये हैं 18 लाख की योजना थी अब 4 करोड़ की बन चुकी है। मंहगाई के कारण एस्टीमेट बढ़ गये हैं। योजनाओं पर खर्चा नहीं किया गया है। हर साल कहते हैं कि इनको हाथ में लेंगे। राज्य सरकार की क्या नीति है? जहां पानी नहीं वहां नल कूप लगाये जा रहे हैं और जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां कोई बड़ा खर्चा नहीं किया जा रहा है जब कि वहां पर लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा लाभ मिल सकता है।

औद्योगिक दृष्टि से झालावाड़ पिछड़ा हुआ जिला माना गया है वहां पर कोई कल कारखाने नहीं हैं। वहां पर बीड़ी का पत्ता बहुतायत में होता है। वहां पर बीड़ी की फैक्ट्री सहकारिता के क्षेत्र में लगायी जानी चाहिये जिससे पांच हजार मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। वहां पर न तो कोई उद्योग धन्धा है और न ही वहां पर एप्रोच रोड्स हैं। वहां पर पंचायतों को सड़कों से मिला देना चाहिये। अस्पताल का भी मामला ऐसा है, 200 आयुर्वेद औषधालय

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

खोलने का बजट में प्रावधान रखा गया है। एक एम.एल.ए. क्षेत्र पर आयुर्वेद औषधालय खोलेंगे उसमें 1।।। लाख की आबादी होती है।

शिक्षा के लिये भी झालावाड़ क्षेत्र में छात्राओं को हायर सैकेण्डरी की शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसकी तो व्यवस्था कीजिये। सिंचाई, उद्योग धन्धे और शिक्षा के मायने में और के मायने में झालावाड़ जिला बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। विद्युत् की दो योजनायें चल रही हैं उनमें भी धीमी गति है। तीन साल हो गये। आधा काम भी नहीं हुआ है जब कि कार्यकाल तीन साल का था। न बिजली के साधन हैं और न सिंचाई के साधन हैं। तो मेरा आपसे निवेदन करने का मतलब यह है कि बजट जैसा भी हो, कर लगाये जायें लेकिन उनका असर गरीब जनता पर न पड़े और आ पड़े तो भी उनके विकास के लिए जो कुछ कार्यवाही हो सके उस बजट में वह उपलब्ध होनी चाहिए। मैं इतना ही कहने के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने सन् 1976-77 के बजट के ऊपर आज बहस का दूसरा दिन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पांचवीं विधान सभा की शुरुआत से लेकर अब तक माननीय चन्दनमल जी वैद ही वित्त मंत्री रहते आये हैं इसलिए राजस्थान के विगत का मूल्यांकन करना और आगे जो टार्गेट रखे हैं उनके ऊपर विचार करने में सहूलियत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जमाने में जब कि संसार के अन्दर समाजवाद की हवा बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ती जा रही है राजस्थान के सदन के सामने इस प्रकार का बजट लाना कि जिसका असर सौ में से अस्सी प्रतिशत लोगों पर पड़े यानि किसानों के ऊपर पड़े उसको देखकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य ही नहीं बल्कि दुःख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से आज हमें अपने प्रान्त के लोगों की जरूरतों को पूरा करना है सरकारी स्तर के ऊपर, बजट उसका जिम्मेवार होता है। बजट हमें वह प्रावधान देता है, वह शक्ति प्रदान करता है जिससे हम बारहों महीने आगे चलकर राज्य की जनता को सुख और सुविधा दे सकें, सुरक्षा की व्यवस्था दे सकें और हर तरह से उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई का इन्तजाम कर सकें। उससे भी आगे चलकर हम उनको विकसित राज्य के अन्दर आगे बढ़ा सकें यह बजट की जिम्मेवारी है और बजट रखने वाले श्रीमान वित्त मंत्री जी की खास तौर से। इस बजट को देख कर मुझे अचम्भा हुआ कि जिन किसानों ने वोट देकर हमें यहां भेजा है, खास तौर से हमारे वित्त मंत्री महोदय को वोट देकर यहां भेजा है वह आज किसानों के ऊपर किस प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको भली प्रकार से जानता हूँ कि यह किसानों की भूल का ही नतीजा है। जहां मुझे इस बात के लिए दुःख है वहां साथ ही साथ इस बात की प्रसन्नता भी है कि यह ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे हुए कुछ प्रोजेस्ट हार्टेड साथी, महानुभाव इस बात को महसूस कर चुके हैं कि यह बजट एन्टी-पीजेन्ट है, मेहनतकश के विरोध में है, किसानों के विरोध में है।

(श्री मोहरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय ने भाषण में 3 बातों का जिक्र किया था उसी तरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने भी तीन बातों का उल्लेख अपने बजट भाषण में किया है। सबसे पहले मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने औचित्य बताया इमर्जेन्सी लगाने का, आपात्कालीन स्थिति लागू करने का। उसके बाद उन्होंने विगत का दिग्दर्शन कराया और उसके बाद उन्होंने आगे के टार्गेट्स रखे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इमर्जेन्सी या आपात्स्थिति लागू करने का प्रश्न है बार-बार इस सदन में आ करके उसी चीज को रोजाना दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूँ लेकिन इनकी आदत पड़ गयी इमर्जेन्सी का औचित्य ठहराने की। इस बात को हम बरदाश्त नहीं कर सकते कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। दुनियां को फासिस्ट बताने वाले आज किस प्रकार से डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें यह दोहराना पड़ता है कि यह जो आपात स्थिति लगाई इसका कतई औचित्य नहीं था। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपात्कालीन स्थिति लगाई इन कारणों से कि देश में हिंसा की प्रवृत्तियां फैल रही थीं और प्रतिक्रियावादी लोग देश के दुश्मन बन गये। उसके जवाब में, उपाध्यक्ष महोदय, साधारण शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि जाब्ता फौजदारी में इस प्रकार के बहुत से सेक्शन हैं जो कि इन चीजों को रोक सकते थे। लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है आपात स्थिति लागू करने की। वास्तव में हमारी सरकार की आर्थिक नीतियां गलत थीं और उन गलत नीतियों के कारण हमारे देश का आर्थिक ढांचा चरमरा गया था और कोई विकल्प नहीं था इनके पास सिवाय इमर्जेन्सी लागू करने के। इसके अलावा कुछ और कारण भी मिल गए लेकिन प्रमुख कारण यह था कि देश का आर्थिक ढांचा बिल्कुल खराब हो गया था। हमारे देश के ऊपर विदेशों का काफी कर्जा हो गया था और हमारी गलत आर्थिक नीतियों के कारण मोहताज होकर दूसरों से पैसा लेते जाने की नीयत हमारी हो गयी थी। इसीलिए मूल कारण, बेसिक कारण और फण्डामेन्टल कारण देश का आर्थिक ढांचा था और हमारी आर्थिक नीतियां बड़ी गलत थीं और उसी का प्रभाव आज हम देख रहे हैं और इस बजट के अन्दर भी साफ तौर से देख रहे हैं। इमरजेन्सी के अन्दर हमारे सामने बीस सूत्री कार्यक्रम है और उसकी ओट लेकर देश के ऊपर जो आर्थिक वजन है उसको कम करने के लिए उसका भार गरीबों के ऊपर डाला जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पौने तीन करोड़ की आबादी का राजस्थान है और उसके बजट को देखा जाये तो उससे किसानों के ऊपर बोझ पड़ेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, किसान जो देश की बाउन्ड्रीज की रक्षा करता है जिस किसान के ऊपर इतना दायित्व है, जिम्मेदारी है, जो किसान लड़ाई लड़ता है, खेतों में अनाज पैदा करता है इसके बावजूद हम यहां बैठकर इस प्रकार का बजट पेश करें, इस प्रकार से यह कर लगायें और उनके ऊपर बोझ डालते जायें यह उनके साथ खिलवाड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आज हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इमर्जेन्सी के साथ ही साथ विगत में जो कुछ किया गया पहले उसके बारे में भी कुछ कहना उचित समझता

(श्री मोहरसिंह)

हूं। जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कि गरीब तबके के लिए लाभप्रद हो सकती हैं, यह सभी जानते हैं। यह सब अच्छी बातें हैं बशर्ते कि वह सही नीयत से की जायें। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज क्या हो रहा है। जहां तक भूमि की समस्या है क्या यह सही ढंग से हल की जा रही है? सिंचाई की व्यवस्था, कर्जे की व्यवस्था है क्या इनके बारे में सरकार की सही नीति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि समस्या के सवाल पर साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हम फण्डामेन्टल चेन्ज चाहते हैं। भूमि को हम गरीब लोगों को देना चाहते हैं। आइडल लैण्ड टू दी आइडल हैण्ड्स–खाली हाथों में खाली जमीन दी जाये तब जाकर देश का नक्शा पलटेगा। देश को हम खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो समाजवाद के अलावा दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। समाजवाद के अन्दर जिस प्रकार के बजट आने चाहिए और जिस प्रकार से भूमि सुधार होने चाहिए उनको ही लेकर आगे चलना पड़ेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय से और दूसरे मंत्री महानुभावों से कि कितना भूमि सुधार हमने किया है? क्या 17 फरवरी को जगजीवन राम जी कृषि मंत्री का लैटर सब चीफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया कि भूमि सुधार की गति बहुत धीमी है क्योंकि शुरू में 14 फरवरी को जगजीवन रामजी के महकमे वालों ने रिपोर्ट की कि 30 जून तक इस तरह की धीमी रफ्तार से भूमि सुधार लागू नहीं हो सकेंगे। आज 6 लाख और 54 हजार, 620 एकड सरप्लस भूमि आल इन्डिया लेवल पर निकली है। अत: या तो हमारे आंकड़े गलत है या फिर भारत सरकार के आंकड़े गलत हैं। 6 लाख और 54 हजार एकड़ के करीबन सरप्लस भूमि घोषित करते हैं आल इन्डिया में और इधर हम घोषणा करते हैं कि राजाओं की इतनी जमीन ले ली। बड़ा भारी धुआंधार प्रचार करते हैं कि इतनी जमीन निकाल ली है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में कितनी जमीन गरीबों को देने को आप कहते हैं कि यहां पर हम किसानों को काफी पर्सेंट जमीन देंगे पहले हम सीलिंग से जमीन निकालेंगे। हम उसको सरप्लस मान बैठे हैं लेकिन लोगों ने उस जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। हमने फार्म भरे हैं 16 हजार के करीब चूरू से, नागौर से और जोधपुर से भी फार्म भरे हैं। इस प्रकार से वह जमीन जो अलाट की जाएगी किस प्रकार की जमीन है? कितनी जमीन है? किस प्रकार से लोगों ने अभी तक कब्जे में कर रखी है, कैसे वे जायेंगे, कैसे वे लेंगे? किस प्रकार की जमीन है? बारानी जमीन है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है टीबे हैं, धोरे हैं, किस प्रकार उन पर ट्रेक्टर चला कर उनको बराबर करेंगे, कैसे कमाण्ड बनायेंगे? जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है जो वहां पर रहेंगे उनकी सिक्योरिटी क्या होगी? इस प्रकार से वहां बसने वालों की जिन्दगी की क्या गारण्टी है? जो पीजेन्ट्री वहां जाकर बसेगी उसके लिए क्या इन्तजाम किया है सिक्योरिटी का? यह तो नहीं बता सकते। मैं सोच रहा हूं कि इस प्रकार से भूमि के मामले में सरकार असावधानी से चल रही है। इसके साथ साथ फार्म भरने की भी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, हम फार्म भर लाए हैं, चैकिंग कराई। मैं खुद उसमें शामिल हुआ। एक बीस वर्ष का लड़का है उसने फार्म भरा कि मुझे जमीन दो। उससे कहा जा रहा है

(श्री मोहरसिंह)
कि तुम तो पढ़ रहे हो। पढ़ तो रहा हूं लेकिन रोटी तो चाहिए। क्या गारन्टी है कि पढ़ने के बाद आप उसको नौकरी देंगे ? कोई भी गारन्टी नहीं। जो असिस्टेंट आयुक्त राजगढ़ में आए थे। वह कहते हैं कि इस प्रकार की कोई गारन्टी नहीं। वह कहता है कि मैं काश्त कर रहा हूं। छुट्टी के दिनों में मेरे पिता के साथ काश्त करता हूं मुझे जमीन दी जाय। मैं भी पढ़ने के बाद काश्त करके अपना काम चला सकूं लेकिन उसको जमीन नहीं देंगे और उधर सरकार उसको नौकरी की कोई गारन्टी नहीं देगी। तो यह हालत है जमीनों की। आज लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बावरी शिफ्ट हो रहे हैं। आज आपके लोहार शिफ्ट हो रहे हैं और इसी तरह की बहुत सी और भी कौमें है जो शिफ्ट हो रही हैं। कालबेलिये और बावरी ये कहां जायेंगे ? लेकिन उनको जमीन नहीं दी जाती है। उनको यह कहते हैं कि तुम पीछे की खतोनी लाओ, जमाबन्दी लाओ, पीछे का रिकार्ड लाओ तब तुम्हें जमीन देंगे। सारी कौमें जो इस प्रकार से सन् 58 से गांवों में शिफ्ट हो गई हैं उनको जमीन नहीं मिलेगी। जमीन उनको नहीं मिल रही जमीन जमीन को मिल रही है। जिनके पास जमीन है पहले उनको जमीन मिल रही है। जमीन वालों के पास जा रही है। यह तरीका है उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सीलिंग होने पर जो बची हुई जमीन है उसके वितरण करने का।

इसके साथ में एक और चीज मेरे सामने आई है। एक गरीब आदमी जो फार्म भर कर कमाने भटिंडा की तरफ चला गया और वह फोटो अटेस्ट नहीं करा सका क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वह बेचारा कमाने चला गया। उनका फार्म कट गया क्योंकि वह मौके पर उपस्थित नहीं था। यह जमीन देने का तरीका है? वास्तव में गांवों में जाकर देखो तो मालूम होगा कि इस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार से वह फौजी जो अपनी जान झोंकता है देश की बाउण्ड्री की रक्षा करने के लिए, आज उसके अन्दर कोई कैप्टिन है, कोई लेफ्टीनेंट है जिसको दो सौ रुपया पेंशन का मिलता है, उसका इसलिए फार्म काट दिया जाता है क्योंकि उसको पेंशन मिलती है। चाहे उसके पिता ने खेती की हो, चाहे उसके दादा ने खेती की हो, वह खेती करता हो, लेकिन क्योंकि उसको फौज से अच्छी पेंशन मिलती है इसलिए जमीन नहीं ले सकता। उसके पास आठ बीघा जमीन है वह कहता है कि श्रीमानजी, मुझे जमीन दो। मेरे पास तो पेंशन है। पेंशन के कारण उसको ज्यादा प्रिविलेज नहीं देना चाहते। इस प्रकार से बहुत से लोगों की जमीन आज काट दी गई है। कइयों को थोड़ी थोड़ी जमीन मंजूर करके कुछ फार्म स्वीकार करके उधर 21 तारीख को बीकानेर में बुलाया हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कितना मुश्किल होगा वहां पहुंचना और वहां पहुंचने के बाद शिफ्ट होना। कैसे एडजस्ट होंगे? कैसे वहां पर रहेंगे? कैसे भू-खण्डों को साफ करेंगे ? कैसे पानी के सरकण्डे काटेंगे, कैसे उनको जड़ से निकालेंगे? कैसे दो दो, चार चार हजार रुपये उस पर खर्च करेंगे? आज किसान बर्बाद हो गया और उसके बावजूद भी हमारी बेरहम सरकार, हमारे वित्त मंत्री महोदय यह बजट रखने आये हैं? वे कहते हैं कि किसान खुशहाल हो गया है। आज वह कहते हैं जमीन का 17 हजार की जगह 34 हजार लेंगे। कौन देगा? इसका मतलब है कि उन्हें

(श्री मोहरसिंह)

जमीन नहीं मिलेगी। जो अस्सी प्रतिशत किसान जनता है जो पीजेंट्री है, जो गरीब आदमी का जाना पहचाना धन्धा है, जो काश्त करना चाहता है, जो हमेशा से काश्त करता आया है, जो खेतीहर मजदूर रहा है, जो काश्त करना चाहता है। उसको इस प्रकार से दण्डित किया जा रहा है, उसको जमीन से महरूम किया जा रहा है और इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, और भी कितनी ही दिक्कतें उसके सामने आने वाली हैं। जहां तक भूमि सुधार का सवाल है मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि भूमि सीलिंग के ऊपर की भूमि लेकर भूमि सुधार हेतु हमारी कारगुजारी सही ढंग से नहीं चल रही है।

इसके साथ साथ सिंचाई के बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि सिंचाई की व्यवस्था को आप देखें। जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार बारह महीने के बाद यहां पर हम करीब 29 लाख और कुछ हैक्टर जमीन सिंचित कर पायेंगे। एक आदमी को अगर साढ़े बारह बीघा जमीन देते हैं या साढ़े बारह बीघा पर कोई आदमी कायम हो, कोई 18 बीघा पर हो, कोई 25 बीघा पर हो, कोई 32 बीघा पर हो लेकिन अगर एवरेज साढ़े बारह बीघा का मान लें तो उपाध्यक्ष महोदय, 39 लाख किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था 12 महीने के बाद हम कर सकेंगे। जो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता है उसमें से अन्य जनता को कम करके हिसाब लगा लें तो एक करोड़ साढ़े सित्यासी लाख पीजेंट्री (किसान) जनता है। इसमें कुल मिला कर कितनी जमीन सिंचित बना पायेंगे? कितनी जनता को औसतन सिंचाई का लाभ देंगे? बाईस पर्सेंट, 22.92 पर्सेंट, किसान जनता को हम सिंचाई से लाभान्वित कर सकेंगे 12 महीने के बाद? और यह तब जब कि देश को आजाद हुए 29 वर्ष हो गए। 28 वर्ष हो गए। 28 वर्ष के बाद में 22.92 पर्सेंट सिंचाई हम देश को दे सकेंगे। इस रफ्तार से कब सारे इलाके को सिंचित बना सकेंगे? एक तरफ जमीनों की यह व्यवस्था है और यह समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार अपने आपको कहती है लेकिन पानी का इन्तजाम भी नहीं कर सकती। कोई भी समाजवादी सरकार सबसे पहले पानी का इन्तजाम करती है। जितने भी देश हैं जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं सबसे पहले नहरों की व्यवस्था करते हैं और पानी के सहारे ही वे देश का नक्शा पलट देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई की व्यवस्था के बाद आगे चलूं। हमने कर्जों की बात कही। हमने कर्जे के लिए क्या व्यवस्था की है? आज भी गरीब आदमी बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है। आज भी यहां गरीबों से, चूरू जिले में, नागौर जिले में वैसे ही वसूली कर रहे हैं। आज भी गरीबों के ऊंट बैल नीलाम करते हैं और वह उसी तरह से दूसरे लोगों के सामने हाथ पसारता है कि तुम 15–20 दिन के लिए पैसा देकर बैल बचा दो। हमारी कोआपरेटिव सोसायटी को पैसा देकर तुम मेरे बैल बचा दो, मेरे पशुओं को बचा दो। यह गरीब का उत्थान है? अगर हम देखें तो यह गरीब का भयंकर शोषण है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आज हम खास तौर से इस बात को महसूस कर रहे

(श्री मोहरसिंह)

हूँ कि जो कुछ किया जा रहा है उसके अन्दर वास्तव में गरीब का उत्थान होने वाला नहीं है, हमारा काम ठीक ढंग से चलने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जमीनों की सुधार करने की बात करते हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब हमारे खुद के अन्दर गल्तियां भरी हुई हैं तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे ? कुछ जमीनों को, जो ज्यादा हैं, लेने की बात करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से मंत्रीगण इस प्रकार के हो सकते हैं, जिनको मैं 47 से जानता हूं जिनके पास पहले क्या था और बाद में कितनी सम्पत्तियां बढ़ा ली हैं, उनकी कितनी दौलत बढ़ी है, कितने मकानात बढ़े हैं और आज वे त्याग मूर्ति बनना चाहते हैं। अगर वे दूसरों में त्याग की भावना देखना चाहते हैं तो पहले खुद अपना उदाहरण दें। वह बतायें खुद ही कि मेरे पास इतनी जमीन थी, मैं इतने से अपने बच्चों का गुजारा करूंगा। हम मोरेलिटी की बात करते हैं, आदर्शवादिता की बात करते हैं। लेकिन हम में ही जब मोरेलिटी नहीं तो क्या दुनिया को कह सकते हैं कि इस प्रकार से जमीन को छोड़ो ? इस तरह से जमीन की स्थिति है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति जो जमीन सीलिंग से ज्यादा उन जमीन को लेने की है, जमीन को बांटने की है। सिंचाई की व्यवस्था देने की है, कर्ज की व्यवस्था ठीक करने की है, इ सारी व्यवस्थाओं के अन्दर हमें बिल्कुल सही ढंग से बेसिकली गरीबों को ऊंचा उठाना है। जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है। इस बात को समझ कर आगे चलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी अभी हमने मनोरंजन कर लगाया है। इसके पहले एक बात कहना भूल गया। लोग कहते हैं कानूनी सलाह—गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जावे। यह होना भी चाहिये। यह बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन यह प्रश्न सन् 57 में उठा था सारे देश के कानून मंत्रियों के सम्मेलन में। जब सिद्धार्थ शंकर राय साहब बंगाल में लॉ मिनिस्टर थे और श्री एय्यर साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जब केरल में कानून मंत्री थे, यह बात उस वक्त भी उठी थी—आज से 19 वर्ष पहले कि जो गरीब हैं उनको मुफ्त कानूनी सलाह मिलनी चाहिये। आज बीस वर्ष के बाद यह योजना फिर आ रही है। अगर वास्तव में यह योजना पूरी होती है तो यह खुश किस्मती होगी। ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिये। परन्तु इसमें गड़बड़ियां हैं। 5 वर्ष पहले एक नारा और लगाया गया था, "गरीबी हटाओ" और उस नारे से जो गरीबी की रेखा के नीचे 40 प्रतिशत लोग थे, उनकी संख्या 67.67 प्रतिशत हो गई। इस सरकार के प्रोग्राम का जो पूंजीवादी तरीका है, मैं समझता हूँ उसको बदलना होगा और एक समाजवादी तरीका अपनाना होगा अगर वास्तव में आप देश में एक चेन्ज लाना चाहते हैं; वरना तो कुछ नहीं होगा। मेरे वित्त मंत्री महोदय मुझे माफ करें, मैं साफ बात कहना चाहता हूं, आप हमारे इलाके के नजदीक के रहने वाले हैं। शुरू शुरू में आप जब राजनीति में आये, उस वक्त मैं भी ताल्लुकात रखता था। मैं चाहता था कि राजनीति में जरूर आवें परन्तु सही ढंग से आवें। किसानों के वोट लेकर आप

(श्री मोहरसिंह)

आज यहां आये हैं, यह जान कर दुख और अचम्भा होता है कि आज उन्हीं किसानों को आपने धोखा दिया है। मैं कहता हूं हमारे किसान साथियों को कि वे मजदूर भाइयों को दाद दें, आज वे युनाइटेड हैं। आज मजदूरों का संगठन तगड़ा है। मजदूर इकट्ठा हैं। मजदूरों के पेट के सवाल पर वे एक जगह पर खड़े हो जाते हैं परन्तु यहां ट्रेजरी बैन्चेज पर जो किसान वर्ग के नौजवान बैठे हैं, रतीरामजी बैठे हैं और बैठे हैं, आप किसानों के पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए, उनकी डिमाण्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होकर क्या एक आवाज नहीं लगा सकते है? पोलिटिकल पार्टीज की सदस्यता दूसरी चीज है। रोटी का जहां तक सवाल है किसान का, उसके लिए आपको आज एक जगह पर इकट्ठा होकर किसान को बचाना चाहिए। 5 वर्ष पहले हमारी प्रधान मंत्रीजी ने एक बार यह कहा था कि "हमारा किसान खुशहाल होता जा रहा है" "उसे देश के लिए कुछ त्याग करना चाहिये।" वह त्याग आज हमें हमारे वित्त मंत्रीजी के हाथों इस बजट में देखने को मिल रहा है? यह त्याग कराना चाहते हैं आम किसानों से कि 17 हजार की जमीन के बदले 34 हजार रुपये दें। सिंचाई की दर को आपने ड्योढ़ा कर दिया। इसी तरह से आपने मालिकाना, जो चार रुपया और एक रुपया सिंचित और असिंचित जमीन पर लिया जाता था, को भी डबल कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि यह कर किसान देने की ताकत रखता है? और इधर यह हालत है कि उसके जिंसों के भाव बराबर गिरते जा रहे हैं। आज सवेरे ही इस बाबत यहां पर एक सवाल एक माननीय सदस्य ने पूछा था। मेरे कई साथियों ने सवाल उस प्रश्न पर किये थे। परन्तु मंत्री महोदय ने इतना ही कहा गवर्नमेंट मीटिंग बुलायेगी। आज किसान को मारा जा रहा है। जहां उसने 250 रुपये के भाव का बाजरा बोया आज वही बाजरा 62/-64/- और 68/- के भाव से बाजार में बिक रहा है। रुपये का चार आना हो गया। सात आठ हजार का कर्जा आज किसान पर है। वह कैसे इस कर्जे को उतार पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान की बदकिस्मती है कि जहां वह हाथ लगाता है वहीं पर उसका अनाज धूल के भाव हो जाता है। वह गन्ना, कपास मेहनत कर के पैदा करता है और वही गन्ना, कपास सेठ के मिल में जाकर चीनी और कपड़ा तैयार होकर बाजार में आता है और कई गुने भावों में बिकता है। कई गुना मुनाफा मिल वाले लेते हैं। सरकार कोई कार्यवाही उन पर नहीं करती है। इस प्रकार आज बेरहमी से किसान का शोषण किया जा रहा है। इस पर हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। धूल के भाव में आज किसान का अनाज जा रहा है। वह मर रहा है। कोई उपाय करें, परन्तु क्या उपाय करें कोई उसको पूछने वाला नहीं है। माफ करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सदस्यों को बता दूं, सन् 42 के अन्दर एक सवाल आया था। सारी दुनियां में लड़ाई चल रही थी, ग्रेट वार हो रही थी, उस वक्त लार्ड माउन्टबेटन से पहले जो वायसराय थे, उनकी ओर से एक रिजोल्यूशन आया था। सारी स्टेटस् के प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर आये थे स.पन्नीकर, लोकनायक आणा, अकबर हैदरी, मिर्जा इस्मायल, डोलान्दी,

(श्री मोहरसिंह)

फील्ड आदि वायसराय ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि गेहूं का भाव 9/- रुपये के बजाय 7/- रुपया कर दिया जाये यानी गेहूं के भाव में 2/- रुपये तोड़ कर गेहूं किसानों से लिया जाये। सारे हां हां भरते गये। क्या राय है ? वायसराय ने पूछा। अकबर हैदरी तक हां भरते चले गये। लड़ाई में किसान भी लड़ता है, वह खेत में अनाज पैदा करता है और इस प्रकार कड़ी मेहनत कर देश की सेना की मदद करता है। तो सबने हां भर ली। पंजाब का नम्बर आता है। चौ. छोटूराम से पूछा गया, आप रजामन्द हैं ? उन्होंने वायसराय से कहा, आप क्या कह रहे हैं ? 9 के बजाय 7 के भाव में गेहूं खरीदना चाहते है ? सर छोटूराम खड़े हो गये और उन्होंने कहा, लगता है आज काले और गोरे व्यापारी मिल गये हैं ? उनके कहने का यह तरीका मुझे भी पसन्द नहीं परन्तु उन्होंने सही बात कही। वाइसराय ने पूछा, काले और गोरे कौन ? उन्होंने कहा, सफेद तो अंग्रेज जो हमारे यहां पर सौदागर बनकर आये और काले हिन्दुस्तानी व्यापारी। ये दोनों मिल गये हैं। तो क्या चाहते हैं आप ? आप क्या कह रहे हैं ? 7 रुपये में किसान का गेहूं लेना चाहते हैं ? वायसराय ने कहा, भारत सरकार, अंग्रेज सरकार घाटे में चल रही है ? बफर स्टाक गेहूं का करना है। तो उन्होंने कहा, कोई सा एक मोर्चा संभला दो। इन प्राइम मिनिस्टर को कहो कि वे फौज में आगे रह कर लड़ने वालों की भर्ती दिलवायें या फिर उनको यह कहें कि वे खेत में जाकर काम करने के मोर्चे को मंजूर करें। यह दो रुपये का घाटा ये बर्दाश्त कर पायें ? आगे के मार्चे पर आप किसान के बेटे को ही भेजते हो और उसी को फसल का कम पैसा भी देना चाहते हैं ? चाहिये तो यह था कि आप 9 के बजाय 11 रुपया कर देते। वह लड़ाई में मर रहा है और यहां पर भाव 9 रु. मन के बजाय 7 रुपया मन कर रहे हैं। पहले अगर ऐसा सरकार करेगी तो फिर अत्यन्त अनुचित है। पंजाब से रंगरूट भेजना हम भी बन्द करेंगे। मीटिंग समाप्त हो गई और यह तय रहा कि गेहूं का भाव वही 9 रुपया ही रहेगा। न घटेगा और न बढ़ेगा। यह ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के समय की बात है। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के पास काफी शक्ति थी। सर का खिताब भी उनको दे रखा था, यह ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का ही दिया हुआ था। आज हमारे तरीको और विचारों में उनसे काफी असमानता है। उनके विचार दूसरे किस्म के थे। इससे चार दिन बाद सोनीपत में एक किसानों की सभा हुई, ढ़ाई लाख किसान आये और एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि अगर 7 रुपया 9 रुपया के बजाय गेहूं का भाव किया गया तो पंजाब रंगरूट भेजना बंद कर देगा। यह मैं आपको कह रहा हूं। बेशक आप कांग्रेस में ही रहिये लेकिन जहां किसान का सवाल हो आप वित्त मंत्री को मजबूर कर दें, उनको कहें कि यह नहीं चलेगा। हमको क्षेत्र में जाना है, इलाके में जाना है, हम किसानों के पोते, बेटे हैं, किसान पर अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आप लोगों को साफ कहना चाहिये। आप भी इस मसले पर सोचते जरूर हैं कि यह क्या अड़ंगा आ गया, मैं यह महसूस करता हूं (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसलिए मेरी इस बात पर आप विचार करें कि किस तरह से आप किसान को इससे निकालें और यह टैक्स, सेफ विथड्रा करावें।

Page No 52

(52)

(श्री मोहरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ दो शब्द और कहना चाहता हूँ।

आज हम प्रजातन्त्र में जिन्दा हैं, प्रजातंत्र में चल रहे हैं, प्रजातन्त्र में हम कार्य कर रहे हैं, प्रजातन्त्री कहलाता है हमारा मुल्क। इसके अन्दर मेरी एक शिकायत है, और वह शिकायत यह है कि जहा तक विरोधियों का सवाल है मैं आपको याद दिला दूं कि छः विरोधी M. L. A. जेल में हैं, चाहे वह छोटा जेलखाना हो या बड़ा जेलखाना हो। पब्लिक को मालूम नहीं है कि हमारे लिए कौन रोता है, कौन हमारे लिए क्या कहता है ? लेकिन इसके बावजूद भी हालात इस किस्म के हैं कि जो विरोधी हैं उनके साथ में इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरे चुनाव में, मुझे नहीं कहना चाहिए, यह कहा गया था मीटिंग में खड़े होकर कि क्या करोगे मोहर सिंह को वोट देकर। वह क्या कार्य पूरा करके दिखायगा। मेरे क्षेत्र में आज विकास कार्य बन्द है। लड़ाई में, संघर्ष में मैंने अपनी जिन्दगी बिताई है, लेकिन मैं साफ तौर से बतला देना चाहता हूँ कि यह फर्क नहीं रखना चाहिए। अगर वास्तव में प्रजातन्त्रवाद है तो उनको यह फर्क छोड़ देना चाहिए। ऋग्वेद के अन्दर एक मन्त्र आता है--

यकाशको शकुन्तिका हलगीति वंचति।
आहंते गम्योवशो निगल्याली तिध रिका।

जिस मुल्क का शासक, मुल्क का अध्यक्ष निरंकुश हो जाता है वहां उसी तरह से जनता पीसी जाती है जैसे कमेड़ियों को बाज खत्म कर देता है। क्या हम वन पार्टी रूल की तरफ और डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ? हमें इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि हम वास्तव में कहां जा रहे हैं ? अगर यहा पर प्रजातन्त्र होता तो मैं यह कहता हूं कि विरोधियों को आप बरदाश्त करते। विरोधी आपको ठीक रास्ते पर चलाते हैं। यह मत समझें कि विरोधियों को हम मिटा दें। रास्तमी गोहम मिडदूहम यारतू अस्त हस्तिगेदू रौनके बाजार तू अस्त ? ओ हुक्मरानो, तुम्हारे विरोध करने वाले अगर दुनिया से खत्म हो गये तो तुम्हारे बाजार की रौनक खत्म हो गई समझो। इसलिए मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि 30, 40 या 50 जो कुछ भी हैं यह भी डेमोक्रेसी के तहत पहिये हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो कि मुल्क के खिलाफ हो। यह वह हैं जिन्होंने सामन्तवाद के खिलाफ लड़ाई की है, जो पूंजीवाद से लड़ने वाले हैं, जो अमरीकी साम्राज्यवाद की पूंजीवादी इकोनामी को तोड़ कर देश को एक समाजवादी इकोनामी के ढांचे में ढालना चाहते हैं। हम अपने देश का रंगीन नक्शा बनाना चाहते हैं। इन बातों को आपको सोचना है। वित्त मंत्री महोदय चाहे न सुन रहे हों लेकिन मैं जोर से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गलत टैक्सेज जो किसानों पर थोप रहे हैं उनको हटा दें। रेफ्रिजिरेटर पर टैक्स कम कर रहे हैं और किसानों की जमीन पर दुगना कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह : यह कितने पूंजीपतियों के पक्ष में है ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री मोहरसिंह)

यह क्या हालत है। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं, किसान का गला दबाने वाला जो वाहियात वजन डाला है उस पर गौर करके उसको वापिस लेना चाहिए। तिल से ही तेल निकलेगा। अगर छोटे से जानवर को रगड़ रगड़ कर आप कुप्पे को भरना चाहेंगे तो वह नहीं भरेगा। किसान पिछले सालों के कर्ज से मुफलिस है, बेतरह दबा हुआ है। इसलिए मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि इस बात को वित्त मंत्री महोदय को सोचना चाहिए और इन सवालों पर विचार करके इस बजट के अन्दर जो वजन किसानों पर डाला गया है उसको तुरन्त वापिस लेना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जो वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखा है और उनकी भावना जो गरीबों को दबाने की है उसका मैं कठोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगानी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी नाम है।

श्री नत्थासिंह : मेरा नाम पहले भी रह गया था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : लिस्ट में मेरा तीसरे नम्बर पर नाम है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट के बारे में निवेदन करूंगा कि वह संतुलित बजट है। माननीय सदस्य अपनी भावनाओं से फर्मा रहे थे उसका जवाब तो राज्य सरकार देगी क्योंकि वह सक्षम है, मगर पार्टी की नीति पर कुछ आरोप हैं तो मैं कहने का प्रयास करता हूं। जहां पर किसान भाइयों के लिए माननीय सदस्य ने इतना प्रेम बताया, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान भाइयों की सेवा में कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रही है। जहां तक हो सके सब तरह की सुविधायें उनको प्रदान करनी चाहिए। जो भी सुविधाएं बिजली पानी देने की हैं वह सुलभ कराई जा रही हैं। आखिर बिजली और पानी लाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ रहा है वह कोई आसमान से नहीं बरसता है। उस खर्च को कौन बरदास्त करेगा? एक माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि कोई किसान भाई नाराज न हो जाय जो कुछ भी उन पर खर्चा किया जाता है वह कर के रूप में औरों से वसूल किया जा रहा है। यह दो तरह की दृष्टियां आती हैं। भावनाओं को जागृत करना एक चीज है और काम को चलाना दूसरी चीज है। मैं इस वक्त इस मौके को दूसरे काम में लेना चाहता हूं। जहां तक अमेरिका और भारत का सम्बन्ध है आपने कल या परसों के अखबार पढ़े होंगे, हमारे यहां के राजदूत कौल साहब ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अगर आप से बात करता है तो बराबर के दर्जे से करता है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। वे भावनाओं को जागृत करने के बजाय बजट के अन्दर जो चीजें अच्छी हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस आपातकालीन स्थिति में इन बातों को पेश किया है जिनसे लोगों को लाभ हुआ है। आपातकालीन स्थिति का जहां तहां जिक्र आता है, बजट में भी इसका वर्णन किया

(श्री माणकचन्द सोगानी)

गया है। क्या हम नहीं जानते हैं कि कुछ समय पहले इसी जगह विधान सभा के बाहर काम करना दुर्लभ हो गया था। हमारे यहां पर रात दिन मिटिंगों में होने से कोई कार्य करने के लिए हमें मौका नहीं दिया जाता था। जगह–जगह पर हड़तालें हो रही थीं। आज हम देखते हैं कि वह रोक निकल गई है। क्या हुआ चन्द हजार आदमी बन्द कर दिये। अगर जनता उनके साथ में होती तो विद्रोह हो जाता। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे आपने उसी वक्त बोलने का मौका दिया है जब कि भावनाएं उभारी गई हैं। मैं इस पर ज्यादा न कह कर नई चीज कहना चाहता हूं।

हमारे यहां पर वित्त मंत्रीजी ने कुछ चीजों पर, जो कि आम आदमी की जरूरत की हैं, रियायत पहुंचाई है। जहां पर करों के अन्दर कमी की जरूरत है वहां पर उन चीजों पर कमी की गई। जहां पर जरूरत थी वहां पर व्यापारियों को छोड़ा गया है। बजट में और चीजों को देखते है तो उन्होंने बताया है कि उद्योगों के अन्दर जो आम आदमी की जरूरत की चीज है उस पर पहले 7 पर्सेन्ट था वह 5 पर्सेन्ट कर दिया गया है। जो रेडीमेड गारमेंट गरीब आदमी खरीदता है उस पर 10 पर्सेन्ट की जगह 7 पर्सेन्ट कर दिया है। हलवाई और नमकीन और मिठाई बेचने वालों के लिए कई प्रकार की दिक्कतें पहले पड़ा करती थी उनके लिए एक सरल रास्ता निकाल दिया है। जो भी आदमी छूट लेना चाहता है तो पहले की रेट से डेढ गुनी रेट देकर तमाम बातों से मुक्त हो सकता है। यह तमाम अच्छी चीजें हैं जिन पर माननीय सदस्य ने गौर नहीं किया है। रेफ्रिजिरेटर का जहां पर सवाल आता है तो रेफ्रिजिरेटर आधुनिक युग के अन्दर हर आदमी उपलब्ध करना चाहता है तो उसके उद्योग को पनपाने के लिये कुछ रियायतें दी हैं, क्योंकि बराबर की स्टेट्स के अन्दर रेट में कमी थी तो यहां पर कमी करके दिखाई है।

जहां तक सिनेमाघरों का सवाल है तो आज राजस्थान पत्रिका में मैंने पढ़ा है उसमें एक बात बताई गई है कि हमारे यहां पर जनता के लिए मनोरंजन का सस्ता साधन सिनेमाघर है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने यहां पर लगी भीड़ को देखकर यह सोचा होगा कि इन पर कर बढ़ाने के लिए कोई गुन्जायश है। तो पत्रिका में यह बताया गया है कि इतने बड़े शहर के अन्दर जितने भी सिनेमाघर हैं वह दरअसल में कम हैं। अगर सिनेमाघर की अधिक संख्या हो तो इतनी भीड़ नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भीड़ आम तौर पर सिनेमाघर के सामने दिखती है वह उस तबके की है जिनके और साधन नहीं हैं, कोई क्लब नहीं है उन पर यह अतिरिक्त भार बढ़ाया जाता है तो यह दूर करना चाहिये। यह नहीं कि खाली भीड़ होने से यह विचार कर लिया कि ज्यादा रकम देने में सक्षम हैं, यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट में बताया है कि 8 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार हमें अभी जो वालन्टरी डिसक्लोजर हुआ है उसका देगी। यहां पर वित्त मंत्रीजी का अपना अनुभव होगा लेकिन मैं भी इस बात को अपने अनुभव से कहना चाहता हूं जो वालन्टरी डिसक्लोजर हर

(श्री माणकचन्द सोगानी)

स्टेट से पहुंचा है उसको बांटा गया है। खास तौर से जयपुर से और जयपुर के राज घराने से करोड़ों रुपया, वालन्टरी डिसक्लोजर में पहुंचा है मगर उस केस की जयपुर में जांच नहीं करके दिल्ली में जांच हुई है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वह जांच राजस्थान में होनी चाहिये और उसका पूरा लाभ हमको मिलना चाहिये। इस पर वित्त मंत्री जी बराबर ध्यान देकर केन्द्र से लिखा पढ़ी करें वह रकम हमें प्राप्त होनी चाहिये। मैं उस तरफ वित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और भी इन्डस्ट्रियल हाउसेज राजस्थान में काम कर रहे हैं वे लोग अपने इनकम टैक्स के हिसाब जहां हैड आफिस होता है, वहां भरते है। अगर कानून इस तरह लागू किया जाय कि जो शाखायें यहां हमारे राजस्थान में खुलती हैं उनके हैड आफिस यहीं होने चाहिये ताकि टैक्स की प्राप्ति अधिक हो और वह रकम टैक्स के मार्फत अच्छी इकट्ठी होकर यहां के भाइयों के काम में आवे। वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

मेरा यह निवेदन है कि पानी की स्कीम पी. एच. डी. की स्कीम वित्त मंत्री जी के मार्फत है, इस सम्बन्ध में मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी अजमेर क्षेत्र में पिछले साल बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। अब तीन महीने बाद फिर वर्षा आने वाली है। वहां पर जो कुछ उपाय किया गया है वह इतना पूर्ण नहीं है इसलिए वहां के लिये अधिक रकम निकालनी चाहिये। जो झीलें अभी भरी हुई हैं उनमें अगर कुछ भी पानी भर गया तो पहले ही वहां हाहाकार मचा हुआ है और इस बार तो सारा नगर ही तबाह हो जाने की आशंका हो जायगी। अभी वित्त मंत्री जी ने कुछ रकम भेजी है। यू.आई.टी. की मीटिंग में मैं भी बैठा था। जहां तीन हजार घर उजड़ गये हैं वहां केवल तीन सौ घर बना सकते हैं। तीन हजार की जगह तीन सौ बनते हैं तो उनको भी बना दिया जाय। मेरा निवेदन है कि कोई भी प्रकार से जो बाढ़ से पीड़ित हैं या जो बेघरबार हो गये हैं उनके लिए इसमें प्रावधान करके उनको बसाने की योजना होनी चाहिए। जो अभी तक भी नहीं बसे हैं उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर पिछले साल ड्राई एरिया घोषित किया गया था, इस साल के बजट भाषण में कोई भी डिस्ट्रिक्ट ड्राई एरिया के लिये नहीं चुना गया है जब कि हमारी नीति यह है कि मद्य निषेध करना चाहिए। कान्स्टीट्यूशन का पालन करते हुये दिनों दिन बल दिया जा रहा है कि हमें इस इन्कम पर अवलम्बित नहीं रहना है। कुछ एरिया लेकर ड्राई घोषित करते थे लेकिन अब वह भी नहीं करा। इस बजट में वह चीज अखरती है।

जहां, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि सड़कें तैयार हुई हैं, डेयरी तैयार हुई हैं—तमाम चीजें हैं उनके लिए तो वित्त मंत्री जी को बधाई है। सहकारी समितियों में वीकर सेक्शन के लिए यह प्रावधान किया गया है कि हर समिति में वन थर्ड भाग लेने वाले वीकर सेक्शन के आदमी स्वयंमेव चुने जायं, यह कदम बहुत अच्छा कदम है और सहकारी समितियां जो हजारों और लाखों की तादाद में बढ़ रही है, उनमें यह ठीक प्रकार का काम किया है। लेकिन जहां आपत्ति की बात

(श्री माणकचन्द सोगानी)

आती है मैं कहना चाहता हूं। जहां बिजली का सवाल आता है, बिजली का हाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर शहर की रोज की बीती हुई बात को निवेदन करना चाहता हूं। बिजली रात्रि के समय चली जाती है और जहां गलियों में रात्रि को उजाला होना चाहिए वहां लगातार अन्धेरा रहता है चाहे वह किसी वजह से हो, चाहे आर. एस. ई. बी. की वजह से हो या म्यूनिसिपैलिटी की वजह से हो, मगर 6-6 माह तक बराबर गलियों में अन्धेरा बना रहता है। ट्रान्सफार्मरों का ठीक उपयोग नहीं हो रहा है, ट्रान्सफार्मरों की गड़बड़ी के कारण घरों के बल्ब फ्यूज होते जाते हैं। वहां पर राज्य सरकार को यह भी देखना जरूरी है कि हमारे वे कर्मचारी जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं उनको सजा दी जाय चाहे ट्रांसफर की हो या इस वक्त जो बाहर बैठाया जा रहा है, वह चीज उन कर्मचारियों के साथ की जाय। मगर हम यह देखना चाहते हैं जो शहर खिला हुआ है, पढ़े हुए लोगों का शहर है वहां हर समय बिजली अपेक्षित है। जब से आर. एस. ई. बी. ने बिजली का काम हाथ में लिया है तब से ही यह गड़बड़ियां होना शुरू हुआ है। पहले प्राइवेट कम्पनी इस काम को करती थी तब ऐसा नहीं था।

मुख्य मंत्री जी ने छोटे मोटे आदमियों को जिनको निरर्थक पाया गया है वहां इस बात की बड़ी जरूरत है कि जो आदमी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाय अथवा जो कुछ भी उचित समझी जाय, वह कार्यवाही की जाय ताकि अजमेर शहर को बिजली के मामले में सहूलियत हो सके।

जहां पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन का सवाल आता है, मेरा घूमने का भी खूब काम पड़ता है। 50 प्रतिशत तक रूटस को नेशनलाइज करने का कहा है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब बस में बैठकर लम्बी यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं जो तांगे में भोंपू लगाते हैं वह उस बस में लगा हुआ है, बिजली का हार्न नहीं है। मैंने उससे पता किया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे सका। जब भी हमारे राज्य में - जयपुर और अजमेर में हरियाणा की गाड़ियां खड़ी होती है और जब दोनों गाड़ियां रवाना होने लगती हैं तो यात्री हरियाणा की गाड़ी की ओर दौड़ता है, राजस्थान की बस की तरफ नहीं जाता है। तो मेरा निवेदन है जो चीज है, जो खामी है उसको दूर करना चाहिए। हरियाणा की बसें अच्छी हैं, टाइम पर चलती हैं और टाइम पर पहुंचा देती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। कोई भी ड्राइवर जो कई सौ मील यात्रा करता है और हार्न नहीं हो तो उसको कई जगह परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। इसलिये इसको ठीक करना जरूरी है।

जहां तक अस्पतालों का सवाल है, 5 साल में 1100 बैड्स बढ़े हैं धन के अभाव में यह बहुत कम है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे यहां जितनी शैय्यायें है वह बढ़नी चाहिए। मेरे एक मित्र अभी कह भी चुके हैं कि जो चद्दरें बिस्तरों पर लगी हुई हैं वे फटी हुई हैं। दवायें पूरी तरह पहुंच नहीं रही हैं। हमारे

(श्री माणकचन्द सोगानी)

यहां के जो मन्त्री जी हैं वह बहुत सजग हैं, मगर यह चीज काबू में लाना बहुत ही जरूरी है। जहां तक हमारे मन्त्री महोदय, का सम्बन्ध है छंगानी साहब को देखा है कि उन्होंने अजमेर यात्राएं की हैं, मगर यह बजट का सवाल आता है···

श्री ओंकारलाल चौहान : यात्राओं से सन्तुष्ट हैं क्या आप ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके यहां यात्राएं करने के लिए तो सारी दुनियां के लोग आते हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि दवाओं के सम्बन्ध में हमारे यहां के बजट में जो प्रावधान किया गया है उसमें कुछ और ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्यों के लिये खाने पीने की जरूरतों के बाद प्राथमिकता का सवाल आता है तो वह सवाल आता है तन्दुरुस्ती का। दवाओं में आपने सात पर्सेन्ट से पांच पर्सेन्ट की छूट दी है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अब तक जो भी शफाखाने हैं वे सभी जनता को लाभ पहुंचाने की स्थिति में हैं या नहीं। अगर वे लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए और उसके लिए अधिक रकम का बन्दोबस्त होना चाहिए।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का काम है, इसकी क्रियान्विति के लिए मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसमें एक बात मुझे तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे मन्त्री महोदय श्री परसरामजी साहब की ड्यूटी है, उसकी बराबर मीटिंगें होती रहती हैं जिससे हमारे यहां के आफिसर्स भी बराबर अपने काम में सजग रहते हैं और इसलिए ज्यादा जरूरी है जहां बजट के अन्दर 75 लाख के काश्त से खाद उत्पादन की सूचना मिली है वहां पर मुझे यह अर्ज करना है, जहां पर औद्योगिक उत्पादन और प्रयासों में काम हो रहा है वह बहुत ही कम हुआ है सिवाय एक गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल में स्पिनर्स बढ़ाने के। लेकिन यहां पर प्राइवेट क्षेत्र में किशनगढ़ में तीन हजार पावरलूम लगे हुए हैं जो कि लंगड़ा रहे हैं और आज हालत यह हो रही है कि वे बन्द होते जा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का यह फर्ज है कि इस बात का प्रयास किया जाय कि तीन हजार पावर-लूम किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं। उससे कितने ही मजदूरों का नुकसान होगा और कितने ही लोग बेरोजगार हो जायेंगे और खाने-पीने से महरूम हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगा। मेरा अर्ज करना यह था कि बजट में जैसा कि आपने यह रखा है कि उन इन्डस्ट्रीज को खड़ा करने में 85 करोड़ 86 लाख इस तरफ लगाने को जा रहे हैं, इसको बीस सूत्री कार्यक्रम में लिया है, यह एक बहुत अच्छा कदम है। दरअसल में यह बीस सूत्री कार्यक्रम और आपातकालीन स्थिति जिस रोज कायम हुई उस तिथि को सारे देश के अन्दर एक पर्व की तिथि के रूप में मनाया जाना चाहिए जिस प्रकार से हम दूसरे पर्वों को महत्व देते हैं उससे भी अधिक महत्व इसको दिया जाना चाहिए।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

अब मैं आपको दो लफ्ज और अर्ज करके अपना स्थान लूंगा। मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार बजट के अन्दर गांवों के अन्दर पीने के पानी के लिए प्रावधान किया गया है, उस प्रकार शहरों के अन्दर पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिये ओवर-हैड टैन्क हों, चाहे कुछ फेज्ड स्कीम में हों, इस ओर हमको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में जो बजट वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को 1976-77 का बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई पेश करना चाहती हूं, बधाई इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई समाजवादी, सन्तुलित या कोई बहुत अच्छा बजट रखा है बल्कि इसलिए कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि किसी भाग्यशाली वित्त मन्त्री को ही पूरे पांच साल बजट भाषण देते रहने का अवसर मिलता है। पूरे पांच वर्ष जिनको भी बजट पेश करने का मौका मिला वे दुबारा नहीं आये और दुबारा आये तो वित्त मन्त्री नहीं बने। लेकिन मैं अपनी ओर से शुभकामना करती हूं माननीय वित्त मन्त्री जी के लिये कि वह जीत कर आयें और इस सदन के सदस्य बनें और फिर आगे भी वित्त मन्त्री बनें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट की है और वह यह कि पिछले चार साल में जो वित्तीय आर्थिक कठिन परिस्थितियां थीं उनसे किसी हद तक हम ऊंचे उठ सके हैं। यह बात तो सही है लेकिन मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे जब इसका जवाब देंगे तो उसमें यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे टोटल डेट्स (debts) ईयर बाई ईयर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और कैसे बढ़ते जा रहे हैं? मैं सदन की जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगी कि 74-75 में राजस्थान राज्य का कुल कर्जा 913.17 करोड़ था जो 75-76 में बढ़कर 977.69 करोड़ हो गया और इस वर्ष की समाप्ति तक यानि मार्च की समाप्ति तक यह कर्जा बढ़कर 1010.10 करोड़ हो जायगा। इसके फलस्वरूप जो ब्याज की राशि है वह भी बढ़ती जा रही है। ब्याज की कुल राशि जो 74-75 में 47.17 करोड़ चुका दी थी, 75-76 में यह 50.93 करोड़ हो गई और 76-77 में बढ़कर यह ब्याज की राशि 64.32 करोड़ हो जायगी। वैसे ही, माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सभी क्षेत्रों में आल इण्डिया एवरेज के मुकाबले कहीं पीछे है, बिजली में, शिक्षा के क्षेत्र में, इरिगेशन में, स्वास्थ्य सेवाओं में, परिवहन में, सड़कों में और अन्य सभी क्षेत्रों में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें हम गर्व और गौरव के साथ यह कह सकते हैं कि हम राजस्थान में आल इण्डिया एवरेज के मुकाबले ऊंचे हैं, आगे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। हम औद्योगीकरण के लिए न उपयुक्त वातावरण ही बना पाये हैं और न आवश्यक साधन-सुविधायें ही जुटा पाये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निरक्षरता में सबसे आगे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विशेषकर महिलाओं की निरक्षरता में।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरी बात की पुष्टि हो गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खाली दो प्रतिशत, कुल 19 प्रतिशत शिक्षित हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : महिलायें 8 प्रतिशत हैं, आप करेक्ट कर लीजिये। तो मैं यह निवेदन करना चाह रही थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब ही हालातों के अन्दर, माननीय वित्त मंत्री जी, सब क्षेत्रों के अन्दर हम पिछड़े हुए हैं और हमारे कर्जे की राशि बढ़ती जा रही है उसके इन्ट्रेस्ट की राशि भी बढ़ती जा रही है, इन सब हालातों के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी ने कैसे कहा कि हमारी आर्थिक वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ है और हमने कई क्षेत्रों में अनावश्यक खर्च की कमी प्रशासन तंत्र को कसकर की है और काफी सतर्कता बरती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने अपने बजट भाषण में शुरू में और अन्त में भी यही कहा है, इस बात की आवश्यकता नहीं थी। शुरू में ही दूसरे पेज पर, माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि नये आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है उस सबका श्रेय प्रमुखतः हमारे मुख्य मंत्री जी को है। हिन्दुस्तान में बड़ी मुश्किल से एक नेता और एक झण्डे वाली बात फलीभूत हुई है। एक झण्डा तो इस देश में आजादी के बाद से हो गया परन्तु एक नेता बहुत अर्से के बाद इस देश में हुआ है इसलिए इस आर्थिक प्रोग्राम का श्रेय यदि किसी को है तो वह हमारे देश की एक मात्र और हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को है न कि मुख्य मंत्री को। बजट तो लेखा जोखा है मंत्रीमंडल का, उस कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी का जो मंत्रीमंडल तथा खास तौर से मुख्य मंत्री पूरा लेखा-जोखा उन्हीं का पेश होता है। कोई आवश्यकता नहीं थी कि इसका श्रेय मुख्य मंत्री को देते। इसका श्रेय तो हमारे देश की एकमात्र नेता, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को है, जिन्होंने न केवल यह प्रोग्राम दिया, बल्कि जिनकी मुस्तैदी, जिनकी सतर्कता, जिनकी प्रेरणा तथा जिनके डर की वजह से आज सब लोग इसकी क्रियान्विति में लगे हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : डर किसे है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कुछ लोगों को भय है...

श्री नत्था सिंह : भय बिन न होय प्रीत।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ पर्सेन्ट बताया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कुछ लोग भावना से, कुछ लोग मन से, कुछ लोग भय से, डर से इसके पीछे लगे हुए हैं।

मैं निवेदन कर रही थी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी को यह सब कहने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह कह गये, यह शायद सुरक्षित रखने के लिए अपना स्थान मंत्रीमंडल में कह गए। मुझे आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूं, पहली बार इस प्रकार का बजट भाषण पढ़ने में आया है। मैं पिछले उन्नीस वर्ष से इस विधान सभा की सदस्या

Page No 60

(60)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

हूं, मैंने सभी वित्त मंत्रियों का भाषण सुना है, वित्त मंत्री ने किसी बात के लिए बधाई या श्रेय कभी मुख्य मन्त्री को नहीं दिया। सारा श्रेय वैसे ही अल्टीमेटली राज्य सरकार को जाता है, या कांग्रेस पार्टी को जाता है और सबसे बढ़कर राजस्थान की जनता को जाता है जो जनता प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में किस मुस्तैदी से, किस तत्परता के साथ, किस भावना से प्रेरित होकर काम में जुटी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने आर्थिक स्थिति के बारे में यह बतलाने की कोशिश की है पिछली बार के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इन्डेक्स प्राइसेज, कुछ फूड ग्रेन, सामान्य इन्डेक्स और औद्योगिक कच्चे माल के बारे में आंकड़े देकर यह बतलाने की कोशिश की है कि इस बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद कीमतें नीचे गिरी हैं। लेकिन मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगी कि यह चीजों के उन्होंने किस साल की कीमतों को आधार मान कर आंकड़े दिये हैं। मैं भारत सरकार के माध्यम से संकलित आंकड़ों के माध्यम से बतलाना चाहती हूं, यह इन्डेक्स जो उन्होंने दिया है, माह जनवरी 1975 का, मेरे पास फिगर्स हैं वह अक्टूबर 1974 और अक्टूबर 75 के हैं। उनमें से मैं पढ़ कर सदन की जानकारी के लिये बतला देना चाहूंगी, वह क्या शो करते हैं।

एग्रीकल्चर कमोडिटीज में फूड ग्रेन्स का अक्टूबर 1974 का बेस 1961-62 की होलसेल प्राइसेज को आधार मान कर है, फूड ग्रेन्स अक्टूबर 74 में 431.4 था, वह अक्टूबर 75 में 359.2 रह गया। ओइल सीड्स का अक्टूबर 74 में 399.6 था, जो अक्टूबर 75 में 293.2 रह गया। शुगर केन का अक्टूबर 74 में 267.8 था, वह अक्टूबर 75 में 226.3 पर आ गया। मतलब यह निकलता है कि ओइल सीड्स की प्राइसेज में अन्तर 106 का था, फूड ग्रेन्स में 80 का अन्तर है। इन्डस्ट्रियल कमोडिटीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगी, इन्डस्ट्रियल कमोडिटी की क्या हालत है। टैक्सटाइल का अक्टूबर 74 में 238.4 था, वह अक्टूबर 75 में 223.2 हो गया। स्लाइट डिक्लाइन। उसके बाद शुगर अक्टूबर 74 में 343.3 थी, वह बढ़ कर अक्टूबर 75 में 398.4 हो गई। मेंटल प्रोडक्ट 282.6 थे अक्टूबर 74 में, वह अक्टूबर 75 में 299.5 हो गये। कोल अक्टूबर 74 में 244.3 था, वह बढ़ कर अक्टूबर 75 में 331.6 हो गया। कोक अक्टूबर 74 में 357.3 था, जो बढ़ कर अक्टूबर 75 में 423.4 हो गया। फ्यूअल एण्ड पावर अक्टूबर 74 में 320.4 था, वह बढ़ कर अक्टूबर 75 में 351.6 हो गया। माननीय वित्त मंत्री जी, आप इस स्थिति को क्या उचित समझते हैं कि सूखी लकड़ी की कीमत ज्यादा है और शुगर केन इससे सस्ता है। सोचिये, कौन शुगरकेन ग्रो करेगा, कैसे चीनी मिल चल सकेगी? आज आप गंगानगर में जायं, यह हार्ड फैक्ट है, सच कहती हूं, आप किसी से पूछ लीजिये गंगानगर में जाकर, गन्ने की कीमत सूखी लकड़ी की कीमत से कम है। किसी भी ऐसे देश के अन्दर जहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो, आप कृषि से उत्पन्न वस्तुओं की उसकी किस हद तक गिरने देना अलाऊ

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करेंगे। बाकी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा है। यह स्थिति है। आज भले ही हम संतोष कर लें। किसान देश की बुनियाद है, राष्ट्रीय इन्कम एग्रीकल्चर सैक्टर से 52 पर्सेन्ट है। इस स्थिति में फूड ग्रेन की प्राइस गिरने देने की बात कहां तक उचित है? फिर भी आप इस ट्रेन्ड को रोकें नहीं। अभी कह रहे थे, जोधपुर से सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, लेनिन की बात और भी कहते रहते हैं, लेकिन लेनिन ने यह भी कहा है फूड ग्रेन्स इज दा करेन्सी आफ आल करेन्सीज लेकिन आज यह बात सही साबित नहीं हो रही है क्योंकि फूड ग्रेन की प्राइसेज बहुत नीचे गिर गई हैं, बाकी चीजों की प्राइस उस रेश्यो, उस अनुपात में नहीं गिर रही है। मैं निवेदन कर रही थी, जिस देश के अन्दर कृषि के ऊपर 80 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं। कृषि से जहां की राष्ट्रीय इन्कम 52 पर्सेन्ट है, 52 पर्सेन्ट इन्कम केवल एग्रीकल्चर सैक्टर देता है, वहां का काश्तकार देता है किसी हद तक, फूड ग्रेन की प्राइसेज को इस हद तक गिरने दें–यह कहां तक उचित होगा? क्या यह इकॉनामी चलेगी? इस इकॉनामी में काश्तकार को इन्सेंटिव नहीं रहा और उसने फैसला कर लिया, उतना ही पैदा करेंगे जितना मुझे खाना है। तो देश का क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा, पॉलिटिक्स का क्या होगा? अर्थ तंत्र का क्या होगा?

मैं निवेदन कर रही थी, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम काफी लम्बे समय से लोंग स्टेबल काटन है, उसको इजिप्ट से इम्पोर्ट किया करते थे। पिछली बार गंगानगर में लोंग स्टेबल काटन लोगों ने पैदा की थी। पिछले वर्ष जब कि काटन का भाव 450 रुपये क्विन्टल का था, इस बार 250 रुपये लोंग स्टेबल काटन है, जहां लाखों रुपये फारेन एक्सचेंज के खर्च किये जावें, लोंग स्टेबल काटन है उसका आज 250 रुपये में खरीददार नहीं मिल रहा है। जिस काटन का पिछली बार 450 रुपये का भाव था, आज वहां चारों तरफ इतना ज्यादा असंतोष है, लंबे रेशे की कपास गोदामों में पड़ी खराब हो रही है। दूसरी तरफ माननीय वित्त मंत्री ने किस केलकुलेशन पर, किस आधार पर कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर मालिकाना है उसे दुगुना कर दिया? सब जगह इरिगेशन रेट्स उन्होंने बढ़ा दीं। इनपुट्स सस्ते होना तो दूर रहा, इनपुट्स महंगे हो गये हैं, फर्टीलाइजर को देख लीजिये, पेस्टीसाइड्स को देख लीजिये, इरिगेशन रेट्स देख लीजिये। इलेक्ट्रिसिटी का टेरीफ पिछली बार बढ़ चुका है, ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। इन हालात में आखिर कोई आदमी कोई पेशा करता है, उसकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन क्या है, उसका मार्जिनल प्राफिट कम करने का अधिकार तो है, लेकिन कोस्ट आफ प्रोडक्शन से नीचे कीमत जाय–यह इकॉनामी मेरी समझ में नहीं आती कम से कम।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी, माननीय वित्त मंत्री जब कभी यहां पर बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं तो उसके कुछ दिन पहले के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतिलिपि की ओर ध्यान नहीं देते, उसे पढ़ते नहीं। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, हर बार फिगर्स में कान्ट्रडिक्शन रहता है। आप

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

ट्रान्सपोर्ट नेशनलाइजेशन की बात ले लीजिये, परिवहन राष्ट्रीयकरण के बारे में। उसके बारे में पिछली बार बजट भाषण में कहा था, हम अगली साल मार्च, 76 तक 40 पर्सेन्ट, जिसे कहना चाहिए, परिवहन का नेशनलाइजेशन कर लेंगे। लेकिन उसके अगेन्स्ट अब तक हम केवल 31 पर्सेन्ट ही अचीव कर पाये हैं। इस बार फिर वित्त मंत्री ने कहा, हालांकि बजट भाषण में कहा यह है, हमने पिछले वर्ष 40 पर्सेन्ट कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर तक 50 पर्सेन्ट कर लेंगे लेकिन टार्गेट है, उसमें केवल 31 पर्सेन्ट ही कर पाये हैं। बिजली का सवाल है, यह बात सही है, आल इंडिया एवरेज से भी काफी नीचे है। उस सबके बावजूद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तत्परता, इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए मुस्तैदी देखें। इलेक्ट्रिसिटी को बेस माना गया है सारे डवलपमेंट का, उसके बारे में काफी कुछ प्रावधान वित्त मंत्री ने इस बार किया है लेकिन उसका भी हमेशा से टार्गेट्स अचीव करने का यही तरीका है और इसका भी यही अंजाम है। पिछली बार 700 गांवों और 7 हजार कुओं के इलेक्ट्रिफिकेशन का टार्गेट था, उसके मुकाबले में हम केवल अब तक मुश्किल से 350 गांव और मुश्किल से 4500 कुओं का विद्युतीकरण कर पाए हैं। पिछली बार बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने हमको 700 गांव और 7000 कुओं के विद्युतीकरण की बात कही थी। इस बार फिर उन्होंने दोहराया है—एक हजार बस्तियों का और 10 हजार कुओं का। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ये टार्गेट्स जो फिक्स किए जाते हैं, आप्टीमिस्टिक क्यों किये जाते हैं? रीएलिस्टिक करने चाहिए। जितने हमारे पास फाइनेन्शल रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारे पास मैटीरियल की उपलब्धि है, इन सबको ध्यान में रखकर प्रैक्टीकल टार्गेट्स होने चाहिए फिर उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। वित्त मंत्रीजी बजट भाषण के द्वारा हमारी आकांक्षाओं को जगाते हैं, फिर विद्युत् मंडल आप्टीमिस्टिक टार्गेट्स को रीएलिस्टक टार्गेट्स क्यों नहीं कर पाते?

उपाध्यक्षजी, इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहती हूं कि कई बार तो भ्रम में डालने की बात विद्युत् मंडल द्वारा की जाती है। पिछली बार 8 दिसम्बर को मुख्य मंत्रीजी झुन्झुनू पधारे थे। हम खुश हुए, झुन्झुनू के तमाम लोगों, खास तौर से काश्तकारों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। वहां पर 132 के. वी ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास मुख्य मंत्री करके आए। इस समय सबसे अधिक गड़बड़ जो बिजली की है, वोल्टेज की कमी की है तो झुन्झुनू जिले में है क्योंकि वह जिला, यह सही है कि जहां तक बिजली के एक्सटेन्शन का सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है लेकिन झुन्झुनू में वोल्टेज की कमी, ट्रांसमिशन लाइन्स की कमी है। मुख्य मंत्री ने 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया, हमें आश्वासन दे दिया कि एक वर्ष के अन्दर इसका काम पूरा हो जाएगा फिर आपकी ट्रांसमिशन लाइन को रतनगढ़ से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में 50 लाख रुपए का बैंक आफ बड़ौदा ने विद्युत् मंडल को लोन दिया लेकिन अभी मुझे पता लगा है 5-7 दिन पहले कि यह काम रोक दिया गया है और कह दिया गया है कि यह फीजीबल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं है और रतनगढ़ को झुंझुनूं लाइन बनाने में कोई तुक नहीं है और इसलिए स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। अब मुख्य मंत्रीजी 1।। करोड़ के प्लान के किसी कार्य का शिलान्यास करें उससे पहले टेक्नीकल राय नहीं लें, जिले में ख्वामख्वाह वह तो घोषणा करके आते हैं, शिलान्यास करके आते हैं और परेशानी बढ़ जाती है हमारी, हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हम जनता से क्या कहें? कैसे उनके बीच में जायें?

इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि फाउंडेशन स्टोन को ले करना, 3 महीने काम होना, झुंझुनूं में जमीन को अवाप्त करना और एक्वीजीशन के बाद डेढ़ दो लाख रुपए खर्च करना और फिर उस काम को रोक देना न केवल प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे साथ मखौल है बल्कि वह जिले के सारे काश्तकारों के साथ एक घोर अन्याय भी है। इसलिए इस संबंध में वित्त मंत्रीजी अपना जवाब देते समय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? वित्त मंत्रीजी आए नहीं थे उससे पहले मैं कह रही थी · · ·

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सब सुन लिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो बजट यहां पर वित्त मंत्रीजी ने रखा है उसमें सब चीजों के अन्दर पिछली बार के मुकाबले में बजट प्रावधान बढ़ाया है, शिक्षा के मद में एक करोड़ का अधिक प्रावधान रखा है, स्वास्थ्य के मद में 25 लाख का अधिक प्रावधान, यह अलग बात है कि फायदा केवल बांसवाड़ा या फलोदी या नागौर ने उठाया हो, या नापासर में भी कुछ हो गया है। बाकी हमारे जिले ने कुछ नहीं पाया। जो ग्रिड स्टेशन बनाना था वह भी बंद हो गया। वित्त मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी राजस्थान के सर्वांगीण विकास की है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के 2।। करोड़ लोगों के आप संरक्षक हैं और उचित अनुपात में सब जगह का विकास हो, यह नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। आपको चाहिए था कि कम से कम जो डेजर्ट एरिया के जिले हैं, उनका तो विशेष ध्यान रखते। आपने कहा है बड़े गर्व के साथ। मुझे तो हंसी आई। इसमें गर्व की कोई बात नहीं थी, यह तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। आपने पृष्ठ 4 पर कहा है "इस बात का श्रेय राज्य सरकार को है कि केन्द्र से इस प्रयोजन हेतु समुचित सहायता प्राप्त न होने पर भी बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले गए।" राहत कार्य राज्य सरकार नहीं खोलती तो क्या सुमित्रा सिंह खोलती? अकाल पड़ जाए उसके बाद लोगों को जिंदा रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है और फिर राज्य सरकार गर्व करे। भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली तो भी आपने काम खोल दिए, बड़ा एहसान किया हम पर। मैं तो कहती हूं कि इस बात का तो जिक्र ही इसमें नहीं करना था। यह आपकी आब्लीगेटरी जिम्मेदारी थी। भारत सरकार चाहे पैसा दे या न दे आप राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी थी यहां के लोगों को जिंदा रखने की। यदि अकाल राहत कार्य खोले तो किसी पर एहसान

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
नहीं किया। आप यह कह सकते थे कि इन स्पेशल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस बात का श्रेय राज्य सरकार को है। भारत सरकार की तो महरबानी है कि वह आपको पैसा देती है। वह आपको सहायता दे या नहीं दे यह आपकी जिम्मेदारी है। तो इस पर आप कहते है कि सरकार को श्रेय है। कभी मुख्य मंत्री को दें, कभी सरकार को दें, यह श्रेय हमको देने देते, तब ज्यादा प्रजातांत्रिक लगता, यह बात हमको कहने दी होती···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सीट तो उनको सुरक्षित रखनी थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान का इतिहास कहता है कि कहीं पर 5 साल······

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सुन लिया, ×××××

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : This is no wastage of time बड़ी कठिनाई से तो वित्त मंत्री सदन में पधारे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ टैक्सेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगी लेकिन इसके पहले मैं एक बात दूसरी ही निवेदन करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले बैंक आफ बड़ोदा और गवर्नमेन्ट की तरफ से झुंझुनू में कुओं के निर्माण हेतु कर्जा एवं सहायता दी गयी थी। उससे करीब लोगों ने दो हजार कुओं का निर्माण करवाया। इसमें कुओं में इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराया गया लेकिन कुछ कुओं का चूंकि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सका था वहां के कुछ लोग बैंक को वापिस किश्त नहीं चुका सके। लेकिन इसमें एक मिसाल मैं आपको ऐसी देना चाहती हूं, पिलानी के पास एक ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन जब तक वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे मैं उनको वह नाम बता दूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ चार हजार की किश्त जमा नहीं करा सकने की वजह से उस व्यक्ति की जमीन नीलाम कर दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, उस गरीब इन्सान की जमीन, जो कि उसकी जिन्दगी का सहारा था को कुर्क करके नीलाम कर दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे हृदय में बहुत वेदना होती है क्योंकि ऐसा ही एक मामला उसी के पास का है, मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूं जिससे हमें यह सोचने को बाध्य होना पड़ा है कि क्या कानून सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों के लिये ही है? क्या आपका कानून अमीरों, और बड़े इजारेदार लोगों और असरदार लोगों के लिये नहीं है? क्योंकि जहां पर एक गरीब व्यक्ति द्वारा सिर्फ चार हजार रुपये किश्त नहीं चुका सकने के कारण आपने उस गरीब इन्सान की जमीन को कुर्क करा दिया और उसे नीलाम कर दिया वह जमीन जो कि उसकी जिन्दगी का सहारा थी। लेकिन पास ही उसी व्यक्ति के ठीक एडजोइनिंग बिड़लाजी का फार्म है जिसमें करीब 1665 बीघा और 13 बिस्वा

××× आसन की अनुमति से शब्द वापिस लिये गये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जमीन है। अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब नहीं है वह होते तो मैं उन्हें बताती कि बिड़लाजी ने उसी क्षेत्र में कहां कहां पर कितनी कितनी जमीन ले रखी है। पिलानी, खेड़ला और अनन्तपुरा में दो हजार बीघा जमीन है। कुछ हवाई अड्डे के नाम से, कुछ दादू पन्थियों की जमीन के नाम से, कुछ कबीरपन्थियों के नाम से दबा रखी है। यह अलग अलग जमीनें है उनको अलग अलग ट्रस्टों के नाम से दबा रखा है। इतना ही नहीं बिड़लाजी ने आबादी लैण्ड में भी कल्टीवेशन कर रखी है और आप हिसाब लगा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि करीब 30 लाख रुपये का लैण्ड रेवेन्यू बिड़लाजी में आज तक उन जमीनों का बाकी है और, उपाध्यक्ष महोदय, 55 लाख रुपये की बिजली की बकाया है बिड़लाजी में जो आज तक उन्होंने नहीं दी है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो हमारे मन में वेदना होती है, हमारे दिल को ठेस लगती है कि बिड़लाजी के पास ही एक व्यक्ति की जमीन इसलिये कुर्क कर के नीलाम कर दी गयी कि वह गरीब था, बेसहारा था। लेकिन उसी के पास की नजीर मैंने आपके सामने, उपाध्यक्ष महोदय, पेश की है कि ठीक उसके एडजोइनिंग बिड़लाजी में एक तरफ तो 55 लाख रुपये बिजली के ड्यूज है और 30 लाख रुपये उनमें लैण्ड रेवेन्यू के बाकी है। इस प्रकार कुल मिला कर 85 लाख रुपये उनमें बाकी हैं। यह तो उस व्यक्ति की हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस देश का सबसे बड़ा इजारेदार है लेकिन उसके बारे में सोचने की किसी की हिम्मत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम राज्य सरकार की बाकी होने पर भी आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब किसान के अन्दर सिर्फ चार हजार रुपये बाकी होने पर ही उसकी जमीन कुर्क करके नीलाम कर दी गयी? यह आपने इसलिये किया कि वह एक गरीब और बेसहारा था। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी को पूछना चाहती हूं कि आप वैसे तो समाजवाद का बड़ा दावा करते हैं और यह कहते हैं वित्त मन्त्रीजी बार बार कि मैंने बड़ा ही समाजवादी बजट बनाया है, बड़ा ही सन्तुलित बजट बनाया है। सदन में बार बार यह कहते हैं कि इन परिस्थितियों में, इन राजनीतिक हालातों में आप इससे अच्छा सन्तुलित बजट पेश नहीं कर सकते थे।...

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्या मुझे बार बार विस्फोट नहीं करे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अपने बजट भाषण के लास्ट पेज पर लिखा है उसको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं जिसमें इन्होंने यह कहा है, "सदन में वर्ष 1972–73 के अपने बजट भाषण में मुझे राज्य की विषम व नाजुक वित्तीय स्थिति का एक गम्भीर चित्र प्रस्तुत करना पड़ा था। इन पिछले चार वर्षों में हमने अपनी समस्त शक्ति राज्य की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने एवं उसे आत्म निर्भर बनाने में लगाई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राज्य के कम जरूरी खर्चों में बेरहमी से कटौती की गई, विशेष अभियानों द्वारा अल्प बचत की राशि का अधिक संग्रह किया गया, राजकीय करों की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बेहतर वसूली करके नये करों का भार उठा कर तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा कर राज्य की आय के स्रोतों में वृद्धि की गयी।" तो वित्त मंत्रीजी यह है आपकी बेहतर वसूली का नमूना कि एक गरीब इन्सान की जमीन तो आपने चार हजार रुपये के लिये कुर्क कर दी और नीलाम कर दी और दूसरी ओर एक बड़े इजारेदार में आपके 85 लाख रुपये की बकाया है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्यों को यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस किसान की जमीन कुर्क की गयी थी उसमें किसके पैसे बाकी थे? बैंक आफ बड़ौदा के पैसे बाकी थे या राज्य सरकार के? यह बता दें?

(2.44 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय कहें, उपाध्यक्ष महोदय चले गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मुझे तो पता नहीं रहा कि कब उपाध्यक्ष महोदय चले गये और कब सभापति महोदय आ गये···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप तो ध्यान मग्न हो रही थीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज मामला कुछ अटपटा हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी, वित्त मन्त्रीजी, क्या यही आपका समाजवाद है? क्या यही आपका बेहतर तरीका है वसूली करने का कि एक व्यक्ति में 85 लाख बकाया है उसके बारे में आपने कोई कार्यवाही नहीं की? तो मेरा निवेदन है कि आप इन बकाया के बारे में कुछ कहें, कुछ सोचें और इसके लिये कुछ कदम उठायें।

सभापति महोदय, अब मैं वित्त मन्त्री जी ने जो नये टैक्सेज लगाये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्रीजी ने टैक्सेज लगाते समय कुछ अपने पैसे वाले लोगों खास तौर से व्यापारी वर्ग के प्रति कुछ विशेष नर्मी बरती है। वैसे तो आपने कुछ रियायतें देने की बात कही है कि रेफिजरेटर और कूलर वगैरह पर सैल्स टैक्स में कमी की है। लेकिन उन्होंने कहने को तो अपने सैल्स टैक्स बढ़ाने के लिये किया है लेकिन मैं समझती हूं आपने इसमें व्यापारी वर्ग के साथ विशेष हमदर्दी की है क्योंकि आज रेफ्रिजरेटर और कूलर वगैरह कौन खरीदता है। वह तो अमीर आदमी खरीदता है। गरीब तो खरीद सकता नहीं और काश्तकार खरीद नहीं सकता। तो यह इनडाइरेक्ट में पैसे वाले लोगों को फायदा पहुंचाया है। सभापति महोदय, आज काश्तकार की हालत यह है कि जो काश्तकार पहले 250 रुपये देकर एक डीजल का ड्रम खरीद लेता था, एक बोरी गेहूं, जो कि 250 रुपये में आती थी,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

देकर एक डीजल ड्रम ले लेता था वह आज तीन बोरी गेहूं देकर एक डीजल का ड्रम खरीदता है तो उसकी तो हैसियत रही नहीं कि वह रेफ्रिजिरेटर या कूलर खरीदे। अब रही कर्मचारियों की बात तो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग में से तो सिर्फ आई. ए. एस. या आई. पी. एस. या सलेक्शन स्केल का आर. ए. एस. आफिसर ऐसा है जिसकी हैसियत थोड़ी है कि वह रेफ्रिजिरेटर या कूलर खरीद सके मेरी समझ में नहीं आता फिर यह आपने किस वर्ग को फायदा पहुंचाया। हां एक बात समझ में आती है कि आपने हलवाइयों को जरूर फायदा पहुंचाया, जिनकी सेल 50 हजार से ऊपर की है उन्हें इनडाइरेक्ट फायदा पहुंचाया ताकि वह लोग टैक्स की भी चोरी करें और रेफ्रिजिरेटर या एयरकंडीशन खरीद सकें। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बार बजट बनाते समय वित्त मन्त्रीजी श्री श्रीरामजी से काफी प्रभावित हुए है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझ से नहीं गोपाल जोशी से प्रभावित हुए हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपके गोटा किनारे पर टैक्स नहीं लगाया, गोटा तो सुरक्षित है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गोटा तो अब लंगोट के लगाया जाता है···

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो करों में बढ़ोतरी की है उसके बारे में। सभापति महोदय, एक तरफ तो आप अपने बजट को समाजवादी बजट कहते हैं आर्थिक सेवाओं का बजट कहते हैं लेकिन मैं समझती हूं कि आपने कृषि और सम्बद्ध सेवाओं और दूसरे उद्योग एवं खनिज विभाग पर पिछले साल से कम खर्च का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिये आपने 48.54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था अब की बार आपने 43.12 करोड़ का प्रावधान रखा है। इस प्रकार आपने साढ़े पांच करोड़ रुपये के खर्च की कमी बजट में की है। इसके अलावा खनिज एवं उद्योग विभाग के लिए भी आपने पिछले साल 11.84 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था वह इस साल आपने कम करके 10.71 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है उसमें भी एक करोड़ और कुछ लाख रुपये की कमी की है। तो, सभापति महोदय, आप एक तरफ तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चरल भूमि और सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, मालिकाना और सम्बद्ध सेवाओं का टैक्स लगा रहे हैं, तीसरी तरफ आप कृषि और सम्बन्ध सेवाओं पर कम खर्च करने का प्रावधान रख रहे है तो वित्त मन्त्रीजी, आखिर क्या चाहते हैं आप ? इसलिए स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी कि यह खर्च, कम क्यों किया गया है ? माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि एव सम्बद्ध सेवाओं में कम है। मैं एक यह बात जरूर कहना चाहती हूं कि जब मैंने यह भाषण सुना था तो मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी।

Page No 68

(68)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं यह सोच रही थी कि शायद आपने कृषि बिजली कर और लगाया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने एग्रीकल्चरिस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाई है। उद्योगों पर बिजली की दर पहले ही बहुत कम रखी गयी है। हमने पहले ही उनको सब्सीडाइज किया है और अब भी उनको सब्सीडाइज करते हैं जब कि उनको लाखों रुपये का मुनाफा होता है। तब उनके साथ में क्यों है? जब कि सामान्य तौर से इलेक्ट्रिक का 30 पैसा आता है, उनको आप 2 पैसा और 5 पैसा में देते हैं। इनका क्या कारण है? इस पर गौर करने की कोशिश की जाये कि यह क्यों हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मनोरंजन कर के बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि मनोरंजन कर जो सिनेमा के ऊपर लगाया है इसका तो मैं स्वागत करती हूं इस संशोधन के साथ कि निचली श्रेणी पर मनोरंजन कर नहीं लगायें। उस गरीब को क्या आप गम गलत करने के लिए कोई अवसर नहीं देना चाहते है?

एक माननीय सदस्य : हम लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या वह एक घण्टा दो घण्टा अपना गम गलत भी नहीं कर सकता है? मैं समझती हूं कि ऐसे मजबूर आदमी के बारे में ऐसा नहीं सोचें। आपके राजकोष कोष में भी कमी नहीं आये और सर्वहारा वर्ग पर भी बोझ नहीं पड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि दवाइयों को सस्ता उपलब्ध कराने के लिए दवाओं को बिक्री कर से मुक्त किया है। क्या वास्तव में दवाई सस्ती हो सकेगी? एक तरफ उपभोक्ता को दवाई मिले और राजकोष में कमी नहीं आये। अगर दवाई सस्ती मिलती है तो ठीक है।

श्री ओंकारलाल चौहान : Lip sympathy only.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं। मैं कह चुकी हूं कि जो दरें बढ़ाई हैं, उनके बढ़ाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। खास तौर से जो आरक्षित मूल्य हैं, उनको पहले से दुगुना कर दिया है। 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत आपने हरिजनों को जो अस्थायी आवंटन का एलान किया है। 17 हजार रु. 11 हजार रु. जो C.A.D. के खर्चे के होते हैं, 8 हजार पक्की नाली बनाने के खर्च होते हैं। यह सब मिलने के बाद आप जो समझते हैं कि एक हरिजन के लिए इतनी कीमत रखकर कहीं आप ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं कि वह उनको छोड़ने के लिए बाध्य हो जावे? क्या इतनी ऊंची कीमत देने के लिए हरिजन तैयार है? आपने जो यह कर दिया है, यह कौन सा न्याय है। अपने भाषण के प्रारम्भ में बता चुकी हूं, आज फुअल, सूखी लकड़ी, जलाने का सूखा कोयला यह अक्टूबर 74 के मुकाबले में बहुत ज्यादा मंहगा है। सूखी लकड़ी मिले महंगी और गन्ना सस्ता तथा कुट्टी महंगी और जो सस्ता यह कहां का न्याय है। मैं वित्त मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं आज बाजार में सूखी लकड़ी महंगी है और गन्ना सस्ता। आज जौ तो सस्ता है, कोयला मंहगा है। अनाज सस्ता है। अनाज को पकाने के लिए दुगुनी कीमत

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
लगानी पड़ती है। इन बातों का कोई न्यायोचित औचित्य होना चाहिए। वह स्पष्ट करें कि इसमें कितना औचित्य है।

श्री मनराज : कोयले के बजाय जो जलाना चालू कर दें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पीछे वाले माननीय सदस्य कह रहे है कोयले के बजाय जो जलाना शुरू कर दें तो मैं कहूंगी कि यदि आप और मैं जो और गेहूं जलायेंगे तो वित्त मंत्रीजी और उनके जैसे लोग क्या खायेंगे ?

श्री सभापति : उनकी कोई अभिलाषा होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय सभापति महोदय, अन्त में अपनी अन्तिम बात निवेदन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने के बारे में निवेदन करूंगी। दो करोड़ का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। उसमें राजस्थान के नक्शे में वह केवल चूरू को ही न रखें अपितु झुंझुनूं को भी याद रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चूरू तो इनके नजदीक ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां खारा पानी है और वह भी बहुत नीचे उपलब्ध होता है। ब्रेकिस वाटर और गन्दा पानी पीने से बीमारियों की काफी सम्भावना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खारे पानी में मीठे फल ज्यादा पैदा होते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह बात बराबर कहती हूं लेकिन कोई असर नहीं होता है। न वित्त मन्त्री महोदय पर कोई असर होता है और न मुख्य मंत्री महोदय पर कोई असर होता है। पता नहीं सदन के माननीय सदस्यों पर कोई असर होता है या नहीं।

कई माननीय सदस्य : हो रहा है, हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : मन्त्रिमण्डल प्रभावित है।

श्री नन्दनलाल वैद : मन्त्रिमण्डल प्रभावित है या नहीं, पता नहीं लेकिन मैं पूर्ण प्रभावित हूं।

श्री सभापति : (श्रीमती सुमित्रा सिंह से) अब आपका काम हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं हमेशा कहती रही हूं झुंझुनूं जिले के बारे में। झुंझुनूं जिले ने इस देश को सर्व प्रथम परमवीर दिया था। इतने शूरवीर राजस्थान के नाम को गौरवान्वित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि झुंझुनूं जिले ने न केवल बड़े बड़े उद्योगपति ही दिये हैं, न केवल बड़े बड़े पूंजीपति ही दिये हैं किन्तु झुंझुनूं जिले ने शूरवीरों को भी पैदा किया है। लेकिन जैसा मैं आज दिन तक कहती आयी हूं कि झुंझुनूं जिले में पानी का नितान्त अभाव है। मैंने कितनी ही बार इस बात को कहा कि गंगा की बाढ़ का पानी जो हजारों गांवों की तबाही का कारण बनता है उस पानी को झुंझुनूं जिले में लाकर झुंझुनूं का जो रेगिस्तान है उसको नखलिस्तान बनाने का प्रयास करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब तो आपको एक मंत्री दे दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केबिनेट मिनिस्टर जरूर दे दिया है मिनिस्टर बड़े डीलडौल का है विशाल काय जरूर हैं परन्तु इससे उत्थान नहीं होगा जिले का। जिले में विकास नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। शायद उनको कभी न कभी मेरी बात याद रह जावेगी। पुन: अपनी उस बात को दोहराऊंगी कि हरियाणा के बोर्डर पर, जो कि हमारे झुंझुनूं जिले के बोर्डर से लगा हुआ है, जवाहर कैनाल बहती है झुंझुनूं से भी उस धरती की खराब कन्डीशन थी। वह प्रदेश खराब कन्डीशन में था लेकिन आज लहलहा रहा है। आज वहां जवाहर कैनाल बह रही है। एक तरफ जवाहर कैनाल वह रही है और दूसरी तरफ गंगा की बाढ़ के पानी को या चाहे कैनाल के पानी को, कहीं से लाकर झुंझुनूं की सूखी धरती को हरी भरी धरती में परिणित करें। रेगिस्तान को नखलिस्तान में परिवर्तित करेंगे तो माननीय वित्त मंत्रीजी हम लोग बड़े आभारी होंगे। हम लोग, तथा आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। नहीं कुछ करेंगे तो लोग आपको भूल जावेंगे। जो जनता के हित के लिये कुछ कर देता है वह हमेशा याद रखा जाता है और कुछ नहीं करता है वह भुला दिया जाता है। हम भी चूरू के पास ही के रहने वाले हैं। चाहे जवाहर कैनाल हो चाहे गंगा की बाढ़ का पानी हो किसी प्रकार यहां पर पानी लाकर रेगिस्तान को हरी भरी धरती में परिवर्तित करें। माननीय मंत्रीजी जो इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है अपने बजट भाषण के उत्तर में उन बातों का भी अवश्य जवाब देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

श्री सभापति : श्री सत्यासिंह।

श्री सत्यासिंह (नदबई) : माननीय सभापतिजी, सदन के अन्दर बजट पर चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम देश की प्रधान मंत्री ने जो अनुशासन इस देश में लागू किया है, छोटे आदमियों को गुजारा करने के लिये जो 20 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक प्रोग्राम दिया है इसकी चर्चा इस बजट के भाषण में की गयी है और वह सदन के अन्दर आयी है।

सभापतिजी, मैं बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं लेकिन कुछ सुझाव माननीय वित्त मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में जरूर दूंगा। अच्छा तो यह होता कि इस बजट में जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, गरीब हैं, जिनके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, उनके लिये बेकारी भत्ते का प्रस्ताव होता, एक सुझाव तो, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को यह दूंगा।

सभापतिजी, इस बजट में भूमिहीन किसानों के लिये 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ बताया गया है। मैं यह कहूंगा कि जब अक्टूबर और नवम्बर में देश की प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री प्रोग्राम दिया था और पूरे प्रान्त में भूमिहीन किसानों के लिये अलाटमेन्ट हो रहे थे तो मेरे भरतपुर जिले में तकरीबन 45 हजार बीघा जमीन सरकारी जमीन थी और कागजों में निकली हुई थी, वहां के जन प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पूरे जिले में आंकड़े लगा कर इसको निकाला और कहा कि इस 45 हजार बीघा जमीन के अलाटमेन्ट की तारीख बांध दें। मेरी आत्मा को बहुत बड़ा

(श्री नत्था सिंह)

दुःख होता है और इसको मैं सदन के अन्दर जरूर रखूंगा कि राजस्थान में और, और जगहों पर अलाटमेन्ट हुए हैं, सवाई माधोपुर, बूंदी की 6, 7 तहसीलों में अलाटमेन्ट होने जा रहा था उसको राजस्थान सरकार ने स्टे कर दिया। क्या कारण था? वह कारण आज तक हमें नहीं बताया गया। लेकिन माननीय कृषि मंत्रीजी हमारे भरतपुर जिले के इन्चार्ज हैं उन्होंने मीटिंग की। वहां के जन प्रतिनिधियों ने, प्रधानों ने मीटिंग में पूरे जिले के लोग थे, सब ने समर्थन दिया और सर्व सम्मति से प्रस्ताव भी भेजा कि जितने भी चरागाह हैं, जितनी भी सरकारी जमीन है उनका एलाटमेन्ट करके भूमिहीनों को दे दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता है राजस्थान सरकार ने भरतपुर या पूर्वी जिलों के लिये ऐसे स्टे के आदेश क्यों दिये? भरतपुर जिले के, सवाई माधोपुर जिले के एक परिवार को पांच बीघा भूमि देते तो कई हजार परिवारों को वहां पर एलाटमेन्ट होता। सभापतिजी, यह बात कहूंगा, वित्त मंत्रीजी से भी कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी से या केबिनेट में वह मसला हल करके यह कह दिया जाय कि राजस्थान के हर जिले में एलाटमेन्ट हुआ उसी तरीके से भरतपुर में भी होगा।

माननीय सभापतिजी, दूसरी बात मैं यह कहूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी से कि आपने कहा कि छोटे किसानों को, भूमिहीनों को अलाटमेन्ट किया जावेगा, राजस्थान कैनाल में अलाटमेन्ट होगा। आपने तो रेट्स अपने वहां पर दुगुनी कर दीं, छोटे किसानों पर दुगुनी रेट्स कर दी हैं वे उस भार को सहन नहीं कर सकते हैं। किसान के घर में जो भी पैदा होता है, गेहूं, चना, जौ और कोई सामग्री हो, जो भी उसके यहां पैदावार होती है उनकी रेट्स दिन प्रति दिन गिरती जा रही हैं। 2 तारीख को 20 सूत्री प्रोग्राम के सिलसिले में मैं भुसावर में गया। जौ की ढेरी पड़ी हुई थी। उसकी बोली लग रही थी। वह बोली 30) रु. 60 पैसे क्विन्टल में खत्म हुई। सभापतिजी, मैं तो यह कहूंगा कि जिस किसान ने बीज बड़ा मंहगा डाला उसका जो 30)60 रु. क्विन्टल में ढेर में आकर बिके इससे बड़ी लूट किसान के साथ में हो नहीं सकती है। सभापति जी, सरकारी बीज 275 रुपये क्विन्टल के भाव का हमारे राजस्थान के किसानों ने डाला, मेरे भरतपुर जिले के किसानों ने डाला और गेहूं मण्डियों में आना शुरू हो गया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहूंगा कि जो रेट सरकार ने कायम रखी है 105 की लेने की और सरकार ने किसान से खरीदने की व्यवस्था नहीं की तो गेहूं की रेट 80 और 75 से ऊंची नहीं होगी और किसान इसमें बरबाद हो जायेगा। इसलिए भूमिहीन किसान, जिसको कि जमीन अलाट होती है से, कीमत दुगुनी ली जायेगी जैसा कि और दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि एक भूमिहीन किसान से 17 हजार नहीं लेकर 34 हजार लिये जायेंगे। तो मैं वित्त मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि आपका बजट जो इस सदन के अन्दर है उससे साफ जाहिर होता है कि यह 75 पर्सेन्ट उन लोगों पर लागू होगा जो कि किसान हैं, गरीब हैं, कारीगर हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं। और 25 पर्सेन्ट उन लोगों पर लागू होता है कि जिन लोगों की आमदनी ऊलजलूल है।

(श्री नत्थासिंह)

सभापति जी, भरतपुर जिले को 1972-73 की बाढ़ ने तहस नहस कर दिया और 1975 की बारिश ने भी कर दिया लेकिन सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने कभी यह नहीं देखा कि भरतपुर में जो बारिश का पानी और नदियों का पानी बंधों में भरता था उसके रास्ते रेत से भर गये हैं और उनको साफ करवाने की कोई योजना नहीं रखी है। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भरतपुर जिले के जो पानी के रास्ते थे और जो सिल्ट हो गये हैं उनके लिए इस बजट में एक लाइन और जोड़ दी जाये।

सभापतिजी, कुछ बिजली के बारे में इस बजट में ऐसा प्रावधान रखा है कि बिजली के लिए अधिक पैसा इस साल खर्च किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी मेरे क्षेत्र नदबई में गत वर्ष दो बार गये। एक बार तो नदबई में नलों का उद्घाटन करने के लिए पधारे और दूसरी दफा कैलादेवी के मेले में पशु मेले का उद्घाटन करने के लिए पधारे। वित्त मंत्रीजी ने मेरा इलाका देखा है। मैंने वित्त मंत्रीजी की गाड़ी खड़ी करके यह दिखाया कि वित्त मंत्रीजी इस इलाके में 30 फीट, 25 फीट और 20 फीट पर पानी है और बिजली देने से किसान काफी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मंत्री जी को यह बताया गया कि देखिये यह किसान डीजल का एंजिन फिट कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं लेकिन आपकी बिजली नहीं मिल रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह तस्लीम किया और नदबई क्षेत्र राजस्थान में गंगानगर के बाद में दूसरा क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से तो माननीय वित्त मंत्रीजी मैं तो यही कहूंगा कि जहां पानी ऊपर ही रखा है, जहां पैदावार का उत्पादन काफी बढ़ सकता है वहां ज्यादा से ज्यादा आपको बिजली देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे क्षेत्र नदबई में बिजली ना के बराबर है। केवल 40 गांवों में आज तक बिजली लगी है और अभी 150 गांव बाकी हैं इनमें ऐसे अच्छे गांव हैं, ऐसी अच्छी जमीन है कि उस जमीन से पैदावार काफी बढ़ सकती है, इसलिए वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि बिजली की व्यवस्था करें। भरतपुर जिले में नदबई, रूपवास और बयाना पंचायत समितियां ऐसी हैं कि जहां पैदावार हमारे यहां का किसान ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है यदि उसको बिजली मिले तो। क्योंकि वहां पानी नजदीक है। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि मेरा इलाका आपने देखा है, भरतपुर के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली की व्यवस्था आप करें, इसकी ओर आपको जरूर सोचना है।

वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में जो 200 मिडिल स्कूल और 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए घोषणा की है इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

सभापतिजी, एक बात मैं जरूर बताऊंगा। इस देश की प्राइम मिनिस्टर ने बीस सूत्री प्रोग्राम दिया है, आर्थिक प्रोग्राम दिया है। जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक राजस्थान सरकार की तरफ से अच्छे ढंग से सोच समझ कर जमीन का कानून नहीं आता–मैं तो एक निवेदन करूंगा कि आपने जमीन के बारे में ऐसे कानून बना रखे

(श्री नत्थासिंह)

हैं जो कानून जमीन के ठेकेदार बनाता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जमीन आज सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, आई. जी., तहसीलदार, आई.ए.एस., थानेदार और मास्टरों के पास है और वह सब बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने जमीनों का ठेका ले रखा है। किसी ने सेनेटरी की दुकान खोल रखी है, किसी ने बड़े बड़े कारखाने लगा रखे हैं और जो खेती करना नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी हल नहीं चलाया, अनाज पैदा नहीं किया उनको जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार एक कानून बना दे कि जिनकी आमदनी के स्रोत और गुजारा करने के दूसरे साधन हैं उनसे जमीन छीन लेंगे। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं जैसा अभी सुमित्रा जी ने बताया था कि बिड़ला के पास 1665 बिस्वा भूमि है। तो देश में इस तरह के पूंजीपति, जागीरदार, मिनिस्टर्स और बड़े बड़े एम. एल. ए. हैं और उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनके लिए सरकार कानून बनाये और वह जमीन अपने पास ले ले और जो काश्तकारी का काम जानते हैं, हल जोतना जानते हैं उन्हें 15 या 20 बीघा का पट्टा दे दिया जाये और बीच में जितने भी जमीन के ठेकेदार हैं उनको समाप्त कर दिया जाये। तो सभापति जी, मैं तो यही कहूंगा कि जब तक राजस्थान प्रान्त में जमीन का कानून ढंग से नहीं बनायेंगे तब तक भूमिहीन किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या हम किसी तरह से हल नहीं कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं आपको एक बात और थोड़ी सी बताऊंगा। इस बजट में एक बात बहुत अनोखी कही गयी है और वह यह है कि बजट में इतने करोड़ रुपयों का घाटा है और इस घाटे की हम भारत सरकार से और दूसरे आंकड़ों से पूर्ति कर लेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि राजस्थान प्रान्त का बजट आप हर साल बनाते हैं और यह नहीं देखते हैं कि हमने पैसे का प्राविजन तो कर दिया, सिंचाई विभाग के लिए, बिजली विभाग के लिए और पी. डब्लू. डी. के लिए और दूसरे विभागों के लिए हम पैसा तो दे देते हैं लेकिन पैसा देकर उसका सर्वे नहीं कराते हैं उसकी जांच नहीं कराते कि यह पैसा जिस काम के लिए दिया है उस काम पर लगा या नहीं। मैं तो आपको भरतपुर जिले की ऐसी नजीर दूंगा और ऐसी नजीर कि हमने इतना पैसा सिंचाई विभाग के लिए दिया और वह सिंचाई विभाग के लिए पैसा दिया, आपके बजट में से दिया लेकिन वहां के अधिकारियों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया। बाण गंगा ने रास्ता बदला पिछले साल उसको रोकने में वहां के अधिकारियों ने लाखों कट्टों में से लाख तो क्या पांच सौ कट्टे पानी रोकने में डाले और वहां लाखों रुपयों के कट्टे पानी में डालने का दिखा कर अपने पास पैसा ले लिया और वह पैसा वहां के अधिकारियों की जेबों में आया है। अभी वह नई नजीर है। सन् 75 में बाणगंगा की बाढ़ आई और असनी मूडिया नदी ने परसना बदला उसमें वहां के अधिकारियों ने बताया कि हमारा करीब आठ लाख रुपया लग गया है। मैं माननीय मंत्रीजी को, वित्त मंत्रीजी को सभापतिजी के सामने यह निवेदन करूंगा कि वहां जांच कमेटी बनाई जाय और मूडिया की बाण गंगा नदी ने जो परसना बदला उसे बन्द करने में आठ आठ

(श्री नत्थासिंह)

लाख रुपये तो क्या पांच लाख रुपया भी लगा हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके के घोटाले इसमें होते हैं, और रामसहायजी जो वहां के सिंचाई विभाग के एक्स. ई. एन. हैं, रामसहाय के रिश्तेदार और रामसहाय के ठेकेदार वहां पर लगे हैं। रामसहाय का पर्सेंटेज बंधा है वह पैसा उसकी जेब में जाता है। ऐसे लोगों को वहां पर लगा रखा है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैंने जो सुझाव माननीय मंत्रीजी को, वित्त मंत्रीजी को दिये हैं उन सुझावों के लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो बजट पेश किया है, इस बजट का मैं स्वागत करता हूं और मैंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को इसमें और जोड़ दिया जावे।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 1976-77 के बजट अनुमान...

श्री परसराम मदेरणा : एक सैकिंड। आपका (श्री नत्थासिंह की ओर मुखापेक्ष) यह सुझाव था कि जो एम. एल. ए. हैं क्योंकि वह इस धारा सभा के सदस्य हैं इसलिए वह पर्सनल कल्टीवेशन नहीं करते ऐसे एम.एल.एज. क्योंकि सद्भावी काश्तकार नहीं हैं इसलिए उनका अलाटमेंट, ऐसा कानून बना कर, रद्द कर उनकी लैंड कैंसिल कर देनी चाहिए। यहां पांच साल के बाद सभी एम. एल. ए. वापिस आयेंगे या नहीं, उनकी इनहेरेन्ट में जमीन आई है उसमें काश्तकारी का काम करते हैं आपने उन सभी एम.एल.एज. को दूसरे अन्य के साथ लपेट लिया तो इस हाउस के माननीय सदस्यों से आपका मतलब है कि हर एम. एल. ए. की जमीन क्योंकि वह धारा सभा का सदस्य है इसलिए कैंसिल हो, यह आपका मतलब है ? दूसरा मेरा मतलब...

श्री नत्थासिंह : दूसरा मतलब यह है...

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझ गया आपका मतलब।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : ...बजट के अनुमान सदन में प्रस्तुत किए हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अब मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा। सभापति महोदय, वैसे बजट को देखते हुए तो यह समाजवादी बजट नहीं है लेकिन फिर भी वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बुद्धि से बजट संतुलित पेश किया है। सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी और इस देश में गरीबी मिटाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा। हमारी राजस्थान सरकार को भी इस बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार प्रान्त के बजट को पेश करना चाहिए और राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है उस तरह से विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार की नीति है कि देश में समाजवाद लाने की और समाजवादी नीति को देखते हुए इस बजट के आंकड़ों को देखते हुए यह समाजवादी बजट नहीं है।

(श्री नाथूराम)

सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भिन्न 2 है। पश्चिम में महान रेगिस्तान है, उत्तर पूर्व में पठार है और दक्षिण में पहाड़ी इलाका है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को भारत सरकार रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए हर साल पैसा देती है और सरकार ने भी रेगिस्तान के लिए बोर्ड बनाया है और पहाड़ी क्षेत्र, के जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए ट्राइबल सब प्लान बनाया है। सभापति महोदय, बोर्ड बन गया तो बड़े 2 अधिकारियों की सूची कायम हो गई, उनके वेतन और भत्ते वगैरह शुरू हो गए, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे इस बोर्ड का जो ट्राइबल सब प्लान बना है इस पहाड़ी क्षेत्र में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदिवासी क्षेत्र है, राष्ट्रपतिजी ने भी संविधान में इसे घोषित किया है, उस आदिवासी क्षेत्र के लिए केन्द्र से और राज्य सरकार से लाखों रुपया मिलता है, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन आदिवासियों के विकास के लिए यह काम किया जा रहा है उससे उनका विकास होने वाला नहीं है। इस बोर्ड के द्वारा ट्राइबल सब प्लान बना है, करोड़ों का प्लान बना है, लेकिन मैंने पिछले समय भी, अभिभाषण के समय भी यह सुझाव दिया था और आज भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस ट्राइबल सब-प्लान से आदिवासियों के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। आदिवासी जंगलों में रहने वाले क्या चाहते हैं, सूखी जमीन चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सुविधा चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, व्यवसायोन्मुखी शिक्षा चाहते हैं लेकिन, सभापति महोदय, इस ट्राइबल सब-प्लान को देखें इसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग होगा। बड़े 2 अफसर बैठ गए, वेतन वगैरह प्रशासन में खर्चा होगा लेकिन हमारे देश के जो गरीब लोग पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से रहते हैं और जिनका हम उत्थान करना चाहते हैं वह उसमें कुछ नहीं हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ट्राइबल सब-प्लान को रिवाइज करे। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह प्लान नीचे से बनकर ऊपर आना चाहिए था लेकिन इसका उल्टा ही हुआ है। आज बंगलों में बैठ करके कई प्लान और योजनायें बनाई जाती हैं। नीचे से पूछा भी नहीं जाता है। मैं तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी के अलावा हमारी इस कैबिनेट में जो बैठे हैं उनको आदिवासी क्षेत्र का अनुभव ही नहीं है। हमारे समाज कल्याण मंत्री हों, वित्त मंत्री हों या वन मंत्री हों किसी ने इस आदिवासी क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया है, उनको अनुभव ही नहीं है कि आदिवासी क्या चाहते हैं और वह बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा आदिवासियों का उत्थान करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें इस तरह से कई खामियां हैं। राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार के कानून बनाये लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं किया। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार चाहे कोई भी कानून बनाये लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं होता है वे कागजों में ही पड़े रहते हैं। सभापति महोदय, आज की सरकार यह चाहती है कि

(श्री नाथूराम)

छोटे 2 किसानों का उत्थान, उनको बढ़ाने के लिए सहकारिता के जरिये होना चाहिए। मैं आपके द्वारा यह सरकार से कहना चाहता हूँ, यहां पर कृषि मंत्रीजी नहीं हैं, नहीं तो उनको सही स्थिति बताता, लेकिन आज बीस सूत्री कार्यक्रम उल्टा जा रहा है, आपके अधिकारी उल्टे जा रहे हैं। जैसे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर राजस्थान में जगह 2 भूमि विकास बैंक बने हैं उनके द्वारा छोटे 2 किसानों को डायरेक्ट राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक व्यवस्था की है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि भूमि विकास बैंक जो बांसवाड़ा में है, आदिवासियों का बैंक है। वहां अस्सी प्रतिशत आदिवासी रहते हैं और ज्यादा भूमि विकास से, ज्यादा बैंक से उन आदिवासियों को फायदा होता है। लघु सिचाई की योजनाएं या कुए खोदने का विषय है वह भूमि विकास बैंक आर्थिक सहायता पहुंचाता है, लेकिन मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि पुर्नवित्त निगम के द्वारा बांसवाड़ा भूमि विकास के लिए लघु सिचाई के लिए तलवाड़ा, गढ़ी, बागीदोरा, भाबिया मेजर की जो स्कीमें मंजूर हुई हैं और अप्रेल में स्कीमें लागू होने वाली हैं लेकिन कृषि पुनर्वित्त निगम के कमिश्नर और सैक्रेट्री, डेयरी डवलपमेंट एवं स्पेशल स्कीम के जो सैक्रेट्री है उनके द्वारा 17-2 को मीटिंग बुलाई हैं और अधिकारियों ने मीट करके निर्णय लिया क्योंकि बड़ोदा बैंक कामर्शियल बैंक है, इन बड़े बड़े अधिकारियों से और कमिश्नर से मिलकर मीटिंग करवाई। जो स्कीमें मंजूर हुई है वे स्कीमें भूमि विकास बैंक को न देकर बड़ोदा बैंक, जो एक कामर्शियल बैंक हैं, को दी जाय। अगर इस तरह किया गया तो आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय होगा। जो छोटे छोटे किसान हैं और जिनके लिये हमारे देश की प्रधान मंत्री चाहती हैं कि इन गरीबों का उत्थान हो और उनके साथ आर्थिक सहयोग करना चाहिये लेकिन उसके विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। अगर यह स्कीम बड़ोदा बैंक को दी तो उनकी पालिसी क्या है--डामर रोड पर जो गांव है और जो बड़े बड़े किसान हैं उनको फाइनेन्स करते हैं। गरीब आदमियों को, गरीब किसानों को बड़ोदा बैंक वाले फाइनेन्स नहीं करते हैं।

मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं वित्त मंत्री जी से कि जो उत्पादन के विभाग हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय होगा और जो स्कीमें हैं वे बड़ोदा बैंक के पास जाने से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा और जो स्कीमें मंजूर हुई हैं वह भूमि विकास बैंक, बांसवाड़ा को जानी चाहिये। राजस्थान में जिन जिन पंचायत समितियों में लघु सिचाई की योजनायें मंजूर हुई हैं वे कामर्शियल बैंक को नहीं देनी चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात और भी है कि भूमि विकास बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये प्रयत्न करे और गरीब वर्गों को ज्यादा फायदा पहुंचाये लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, वे 20 सूत्री कार्यक्रम के विपरीत कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे किसानों को कर्जा नहीं देते हैं। उनके पास ऐसे प्रावधान नहीं है, कि पम्पिंग सेट के

(श्री नाथूराम) ... लिये भी पैसा दे सके। भूमि विकास बैंक और कामर्शियल बैंक को एक कर दिया गया तो आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय होगा। सी.सी. बैंक और भूमि विकास बैंक को एक कर दिया तो जो हमारी प्रधान मंत्री ने गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम दिया है उसके विपरीत होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि भूमि विकास बैंक को अलग रहने दिया जाय और ग्राम पंचायतों की मंजूर हुई योजनाओं को उनको दिया जाय, तभी गरीबों का भला होगा। उनके पास फन्ड्स भी गरीबों के लिये आते है और वे जमा कर लेते हैं। आज कई जगह सोसायटीज ठप्प पड़ी हुई हैं और कई लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़े हुए हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सी.सी. बैंक और भूमि विकास बैंक को एक नहीं किया जाय। उसके लिये मेरा सुझाव है और मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं जैसे भूमि विकास बैंक है, बांसवाड़ा में उसकी स्थिति भी अच्छी है और लघु सिचाई योजनाओं के लिये साल भर से कोशिश की है और निगम ने मंजूरी भी दी है। रिकवरी भी एक अप्रेल से लेने के बजाय 30 जून, 76 तक का पीरियड मानना चाहिये। कारण जो स्कीमें दी जा रही हैं वह अप्रेल से दी जा रही हैं इसलिये रिकवरी का समय 30 जून, 76 तक मानना चाहिये। लघु सिचाई योजना जो मंजूर हुई है वह भूमि विकास बैंक को देनी चाहिये।

प्रमाण पत्र का जो नियम है, उसको समाप्त कर देना चाहिये। बांसवाड़ा जिले में पानी सब जगह अवेलेबल हैं। एक कुए से दूसरे कुए का जो बंधन है उसको भी दूर कर देना चाहिये। इस तरह जो छोटे-छोटे किसान हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिये नियम भी बनाना चाहिये तथा भूमि विकास बैंक के नियम भी सरल बनाना चाहिये बल्कि मैं यह कहूंगा कि सहकारिता के जो नियम हैं उनको भी सरल बनाना चाहिये। सभापति महोदय, उत्पादन के लिये जो पैसा मिले वह उन छोटे-छोटे किसानों को वितरण करना चाहिये। ट्राइबल सब-प्लान के लिये जो पैसा मिले वह भी उनको मिलना चाहिये। इसी तरह से आज भूमि विकास बैंक के यहां जो पैसा तथा रसीदें वगैरह है और जो टारगेट हैं उनको रसीदों के अनुसार पैसा जल्दी मिलना चाहिये। अगर राज्य सरकार ने सभापति महोदय, ध्यान नहीं दिया तो मैं यह कहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के विपरीत काम कर रहे हैं।

बड़ौदा बैंक बड़े बड़े पूंजीपतियों का बैंक है और जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, उनको ही पैसा देते हैं, छोटे किसानों को पैसा नहीं देते हैं, इसलिये सभापति महोदय, मेरा जो सुझाव है इस पर सरकार विचार करे। सभापति महोदय इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र, ट्राइबल सब-प्लान में व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिये। पंचायत समिति मुखिया उसमें आदिवासियों के लड़के एम.ए., बी.ए., बी. एड. तक पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री है वे उन आदिवासियों के लिये नहीं सोचते हैं। आदिवासियों के लिये विशेष ट्रेनिंग तथा विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जो बैठे हैं, उनसे मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं उदयपुर, बांसवाड़ा के जो जंगल हैं, जहां सूर्य की किरण नहीं दीखती हमेशा मेरा उसके लिये सुझाव

(श्री नाथूराम)
रहा है कि उनकी सुरक्षा की जाय, अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो हमारा कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। इसलिये वनों की सुरक्षा करनी चाहिये।

जो स्कीमें बनती हैं वह ऊपर से बनकर आती हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद् से नहीं बनती है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां कृषि उत्पादन का प्रश्न है, जहां वनों की सुरक्षा का प्रश्न है, जहां भू-संरक्षण का प्रश्न है-स्कीम नीचे से बनकर आनी चाहिये नहीं तो लाखों रुपयों का दुरुपयोग होगा। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करता हूं कि कृषि आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल सब-प्लान से पैसे लेकर जहां सूखे एरिया हैं वहां ट्यूब वैल्स खोदें। मैं राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री से निवेदन करता हूं उन काश्तकारों के लिये नियमों में परिवर्तन करना चाहिये बल्कि राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा इसमें बड़े बड़े चैन्जेज करने चाहिये। सरकार की तरफ से निगम बनाकर सूखी जमीनों पर ट्यूब वैल्स खुदवाने चाहिये। बैंकों से पैसा लेने में किसानों को सहयोग नहीं मिलता है इसलिये राज्य सरकार को निगम बनाकर सूखी जमीनों में ट्यूब वैल्स खोदने चाहिये और रेवेन्यू के साथ ही उस ऋण की वसूली करनी चाहिये। इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा, आपके जितने ट्यूब वैल्स हैं आदिवासी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे, कारण कि छोटे छोटे किसानों को ऋण मिलने की सहूलियत नहीं है। भूमि विकास बैंक की सहूलियत आ जाती है तो छोटे छोटे किसानों को लाभ हो सकता है वरना कार्मशियल बैंक ऋण नहीं देगी। आपकी जो स्कीमें हैं, उन में परिवर्तन करना चाहिये। एक मेरा सुझाव और है आज डेढ़ हजार गैलन का टार्गेट है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई नहीं करते हैं इसलिये मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि जहां ट्यूब वैल खोदे जाते हैं उसमें तीन से पांच गैलन पानी नहीं आये तब तक सिंचाई नहीं हो सकती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हार्ड राक ज्यादा रहती है। इसलिए वहां पर ट्यूब वैल बनाये जाने का प्रावधान होना चाहिये और यह ट्यूब वैल्स वहां पर राज्य सरकार को बनाने चाहिये।

कृषि उत्पादन के लिये बिजली की आवश्यकता होती है। पंचायत समिति भुखिया को एक पाइलेट प्रोजेक्ट दिया है लेकिन वहां पर बिजली नहीं है। आजादी के 27।28 साल बाद भी वहां पर ट्राइबल एरिया में बिजली नहीं पहुंच पायी है। ट्राइबल एरिया के डवलपमेन्ट के लिए संविधान में राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिये गये हैं परन्तु वहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। राज्य सरकार भारत सरकार को लिखे ताकि उत्पादन में मदद मिले। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपको मार्फत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति भुखिया और पीपलखूंट में, जहां कि शत प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, बिजली पहुंचायी जानी चाहिये ताकि उन लोगों को सिंचाई में मदद मिल सके। इसी तरह से बिजली में कठिनाई आती है। आपने राज्य सरकार की तरफ से एक टार्गेट बना रखा है कि साल भर में अमुक-अमुक कुओं को बिजली दी जाएगी। इसलिए आर. ई. सी. स्कीम्स के अन्तर्गत जो गांव आते हैं उनको तो बिजली मिल जाती है, उनको कनेक्शन मिल जाते हैं

(श्री नाथूराम)

लेकिन जहां पर विद्युतीकरण पहले हो गया है, वहां पर कुओं को बिजली के कनेक्शन छः महीने, साल भर पहिले नहीं मिलते हैं। इसलिए इन आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रचलित नियमों में परिवर्तन करना चाहिये, जिसके लिए पहले से ही संविधान में प्रावधान है। जनहित के लिए कानून में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा एक आदिवासी क्षेत्र है इसलिए इस क्षेत्र का शीघ्रातिशीघ्र विद्युतीकरण किया जाये ताकि कृषि का उत्पादन अधिक हो सके। वहां पर आर. ई. सी. स्कीम्स हैं, वहां तो जल्दी कनेक्शन मिल गये हैं लेकिन दूसरी जगह पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। यहां पर कनेक्शन शीघ्र मिलें ऐसी व्यवस्था चाहे नियमों में परिवर्तन ही क्यों न करना पड़े, करनी चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

इसी तरह से, सभापति महोदय, अधिक उत्पादन की दृष्टि से बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों और हरिजनों को, जो भूमिहीन थे, भूमि दी गई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इतने हजार लोगों को भूमि दी गई है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके जरिए से कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के करीब 200 गांव कडाणा बांध से प्रभावित हो रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए वहां के जंगलात की जमीन दी जा रही है। इसी तरह से गांधी शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने भूमिहीनों को भूमि दी है। एक-दो-पांच बीघा तक जमीन दी गई है लेकिन हमारे जिले के आदिवासियों को, हरिजनों को, भूमिहीनों को कोई भूमि नहीं दी गई है। इसलिए कि कडाणा बांध के विस्थापितों को पुनर्वास के लिए वन विभाग से जो जमीन ट्रांसफर हुई है, वह जमीन इन लोगों को दी जा रही है और जो वहां के स्थानीय भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि आवंटित करने से वंचित किया जा रहा है क्योंकि यह जमीन कडाणा बांध के विस्थापितों के लिए रिजर्व कर दी गयी है। इसलिए मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि अगर आप बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं भूमिहीनों और गरीबों को उन्नत करना चाहते हैं तो आप तत्काल आपके तहत जिलाधीशों और पटवारियों को आदेश दें। परन्तु आपके आदेशों का वहां पर पालन नहीं हो रहा है। आज उस एरिया में हजारों लोग भूमिहीन हैं। गांधी शताब्दी वर्ष में भी भूमि नहीं दी गई। कारण कडाणा बांध से विस्थापित हुए लोगों का वहां पर पुनर्वास किया जाना है। आपने वन विभाग से जो जमीन प्राप्त की है वह आपने कडाणा पुनर्वास के लिए दे दी। स्थानीय लोगों को उसमें से दो-पांच बीघा जमीन भी नहीं दे रहे हैं। आप कडाणा बांध के विस्थापितों को मुआवजा दे रहे हैं परन्तु ये लोग भूमिहीन वहां पर बरसों से हैं। कई लोग सागड़ी प्रथा और बन्धक से अभी अभी मुक्त हुए हैं। उनके पुनर्वास पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए ····

श्री परसराम मदेरणा : मुआवजा भी दिया है और भूमि भी मुफ्त में दे रहे हैं। इसलिए कि आपने दो-तीन माइक्रोफोन यहां पर छोड़ दिये····

श्री नाथूराम : परन्तु राज्य सरकार ने इसमें जबरदस्त गलती की है। कडाणा बांध के जो विस्थापित हैं उनका पुनर्वास कमाण्ड एरिया में होना चाहिए था। यह हमारी राजस्थान सरकार की कमजोरी है कि वह गुजरात सरकार से जमीन नहीं ले सकी और वहां के भूमिहीनों को वहां की जमीन से वंचित कर के वहां जमीन पुनर्वास के लिए दे रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी भूमि दी जानी चाहिए। इस पर आपको और राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कडाणा बांध के मसले पर हमारी सरकार ने गलती की है। इस गलती को राजस्थान सरकार अभी भी सुधारे वरना आज भी दोहराता हूं कि आदिवासी अपने हकों के लिए लड़ेंगे। हमारी प्रधान मंत्री का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है वह आदिवासियों के उत्थान के लिए है। आप इन लोगों को कमांड एरिया के अन्दर जमीन क्यों नहीं देते ? कडाणा बांध के विस्थापितों को, उनके परिवारों को कमाण्ड एरिया में बसाना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे हजारों आदिवासी भूमिहीन हैं और जो जमीन जंगलात से निकाली है वह स्थानीय लोगों को देनी चाहिए और केबीनेट इसके लिए निर्णय ले नहीं तो वहां के लोग, आदिवासी लोग आन्दोलन करेंगे और इसके लिए सरकार को मजबूर करेंगे कि भूमिहीनों को भूमि दी जावे। यह जो जमीन है उसे देने से उनको इन्कार किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह जमीन कडाणा बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए है। परन्तु पहले ही वहां पर जो गरीब लोग हैं, वे भी जमीन चाहते हैं। इसलिए नियमों में परिवर्तन कर के भी इन लोगों को जमीन दी जावे....

(3.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री परसराम मदेरणा : कडाणा की सिचुएशन राजस्थान और गुजरात के बोर्डर पर है और जो कमांड एरिया है वह गुजरात में है। राजस्थान सरकार की यह मांग रही है कि यह जो ग्राउस्टीज है राजस्थान के विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के, उनको कमांड एरिया में जमीन दी जावे लेकिन यह निर्णय हो गया कि अगर कम्पेन्सेशन देते हैं तो फिर जमीन नहीं देंगे। क्योंकि हमने वहां पर पोंग डेम के ग्राउस्टीज का भी मामला वहां पर रखा था लेकिन बोर्ड में यह निर्णय ले लिया गया इसके लिए कम्पेन्सेशन ही काफी है। कम्पेन्सेशन अलग से दिया जा रहा है और फोरेस्ट से एक हजार एकड़ जमीन रिलीज कर के इनको बसाने के लिए दी जा रही है। मैं नाथूराम जी की राय से इत्तफाक करता हूं कि कडाणा बांध से प्रभावित आदिवासियों को डबल बेनिफिट मिल रहा है और वहां के जो गरीब और भूमिहीन आदिवासी हैं वे जमीन से महरूम रह गए हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी 5-6 तारीख को दिल्ली में उसमें यह डाइरेक्शन दिया है सी. एम्स को कि आयन्दा से जंगलात से और जमीन नहीं निकाली जावे। अब सी. एम्स को मिले डाइरेक्शन को मानें या न मानें, परन्तु यह सदन सुप्रीम है और यह निर्णय ले सकता है। अब यह निर्णय हो गया है कि फारेस्ट की भूमि को अलाटमेंट के लिए रिलीज नहीं किया जाय। मध्यप्रदेश को भी कहा गया है इस सम्बन्ध में कि वह जंगल

(श्री परसराम मदेरणा)

को जमीन को रिलीज नहीं करें। जंगलात की कुल मिलाकर 11% जमीन थी। अब इसमें से आगे निकालने की गुंजाइश नहीं है और यह राजस्थान की जनता के हित में भी है कि प्रकृति का बैलेन्स बना रहे और वहां की कन्डीशन, एनवायरमेंट ठीक बना रहे ताकि वर्षा के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। सबसे घने जंगल घट रहे हैं इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अब जंगलात से जमीन निकालने के लिए अधिक इन्सिस्ट नहीं करेंगे और इस विषय पर ज्यादा प्रभाव भी नहीं डालेंगे।

श्री आमालाल : माननीय सदस्य का तो यह सुझाव है कि कडाणा डेम पर इन लोगों को, वहां के कमांड एरिया में जमीन दी जावे। राज्य सरकार को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने यह मसला माही कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में बराबर रखा है यह डिमांड की है कि इन लोगों को कमांड एरिया में जमीन दी जानी चाहिये। परन्तु यह निर्णय हो गया कि कन्सेन्ट्रेशन दे रहे हैं इसलिए वहां के आउस्टीज को वहां पर जमीन नहीं दी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने इसकी पैरवी में कोई कमी नहीं रखी है।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को आप केबिनेट में रखिये और जो जमीन वन विभाग से निकाल कर कडाणा बांध के लोगों को दी जा रही है वह पहिले वहां के भूमिहीनों को मिलनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि जंगल समाप्त हों। मैं सन् 67 से इस सदन का सदस्य हूं और वनों की सुरक्षा के लिए मैंने बराबर सुझाव दिये हैं। अगर वनों की सुरक्षा नहीं होगी तो पानी नहीं बरसेगा हमारे यहां दुष्काल होने का कारण यही है कि आज हमारे यहां के जंगल खत्म हो गये हैं। हमारी योजनाओं की सुरक्षा के लिए मैं वनों की सुरक्षा चाहता हूं लेकिन वन विभाग से जो भूमि ट्रांसफर हुई है वह वहां के लोकल भूमिहीनों को भी देनी चाहिये। इसके लिये आप इस सत्र में ही निर्णय लें और जिलाधीशों को आदेश दें कि वे भूमिहीनों को भूमि दें ताकि हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हो। यह निर्णय शीघ्र होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो बड़े जंगल थे जिनमें करोड़ों की वन सम्पदा थी, वे आज खत्म हो गये हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस क्षेत्र का दौरा करें और देखें कि आज वे पहाड़ियां नंगी खड़ी हैं और ये रिजर्व जंगल थोड़े बहुत रह गये हैं। मैं यह कहूंगा कि करोड़ों की वन सम्पदा थी इन जंगलों में और आजादी के बाद ही ये जंगल खत्म हुये हैं। यह जो दुष्काल आया यह वन सम्पदा के खत्म होने के कारण ही आया और दुष्काल आने लगा तथा ही पानी बरसना भी कम हो गया।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो माही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी नदी-योजनाएं बना रहे हैं और दूसरी तरफ जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप

Page No 82

(82)

(श्री नाथूराम)

जंगलों का दौरा करके देखें, जो रिजर्व जंगल हैं, जो पहाड़ियां हैं उनको आबाद करें। मैं तो बल्कि यह कहूंगा कि जैसे गांवों के जो गंवई जंगल हैं वह तो आबाद हैं और आपके जो जंगल हैं वह बिल्कुल नंगी पहाड़ियां पड़ी हुई हैं। जहां पर छोटे-छोटे मगरे हैं और गांवई जंगल हैं तो आदिवासी उन छोटे-छोटे जंगलों की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इनकी रक्षा करेंगे तो चारा मिलेगा और हमारे मवेशियों को पालेंगे। रिजर्व जंगल वन विभाग के हैं।

इसी तरह से माही प्रोजेक्ट का 7 मई, 1960 को भारत के फाइनेन्स मंत्री मुरारजी देसाई द्वारा शिलान्यास हुआ था। आज उसको 16 साल हो गये और करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं। माही प्रोजेक्ट की हालत क्या है। अब मेन डैम का काम शुरू हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज 16 साल से माही प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। सिंचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और फाइनेन्स मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : 12 करोड़ रुपये दिये हैं वित्त मंत्री जी ने आपको।

श्री नाथूराम : उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं सिंचाई मंत्रीजी को, फाइनेन्स मंत्री जी को और केबिनेट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन 11 करोड़ रुपये वास्तविक रूप में खर्च होंगे कि नहीं होंगे इसका मुझे भय है। इस माही प्रोजेक्ट पर कभी उत्तर प्रदेश, कभी कोटा के कर्मचारियों को बुलाते हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़े के एल.डी.सी., जो यहां माही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर राजस्थान नहर और चौंत डेम पर किया गया है। कल ही मैंने सिंचाई मंत्री जी से बात की थी। छोटे छोटे आदमियों को यहां पर भेजा जा रहा है और वहां के आदमियों को यहां पर भेजा जा रहा है और लाखों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आप महरबानी करके सही बात मुझे बोलने दें।

माही प्रोजेक्ट में इतनी गड़बड़ है कि आज वहां पर लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले दिनों भी मैं कटमोशन लाया था और सदन के माननीय सदस्यों से बराबर निवेदन करता आ रहा हूं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से विशेष जांच नहीं हुई। आज वहां पर एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. और ओवरसियर अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को लाते हैं और वहां के पढ़े लिखे आदिवासी, जो कि मैट्रिक, हायर सैकेन्डरी, बी. ए. और एम. ए. हैं, मारे मारे फिरते हैं और उनको मौका नहीं दिया जाता है। उनके अपने आदमियों को वर्कचार्ज पर लगा देते हैं और बाद में उनको परमानेन्ट कर दिया जाता है। सभी जगहों पर यह गड़बड़ है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां भारत सरकार और राज्य सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वहां पर जो जानबूझ कर कर्मचारी बदमाशी करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आगे से पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। आज माही डैम को 16 साल हो गये हैं और न मालूम कितने लाख

(श्री नाथूराम)
और निकल जायेंगे। 11 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैन डैम का काम होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वह पूरा हो जाय ताकि हमारे वहां पर लोगों को उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको रिवाइज्ड करके वहां के छोटे मोटे नदी नालों पर लिफ्ट इरिगेशन बनाना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में छोटे मोटे विलेजों में तालाब पड़े हुए हैं। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ट्राइबल सब प्लान के फण्ड को रिवाइज करके लिफ्ट इरिगेशन को जल्दी से जल्दी वहां पर चालू करायेंगे और लिफ्ट इरिगेशन से पानी जायेगा तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा। आदिवासी मेहनत न करते हों ऐसे वे आदिवासी नहीं हैं। वहां के आदिवासी शराब नहीं पीते हैं। शराब क्या बीड़ी भी नहीं पीते हैं जब कि 70 परसेंट दूसरे लोग शराब पीने लगे हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : वह हाथ की बनी हुई शराब पी लेते हैं, अंग्रेजी शराब नहीं पीते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसके क्षेत्र में नहीं पीते हैं। इन्होंने वहां पर इसका बड़ा भारी मूवमेंट चला रखा है। सब हाउस के सदस्यों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्री नाथूराम : ट्राइबल एरिया बाद में घोषित हुआ है, लेकिन आदिवासियों ने पहले से ही शराब छोड़ दी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कई जगहों पर सुधार हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के अलावा किसी को टाइम नहीं है। मंत्री समाज कल्याण मंत्री जी और न फाइनेन्स मंत्रीजी को वहां पर देखने की फुरसत है। आप आदिवासी क्षेत्रों को देखें कि वहां पर कैसे सामाजिक सुधार हो रहे हैं। आप उनको स्टडी करें और प्रचार करें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माही प्रोजेक्ट पर जो रकम खर्च होती है और ट्राइबल सब-प्लान में जो पैसा है उसके लिए सरकार से निवेदन करता हूं कि कुछ फण्ड्स ट्रान्सफर करके शिक्षा में लगाना चाहिए। वहां पर व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए। आदिवासियों के लिए हर पंचायत समिति में हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए और वहां पर कालेज की व्यवस्था होना चाहिए, उच्च शिक्षा की स्टेट लेवल पर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा आदिवासी लड़के-लड़कियों को मिल सके।

इसी तरह ट्राइबल सब-प्लान में जिन आदिवासी लोगों के पास में जमीन कम है उनको जमीन ज्यादा देनी चाहिए और पशुधन ज्यादा से ज्यादा रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। आदिवासियों को भेड़ बकरी, भैंस पालने के लिए ट्राइबल सब प्लान में से अनुदान दिया जाय तो आदिवासी अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सकेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान के द्वारा आदिवासी क्षेत्र के अन्दर डेयरी फार्म खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जगह-जगह पर सिंचाई के साधन होने चाहिए तथा विद्युतीकरण, जैसे कि आर० ई० सी० की स्कीम है वह लागू करनी

Page No 84

(84)

(श्री नाथूराम)

चाहिए जिससे आदिवासियों को ज्यादा फायदा हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेन्स मन्त्री जी ने करोड़ों रुपये शिक्षा में रखे हैं। इस साल उन्होंने 200 मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। नये साल इतने सैकण्डरी स्कूल खोले गये। मैं फाइनेन्स मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा में 2 सैकेण्डरी स्कूल खोलने का भी इस साल प्रावधान नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को पढ़ने की सुविधा हो। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आदिवासी क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा अब आरंभ हो रही है। आदिवासी कन्याओं के लिए छात्रावासों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान की रकम ट्रान्सफर कर छात्रावासों की विशेष सहायता करनी चाहिए ताकि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की व्यवस्था हो। हमारे पैसे का सही उपयोग होता है तो देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का जो 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करके गरीबी मिटाने का प्रयत्न है उसमें सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन जाजं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा(फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो रोज से लगातार राजस्थान के 1976-77 का जो बजट है उसके ऊपर वाद-विवाद चल रहा है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने हमारे समक्ष यह जो बजट की प्रति रखी है इसको पढ़ने में बड़ा आनन्द आता है, लेकिन जैसी वास्तविकता हमारे प्रदेश में चाहते थे वह वास्तविकता इस बजट के अन्दर दृष्टिगत नहीं होती क्योंकि भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री प्रोग्राम हमारे देश की जनता के समक्ष रखा और उस 20 सूत्री प्रोग्राम का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कारण कमी महसूस करता है, उस कमी की पूर्ति किसी न किसी रूप में हम हमारे गरीब तबके के लोगों तक पहुंचा दें। इस दृष्टि से अगर हम बजट की तरफ दृष्टिपात करें तो उसमें बहुत संक्षिप्त चीजें जरूर हैं लेकिन विशेष रूप से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है कि गरीब तबके को वास्तविकता प्राप्त हो सके। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की अधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हैं। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहते हों लेकिन किस प्रकार से उनकी माली हालत सुधार सकते हैं। वह इस बजट में दृष्टिकोण दृष्टिगत नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जैसा कि कृषि में है, उद्योग में है, शिक्षा में है, चाहे किसी परिस्थिति में इस बजट में उस गरीब जनता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण स्वरूप जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने निवेदन किया था, जो राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति है, जो काश्तकार व्यक्ति है उसको किसी न किसी

Page No 85

85

(श्री जयकिशन लाल डोसावड़ा)

प्रकार का लाइसेंस मिल जाता है। कोई कोआपरेटिव बनाते हैं तो मालदार व्यक्ति बनाते हैं। कोई फर्म बन जाती है। मालदार व्यक्ति के लिए सहूलियत हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में गरीब जनता को राहत देना चाहते हैं तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का ढकोसला क्षेत्रीय रूप में रखना चाहते हैं यह उचित नहीं है। जो बजट में आप योजना रखी है, उसमें सम्पन्न जाति को जो सुविधा है और होती है, उसको अवरुद्ध करके जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को ही सुविधा मिले चाहे वह ब्राह्मण जाति का हो या वह किसी भी जाति का हो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो अनुसूचित जाति के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि कौन सा पाप किया है, उस जाति में जन्म लेने से जो सारी सुविधा काट दी जाती है? कोई हरिजन जाति का पढ़ा लिखा है, उसको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जायें। कोई गरीब गांव के साधारण झोंपड़े में रहता है उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिले। यह सामाजिक न्याय नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भला करना चाहते हैं तो जिनको माली हालत अच्छी है, जिनको योजना के अन्दर लाइसेंस दिया जाता है, उद्योगों में जिनको सुविधाएं और संरक्षण दिया जाता है, वह सारी की सारी गरीब जनता को दे देनी चाहिए। जिससे हम दोनों तबकों को समान रूप से सुधार सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बजट में नहीं रखी गई है। यहां बैठ कर पार्टी मीटिंग में या कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रकार के विचार रखे जायें कि वास्तव में जो दयनीय स्थिति हमारे लोगों की है, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है तो वास्तव में उनको सुविधा दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए हमारा बजट वास्तव में ऐसा है कि हमने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है। और, वास्तव में नहीं लगाये गये हैं। इसके लिए वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसी धारणाएं नहीं रखी जो माली तबका है, उसको अलग रख दें और जो बड़ा तबका बैठा है जिनके बलबूते पर कोई सरकार बनती है जिनके बलबूते पर हम यहां चुनकर आते हैं, जिनके बलबूते पर मान और सम्मान मिलता है ऐसे किसान तबके पर कर लगा दिया। सिंचाई की स्थिति को नहीं देखते हुए। गत वर्ष साढ़े 7 रु. कर दिया गया। उधर किसान जो अनाज पैदा करता है, उसका मूल्य बहुत कम होता जा रहा है। आप ही बताइये, एक तरफ सिंचाई की सुविधाओं पर कर बढ़ा दि.ा जाये उधर किसान अनाज पैदा करे। सारे देश के किसान की यही स्थिति है। उस पर दिनों दिन ऋण-भार और कर-भार बढ़ता जाये तो उसका विकास कैसे हो सकता है? मेरा निवेदन है कि उन पर कर भार लादने के साथ साथ उनको जो कृषि सम्बन्धी उपलब्ध चीजें हैं जिनके द्वारा वह खेती करते हैं उन चीजों की कीमत भी कम कर दी जाये तो यह हमारी राज्य सरकार के बलबूते की बात नहीं है। डीजल और ट्रैक्टर पार्ट्स से लेकर विभिन्न प्रकार

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

की चीजें हैं। जैसे कि साधारणतः गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहां पंपसैट को चलाकर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से अपने बाल बच्चों का पालन करते हैं। उसके साथ जो सामग्री लेते हैं वो मूल्य बहुत भारा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जब कि गत वर्ष को देखते हुए एक बोरी में एक डीजल का ढोल ले सकते थे। लेकिन आज 3-4 बोरी देकर एक डीजल का ढोल ले सकते हैं। आज सिंचाई की स्थिति क्या है। सिंचाई की सुविधा के लिए बैंक से ऋण मिले। आज सिंचाई विभाग की ओर से जहां जहां पानी की नहरें जाती हैं बन्धे से, लेकिन वहां पर रेतीले खेत होने से पानी जाने में दिक्कत होती है। वहां पर नाली पक्की होनी चाहिए। वह सिंचाई विभाग की व्यवस्था नहीं है। आज पानी वहां पर मिलना चाहिए। समय पर पानी मिले यह व्यवस्था होनी चाहिये।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गरीब तबके के ऊपर हमारी 80 प्रतिशत जनता खेत पर निर्भर है, चाहे आप किसान को समझिये, चाहे खेतिहर मजदूर को समझिये, चाहे खाती को, कुम्हार को, नाई को, हरिजन को या और दूसरों को जो कि किसान से एक-दूसरे के धन्धे से सम्बन्धित हैं, उनको सारा उनका रोजगार ही उनसे मिलता है, उनको राहत पहुंच सके इसके लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। आये दिन हम देखते हैं कि किसान के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता को अगर देखा जाय तो हम सब लोग उन्हीं की वजह से यहां पर बैठे हैं। अगर उनके मन में यह धारणा हो गई कि वोट तो लेने आ जाते हैं और हमारे लिये करते कुछ नहीं हैं, हमारी हालत और गिरती जा रही है तो फिर आप उनसे कभी नहीं कह सकोगे गांव में आकर कि भई पटेलजी, वोट तो थाने कांग्रेस ने देनो ही पड़ेगो। कोई भी, अगर ऐसी हालत रही तो उनके पास वोट के लिये नहीं जा सकेगा। आज हमारा किसान कितना परेशान है, उसके पास खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, फिर भी वह हमारी सरकार को और हमारी पार्टी को मजबूत बनाने के लिये हमको वोट देता है और फिर भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो यह कहां तक न्याय संगत बात है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को अन्तिम रूप देने से पहले वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उनको पर्याप्त रूप से कर भार से मुक्त रखा जाय तो मजदूर वर्ग को और किसान वर्ग को, इस गरीब तबके को राहत मिल सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन शिक्षा के बारे में है। हमारे प्रदेश में प्रतिदिन लोग शिक्षित तो होते जा रहे हैं लेकिन आज के विद्यार्थी को यह मालूम नहीं है कि पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात् उसको क्या काम करना है वह मेरे भविष्य को किधर ले जायगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से, मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा देने से पहले भविष्य के लिए उसको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि विद्याध्ययन करने के पश्चात् जब वह अपने गांव में जायेगा तो उसकी रोजी-रोटी

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा) का किस प्रकार से प्रबन्ध हो सकेगा। आये दिन हम यह तो सोचते रहते हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए वहां पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात् उनका जीवन-यापन किस प्रकार से होगा। आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कभी हम माउन्ट आबू पर और जहां पर ऐश करने के स्थान हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के समारोह और सेमिनार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं लेकिन नतीजा निल रहता है। देश के और प्रान्त के विद्यार्थी बड़ी भारी उत्सुकता लेकर सामने आते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे अधिकारी और हमारे नेतागण हमारे भाग्य का फैसला करने के लिये तैयार हैं और कुछ ही दिनों में अखबारों में यह पढ़ेंगे कि हमारे लिए उन्होंने इस प्रकार के फैसले किये जिनसे हमको राहत मिलेगी लेकिन सारी योजनाएं ठप हो जाती हैं और विद्यार्थी मुंह बाये खड़ा रह जाता है, वह अंधकार में पड़ जाता है कि मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं है, तो फिर कैसे हम उनके सामने अपने विचार रख सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि शिक्षा पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे उनको राहत मिले, उनके मन में आनन्द की लहर उठे कि इसके जीवन में इस प्रकार की धारणा पैदा हो जिससे हमारी शिक्षा की योजना सफल हो सके तो यह कोई वास्तविक विकास की बात होगी। साथ ही साथ में महिलाओं के सम्बन्ध में, यह महिला वर्ष है, इसलिए कुछ निवेदन करना चाहूंगा। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार किसानों के पास एक फसल समाप्त हो जाने से जीवन-यापन के लिए कोई साधन नहीं रहता ठीक उसी प्रकार से महिला वर्ग अगर शिक्षित नहीं हुआ तो हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसकी ओर हमको उच्च धारणा लेकर चलना चाहिए और उनकी शिक्षा की ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो देश का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए बजट के अन्दर पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए कि महिलाओं की शिक्षा में इतना करोड़ रुपया खर्च करेंगे और उसके अन्दर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायगी। इस तरह से प्रावधान किया जायगा, तभी हम वास्तविकता को ग्रहण करेंगे। उनको हर प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, या कोई और सुविधा हो। जिस प्रकार से हम जगह-जगह बुक-बैंक खोलते जा रहे हैं लेकिन अगर वास्तविकता को देखें तो इसका फायदा जिन जरूरतमन्द विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अधिकतर उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है जो कि साधन-सम्पन्न हैं, गरीब लड़कों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पायी है। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जो भी सुविधा हम उपलब्ध करा सकें वह कराई जाय और इस बात की बराबर जांच कराई जाय कि वास्तव में जिस तबके को हम राहत पहुंचाना चाहते हैं उन्हें वह राहत मिल रही है या नहीं। तभी हम अपने सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि बजट में दो सौ मिडिल स्कूलों का प्रावधान किया गया है। लेकिन गत चार वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए जो हायर सेकेन्डरी स्कूल तक गांव के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और गरीब वर्ग के लोग,

(श्री ब्रजकिशन लाल तोसावड़ा)

किसान वर्ग के लोग अपने बच्चों को हायर सैकिन्डरी तक पढ़ाना चाहते हैं और वह यह इच्छा करते हैं कि मेरे परिवार का एक सदस्य भी शिक्षित हो जाय और वह कम से कम हायर सैकेन्डरी तक पढ़ाई कर सके तो ऐसी हालत में वह पैसे के अभाव में शहर में उनको पढ़ने के लिए नहीं भेज पाता है, शहरों में पढ़ाई बहुत महंगी है और सबसे पहली दिक्कत तो आती है मकान की, और दूसरी सुविधायें भी नहीं मिल सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो सौ मिडिल स्कूलों के साथ, वह तो खुलनी ही चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि ऐसी स्थिति देख ली जाय कि कौनसे जिले में, कौनसी तहसील, कौनसी पंचायत समिति या कौन से कस्बे में जहां पर कि हायर सेकेन्डरी स्कूल की आवश्यकता है, इस प्रकार का सर्वेक्षण करा लिया जाना चाहिए और सर्वे कराने के पश्चात् जहां भी इस प्रकार की जरूरत हो स्कूल खोलने की, उसको तुरन्त खोलने का प्रावधान इस बजट में कर दिया जाय तो हम ग्रामीण विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकेंगे इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन करना यह भी है कि केवल लड़कों के लिये ही नहीं लड़कियों के लिये भी स्कूल खोले जाने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट को देखते हुए और हमारी राज्य सरकार भी कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करती है कि भिक्षा वृत्ति को कम किया जाय लेकिन आज तक वह कम नहीं हुई है चाहे आप कितने ही नियम क्यों न बना दो। वह हमारे समाज के लिये एक प्रकार का कोढ़ है और हम देखते हैं कि ऐसे हट्टे कट्टे जवान लोग भी आलसी बनकर केवल मात्र भिक्षा वृत्ति अपनाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार हैं उनको यह सीधा सा रास्ता मिल जाता है कि दिन भर में दस पांच आदमियों के पास जाकर कम से कम पांच रुपये कमा लेंगे, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह पैसा इकट्ठा करके कुछ रुपये कमाकर वे इस धन्धे को करने लगते हैं, यह हमारे समाज के लिए कलंक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार क्यों नहीं यह निर्णय कर ले केबिनेट की बैठक करके, कल से ही यह निर्णय ले ले कि उनकी वास्तविकता का, वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण कर लिया जाय, कुछ लोगों को फैक्टरियों में काम दिलाया जाय और जिनके हाथ पैर नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिये, जिनके पैर नहीं हैं उनके लिये हाथ से काम करने के धन्धे हों, ऐसे उद्योग धन्धे उनके लिए दे दिये जायें। आश्रम के अन्दर वहां आसानी से अपना पालन कर सकें। तो मेरा निवेदन है, इस प्रकार के कोढ़ को शांत करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है? यह भयंकर परिस्थिति है समाज के लिए। यही नहीं, बाहर से फारेनर आते हैं, बाहर के यात्री आते हैं, विदेशों के लोग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके हुए फिर भिखारी आकर खड़े हो जाते हैं। वह लोग उनकी फोटो खींचते हैं और फोटो खींच कर वहां ले जाकर जो कम में नुमाइश के तौर पर और दिखावट के रूप में नमूने के बतौर रख देते हैं–इंडियन बेगर यह सारी की सारी स्थिति वहां ले जाकर रख दी जाती है। यह कितने शर्म की बात

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

है कि हमारे यहां लोग भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन पालन करते हैं। इसके ऊपर आप रोक लगायें। इसके लिए आप कानून बना दें। यह भी निवेदन है कि इस बजट में प्राविजन जोड़ दिया जाय तो हमारे प्रान्त और समाज का भला हो सकता है···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कर।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : पांच सात मिनट !

मेरा निवेदन है कर के ऊपर, जो करों को बजट के अन्दर लगाया गया है, वह ऐसी चीज पर नहीं लगाया गया है जो समाज के लिये कोढ़ है, जैसे शराब के मामले में 15 से 20 पर्सेन्ट कर दिया। इसको मैं कर नहीं मानता। इसके ऊपर चौगुना या बीस गुना या पच्चीस गुना होना चाहिए, तब जाकर शराब बन्द होगी। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान में इसको चालू रखने से बरबाद कौन होता है ? गरीब तबके के लोग, वह व्यक्ति जिनमें समझ नहीं है, वह व्यक्ति जिनको समाज के द्वारा छोटी जातियों का माना गया है, वह व्यक्ति जिन्हें सरकार ने नियम बना कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की श्रेणी में रख दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के शिक्षित न होने के कारण, उनके सामने रोजगार की स्थिति न होने के कारण दिमाग में गम पैदा होता है, परिवार के लोगों को भूख से तड़फड़ाते हुए देख कर गम होता है, वह उन्हें सहन नहीं होता और गम को भुलाने के लिए वह शराब पीते हैं, शुरू में कभी कभी पीते हैं, फिर उनको शराब पीने की आदत पड़ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता, वित्त मंत्री जी को कौनसा स्वाद है शराब का। हम बार बार निवेदन करते हैं, हजार गुना कितना ही शराब पर कर लगा दीजिये जिससे गरीब तबके के लोग बच सकें, वह अपनी माली हालत को सुधार सकें। लेकिन बार बार यह कहते हैं, नहीं, इससे बजट में बड़ा भारी घाटा होगा। इस घाटे को आप दूसरे ढंग से पूरा कर लीजिए, क्यों गरीब तबके को बरबाद कर रहे हैं···

श्री शंकर सिंह रावत : वित्त मंत्रीजी को आय का स्वाद है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : ऐसा स्वाद है, तो आपका भाई, आपका बेटा शराबी बन जाय, फिर देखिए, कितनी बदतर हालत होती है। आप उसको अलग कर दीजिये, उसके परिवार को अलग कर दीजिये और उसको शराबी बना दीजिए। फिर हालत देखिए। हम गरीब तबके से पैदा होकर आये हैं, उस जाति से बन कर आये हैं जिनके लोगों ने राजपूतों के साथ बैठ कर और डट कर शराब पी है, और बरबाद हुए हैं। वह बरबाद हुए हैं। उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। गरीब तबके के पीछे क्यों पड़े हुए हैं— मेरी समझ में नहीं आता। आप शराब को बिल्कुल बन्द कर दीजिए, शराब को अवरुद्ध कर दीजिए, जिससे गरीब जातियों और गरीब समाज के लोग हैं वह शराब से बच सकें। शराब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स, भयंकर टैक्स लगाया जाय जिससे गरीब जनता के पास पैसा नहीं होने के कारणवश वह शराब नहीं पीये और वह मौत के कुए में गिरने से, गरीबी में जाने से बच जाय। जो

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

मालदार व्यक्ति पीते हैं, उनको पीने दीजिए। वह टैक्स चुकायेंगे और पीयेंगे। मेरा निवेदन है कि बजट में इस प्रकार का प्राविजन रखा जाय और टैक्स बढ़ाया जाय। इस शराब को बिल्कुल बन्द करके खत्म कर दीजिए और टैक्स दूसरी तरफ लगा दीजिए। हमारी जनता उसे सहन कर लेगी और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी। इसलिए वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है, मैंने बार बार निवेदन किया है, मैं चार साल से निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन आप बार बार कहते हैं, नहीं, बजट में घाटा पड़ेगा। आप घाटे की दूसरी तरफ से पूर्ति कर लीजिये—यह मेरा निवेदन है।

दूसरा निवेदन है, राज्य सरकार ने बीस सूत्री प्रोग्राम भारत सरकार ने रखा है, और 21 सूत्री प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने जोड़ दिया, एक सूत्री प्रोग्राम इकानामी कट का। इकानामी कट किस ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। आज मैं जयपुर जिले की बात कह रहा हूं, जयपुर जिले की जो तहसील में उनके अन्दर जो चालीस पचास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जगह खाली पड़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इकानामी कट केवल गरीबों के ऊपर है? यदि चालीस व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी पद के ऊपर लगा दिया जाय तो चालीस व्यक्तियों के चालीस परिवारों का पालन हो जाएगा। जब कि आर. ए. एस., आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. टी. एस.— ऐसी बड़ी बड़ी उच्च पोस्ट हैं, उनके ऊपर इकानामी कट कुछ नहीं है। आये दिन उसकी परीक्षायें होती हैं, अपाइन्टमेन्ट होते हैं लोग सर्विस भी करते हैं। आई. ए. एस., आर. ए. एस. उच्च श्रेणी की पोस्ट हैं उनके ऊपर वही व्यक्ति आ सकते हैं जिनके पास खूब पैसा है, खूब स्टडी करने के साधन उपलब्ध हैं लेकिन उनके ऊपर इकानामी कट नहीं है लेकिन साधारण व्यक्ति, हरिजन जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, गरीब तबके के व्यक्ति केवल मात्र इसलिए बैठे हैं कि चतुर्थ श्रेणी की जगह मुझे मिल जाय तो अपने परिवार का पालन कर सकूं। उस पर इकानामी कट है, आज बेचारे कई व्यक्ति जो वास्तव में....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिए। पांच मिनिट हो गये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पांच मिनिट !

श्री उपाध्यक्ष : वह भी हो गये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : महरबानी करके

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी).

मना करेंगे तो बैठ जाऊंगा। पांच मिनिट केवल।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है आप अपने शब्दों पर पाबन्द नहीं हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : वास्तव में मना करेंगे तो बैठ जाऊंगा !

श्री चन्दनमल बैद : वास्तव में मना कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पच्चीस मिनिट हो गये। पांच मिनिट में क्या होगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पांच मिनिट और दे दें।

Page No 91

(97) (91)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

प्राज एल. डी. सी. हैं, वह एल.डी.सी. प्रत्येक विभाग में लगा रखे हैं। इकानामी कट उन पर है। प्राप बड़े बड़े प्राई.ए.एस. को हटायें, जो प्राई.ए.एस. बीस बीस साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको हटा देवें। गरीब तबके के लोग बड़ी परेशानी उठा कर, सिर पर ऋण उठा कर एल.डी.सी. बने हैं। अब उनका क्या कसूर है कि उनको इकानामी कट में हटाया जा रहा है। एल.डी.सी. तीन सौ चार सौ पाने वाला होता है, उसमें इकानामी की जा रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसी छोटी पोस्ट पर इकानामी कट मत कीजिए। बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन पर इकानामी कट कीजिए जिससे साधारण जनता को लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए वित मंत्री प्रौर मुख्य मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना यह करता हूं कि प्राप सारी स्थिति को सम्भालिये, गरीबों को जिस प्रकार राहत मिल सके उस प्रकार की योजना बनाइये, ऐसा बजट बनाइये, इस प्रकार के नियम निकालिये। प्राज गरीब तबके के व्यक्ति पीड़ित हैं, प्रौर प्रमीर तबके के व्यक्ति प्राज भी प्रफुल्लित होते जा रहे हैं। यह समाजवाद की नीति, यह बीस सूत्री कार्यक्रम की नीति मैं वास्तविक रूप से नहीं समझता। इस प्रकार की स्थिति बना दी जाय जिससे गरीब तबके के व्यक्ति को वास्तव में राहत मिले यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है, पशुपालन की भयंकर परिस्थिति हमारे सामने है। विभिन्न प्रकार की बीमारी उनके प्रन्दर होती है। प्राप विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज ठीक ढंग से करें एक तरफ पशु धन योजना बना कर प्रजनन शक्ति से विभिन्न प्रकार की नस्ल पैदा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि उनके चरने के साधन हैं, चरागाह जितने भी हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो पशु धन का उत्थान करना चाहते हैं तो कम से कम उनके घूमने, फिरने के लिए, जहां वह स्वतंत्र गति से थोड़ा फिर सकें, चर सकें–ऐसे साधनों में कटौती मत कीजिये। अगर कटौती कर देंगे, चरागाह खत्म कर देंगे तो पशु धन बच नहीं सकता है। मेरा निवेदन है कि पशु धन की गणना को वास्तविक रूप से देखें। माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चरागाह खत्म कर देने चाहिए, चरागाह प्लाट कर देने चाहिए। प्राप चरागाह में से कितनों को प्लाट करेंगे, दो व्यक्तियों को तीन चार बीघा प्लाट कर देंगे। वह न इधर के रहेंगे प्रौर न उधर के रहेंगे प्रौर प्राप का पशु धन, नस्ल पशु धन की समाप्ति हो जायगी। इसलिए दोनों प्रकार की योजना बना कर, जिससे पशु धन भी खत्म न हो, प्रौर गरीब तबका जो है, उसको भी उसी प्रकार की राहत मिल सके, प्राप क्रियान्वित करें तभी जा कर सब चीज हो सकती हैं। प्रापको चरागाह का सर्वेक्षण कराना चाहिए प्रौर पशु की गणना करनी चाहिए प्रौर फिर देखें कि पशुप्रों के लिए कितने चरागाह की प्रावश्यकता है। उतनी जमीन छोड़ देनी चाहिए। प्रौर प्रगर एक्सेस चरागाह हैं जरूरत से तो जो ज्यादा चरागाह हैं उनको प्लाट कर देना चाहिए लेकिन वह सारी स्थिति हमारे सामने हैं। प्राज स्थिति यह है कि सीलिंग के प्रन्दर जो जमीन निकली है उसकी वास्तविकता बताता हूं गत माह में जब हम फागी प्रौर चाकसू में एलाट कर रहे थे तो कई लोगों ने इटे

Page No 92

(९२)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

आर्डर लेकर हाथ में दिया है। जमीनें पड़ी हैं, इसलिए या तो सीलिंग कानून ही खतम कर दें जिससे सीलिंग की जमीन ही नहीं निकले और यदि वास्तव में गरीबों को जमीन देना चाहते हैं तो स्टे लाते हैं, इस स्टे को भी खत्म कर देना चाहिए। न राजस्व विभाग से, न राज्य सरकार से, न जिलाधीश से स्टे मिलना चाहिए। तब तो हम सही रूप से गरीबों को राहत दे सकते हैं अन्यथा ऐसी स्थिति हमारे सामने भी आई है कि जैसे ही हम एलाट करने के लिए फार्म लेकर दस्तखत करने लगे, तो कहीं कलेक्टर से, कहीं राजस्व मंडल से स्टे आ गया। इस प्रकार गरीब के गले में फांसी डालते जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सीलिंग की जमीन निकाल दी, दूसरी तरफ स्टे आर्डर निकाल कर कार्यवाही रोक दी।

हमारे पास काफी जमीन है। मैंने पहले भी राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि हर गांव में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति किस गांव का रहने वाला है कौन व्यक्ति, दूसरे शहर में रहने वाला है, उसे कितनी जमीन कहां एलाटेड है, सूची बनाई जाए। कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में कोई बम्बई में रहता है और जमीन एलाट करवा रखी है दूसरे गांव में, ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनका एलाटमेंट कैंसिल करें। उससे चरागाह की स्थिति नहीं बिगड़ेगी, इससे भूमिहीनों के लिए एक्सेस भूमि निकल जाएगी। जो बड़े उद्योगपति राजा महाराजा, बड़े बड़े मालदार लखपति जिन्होंने जमीन किसी के नाम से एलाट करवा रखी है और उसका उपभोग स्वयं करते हैं...

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): यह सुझाव फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था कि आप मुझे सूची दे दें जो बम्बई, कलकत्ता-दूसरे स्थानों के लोग हैं जिनको भूमि एलाट हुई है लेकिन आपने अभी तक सूची नहीं भेजी है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं लिस्ट दे दूंगा मैं अपनी तहसील की सूची तो दे दूंगा लेकिन पूरे राजस्थान में इस प्रकार का सर्वेक्षण करवाया जाए तो हमारी समस्या पूरी मिट सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इस प्रकार की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें। कई मुद्दे रह गए हैं, क्योंकि आप जल्दी कर रहे हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : आपने 5 मिनट के बजाय 12-15 मिनिट ले लिए, उसके बाद यू गुड रेस्पेक्ट दी ऑर्डर ऑफ दी चेयर।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आई एग्री। चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि कुछ पॉईंटस रह गए हैं, बताना चाहता था लेकिन समय के अभाव में केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार इन सारी चीजों पर पुनः ध्यान दें और जहां जहां कमी है वह दूर करे और गरीबों को वास्तव में तन-मन और धन से यदि राहत देना चाहते हैं तो फिर ऊपरी मन से काम करने से उनका भला नहीं होगा, वह तो इसी ढंग से पिसता जाएगा। मेरा पुनः निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनको पूर्ण रूप से मानते हुए यदि गरीब जनता को राहत देने की कोशिश करें तो मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (उग) : उपाध्यक्षजी, बजट जो वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वास्तव में फरवरी और मार्च का महीना, बजट का महीना चल रहा है सारे देश में। इस बजट के आने से पहले कई राज्यों ने बजट प्रस्तुत किए और उनको देखने से मालूम होता था कि शायद यह भी घाटे का बजट आ रहा है। घाटे का बजट एक अच्छा बजट होता है लेकिन कब होता है? जब विकास की गति तेज हो या ऐसी योजनायें हों जहां पर बढ़ती हुई विकास की गति, बढ़ती हुई सामान्य चीजों पर ध्यान दिया जाता हो। ऐसी चीजों से अगर उपलब्धियां मिलती हैं तो वह बजट घाटे का अच्छा माना जाता है। बजट पर रंग अच्छा है और आपकी कार का रंग भी इसी प्रकार का है। इसलिए उससे जुड़ता हुआ है। मैं इस बजट को क्या संज्ञा दूं? यह बड़ा मुश्किल हो गया है कि बजट के अन्दर कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं उनको अधिक एक्सप्लाइट किया जाना चाहिए। जहां उन्होंने 18.64 लाख रुपए का घाटा दिखाया है और आगे उम्मीद की है कि धीरे धीरे इस घाटे को मीट करके आने वाले वर्षों में स्थिति ठीक करेंगे। पर मैं उनका ध्यान आर्थिक अध्ययन 1976–77 की ओर दिलाता हूं जहां पर नान-टैक्स रेवेन्यू बताई गई हैं। वन सम्पदा 1973–74 में थी 5.49, 1974–75 में 21.89, 1976–77 में 529.30। इसी प्रकार उद्योग और वन खनन में जो प्रगति 1976–77 में बताई है वह है 2072.35। मैं इसकी सराहना करता हूं लेकिन जो नान-टैक्स रेवेन्यू है, इसको अगर अधिक से अधिक एक्सप्लाइट किया जाता तो टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं हो पाती। मेरा मानना है कि जहां हमें झामरकोटरा माइन्स में वृद्धि मिली है लेकिन गत सत्र में एक प्रश्न आया था, उसके बाद हमारी रेट्स गिरी हैं। हमें उसका मूल्य जितना मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया, उसका क्या कारण है? इसकी एक मार्ग दर्शिका बननी चाहिए थी जिससे हम समझते कि ज्यादा से ज्यादा नान-टैक्स रेवेन्यू वसूल होगी और वह टैक्स हमें मिलते। इससे हम वर्तमान बजट को अधिक संतुलित बना सकते थे। वित्त मंत्री ने इस बजट को बड़े अच्छे ढंग से पेश किया है। आप संतुलित आधार पर पेश करना चाहते थे। जैसा गत 3–4 वर्षों में पेश किया है। यह एक फार्मल बजट है लेकिन इसमें मुझे कोई खास उपलब्धि नजर नहीं आती। आपने जो बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है उसमें केन्द्रीय करों को अतिरिक्त आय के रूप में, ब्याज की आय, ऋणों की बेहतर वसूली, अनुत्पादक और अनावश्यक खर्चों में कटौती तथा 18.64 करोड़ के घाटे की पूर्ति भी मंत्रीजी इन करों से करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है वह स्वागत योग्य तो होता है लेकिन इसमें कम से कम यह जरूर ध्यान रखा जाना चाहिये कि इसमें उत्पादन के लिये कोई आपने कार्यक्रम बनाये हैं या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने अपना बजट प्रस्तुत किया उन्होंने भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें

(श्री ओंकार लाल चौहान)

उत्पादन की ओर विशेष रूप से ध्यान रखा उन्होंने 70 प्रतिशत बजट का खर्चा उत्पादन कार्यक्रमों के लिये रखा। इसलिए अगर हमारी राज्य सरकार भी अगर टैक्सेशन लगाते वक्त उत्पादन की ओर ध्यान देती तो मैं समझता हूं कि इससे लोगों को कुछ राहत मिलती और आपकी भी उपलब्धि होती और मैं उसे एक सन्तुलित बजट मानता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वार्षिक योजना 138 करोड़ रुपये की बतायी है और उसके साथ साथ खर्चा करने की जो व्यवस्था बतायी है उसमें 32 करोड़ 82 लाख रुपये की कमी है और उसको पूरा करने के लिये अगर वित्त मंत्री महोदय एग्रीकल्चर को जो बिलकुल अछूता छोड़ा वह अगर अछूता नहीं छोड़ते तो मैं समझता हूं कि वह आपकी एक उपलब्धि होती। क्योंकि आज एग्रीकल्चर पर जो बड़े जागीरदार और इजारेदार हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्कम होती है खेती पर टैक्स नहीं लगने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिये वित्त मन्त्रीजी को उस पर टैक्स लगाने चाहिये थे जिससे काफी आपको धन की प्राप्ति होती। उपाध्यक्ष महोदय, आज एग्रीकल्चरिस्टों पर छूट होने के कारण उन में काफी काला धन इकत्रित हो रहा है इसलिये मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री ओंकार लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, उस टैक्स के लगाने से आपको राहत मिलती और आप कुछ आगे कर सकने की क्षमता में होते। उपाध्यक्ष महोदय, बजट देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट एन्टी-पीजेन्ट्री बजट पेश हुआ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखें तो हमें पता लगेगा कि किसान काफी दबा हुआ है लेकिन आपने उस पर दबे हुए पर और 8 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगा दिये है। इसकी ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आज बेचारा किसान अनाज के भाव गिर जाने से और उसकी माली हालत खराब होने की वजह से टैक्स देने की क्षमता में नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर हम जब यह देखते है कि मंत्री महोदय ने एक विशेष वर्ग को जिस पर कि टेक्स लगाने चाहिये था उनको छूट दी है। आज रेफ्रीजरेटर्स कूलर्स एयरकन्डीशनर्स वगैरहा कुछ ऐसी लग्जरी आर्टिकल्स हैं जिनको कि अमीर वर्ग के लोग काम में लेते हैं उन्हें आपने टैक्स में छूट दी है। जबकि मैं समझता हूं उनको राहत देने की जरूरत नहीं है इससे हमारे मन में थोड़ी एन्जाआईटी पैदा होती है आखिर यह कैसा समाजवादी बजट आपने पेश किया है। उस छूट देने में आपने यह दलील दी कि लोग बाहर से बह चीजें खरीद लाते हैं जिससे हमें आय में कमी होती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एअर कन्डीशनर्स कूलर वगैरहा कौन काम में लेते हैं यह वह लोग हैं जो एफूलेन्ट वर्ग के लोग हैं या उसको वहां काम में लाया जाता है जैसे कि आपके सरकारी आफिसेज में या बड़ी बड़ी बिजनेस मैनेजमेन्ट्स के आफिसेज में, आम जनता तो इसको खरीद नहीं सकती। आज हमारे देश की 80–85 प्रतिशत जनता ऐसी है जो गांवों में रहती है। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं उनको

(श्री ओंकार लाल चोहान)
एयर कन्डीशनर्स तो क्या रोशनी भी उपलब्ध बिजली की नहीं होती है। मेरे समझ में नहीं आता वित्त मन्त्री महोदय ने किस प्रकार यह बजट बनाया है जिसे वह सन्तुलित बजट मानते हैं मैं तो समझता हूं कि इन्होंने एक तरह से इनडाईरेक्ट रूप से समाज के धनी वर्ग को लाभ पहुंचाया है। माननीय मंत्रीजी अपने आपको काफी प्रगतिशील मानते हैं और सदन में भी प्रगतिशील माने जाते हैं। लेकिन इस बजट को पेश करके उन्होंने केपिटलिस्ट व्यू दिया है और मैं इसे एक तरह से रीएक्शनरी बजट मानता हूं। क्योंकि इन्होंने समाजवादी बजट बताते हुए इनडाईरेक्टली धनी लोगों को रियायत दी है। आप उस वर्ग को छूट देना चाहते हैं जो सम्पन्न है उन्हें छूट देना नाजाजिब है और उसे किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग जो कांग्रेस में घुसे हुए हैं वह लोग कौन कौन हैं उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि वह लोग इसमें हावी हुए दिखाई देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अजीबो गरीब ढंग से टैक्स लगाया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने बजट में कहा है कि एन्टरटेनमेण्ट टैक्स लगाये काफी समय हो गया और यह कहा है कि वर्ष भर सिनेमा घरों के सामने भारी भीड़ नजर आती है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोगों में और मनोरंजन टैक्स देने की क्षमता है। मेरी समझ में नहीं आता है।

आप कहते हैं उस भीड़ को देखकर ही कि टैक्सेशन में बढ़ोतरी होनी चाहिये लेकिन आपने यह पता लगाने की शायद कोशिश नहीं की वित्त मन्त्रीजी यह भीड़ किन लोगों की है उसमें आपने शायद देखा नहीं होगा कि ज्यादातर तो मजदूर होंगे जो दिन भर फैक्ट्री में काम करके थके मान्दे आते हैं थोड़ा सा रिक्रिएशन करने के लिये आने होंगे या आते हैं बेचारे बाबू लोग दोनों ही गरीब तबके के लोग हैं जो छोटे लोग हैं...

एक माननीय सदस्य : आप भी छोटे लोग हैं क्या ?

श्री ओंकारलाल चोहान : जी हां, मैं भी छोटा हूं। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रीजी भी सिनेमा देखते हैं उनको भी सिनेमा का शौक है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको इन्होंने सिनेमा दिखाया या आपने इनको सिनेमा दिखाया।

श्री ओंकारलाल चोहान : मंत्री साहब मेरी कहां क्षमता है इनको सिनेमा दिखाने की इन्होंने तो मुझे सिनेमा दिखाया। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स वित्त मंत्रीजी ने लगाया है वह बेचारे गरीब तबके पर लगाया है यह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गरीब तबके के लोग तो पहले ही कर भार से दबे हुए हैं और उनमें अब टैक्स देने की ताकत नहीं है। उन्हें एग्जेम्पशन देना चाहिये। मैं यहां पर यह कहना भी उचित समझूंगा कि अभी जो गुजरात सरकार ने बजट पेश किया है हालांकि वहां विपक्षी सरकार है फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कई कई राहत बजट में दीं। इसलिये मेरा निवेदन है

(श्री ओंकार लाल चौहान)

कि अगर गरीब तबके के लोगों को आप राहत देते हैं उचित है, वहां भी घाटे का बजट पेश हुआ है। इसलिये वित्त मंत्री जी एक तरफ तो समाजवादी कार्यक्रमों की क्रियान्विति की बातें करते हैं दूसरी तरफ गरीबों पर टैक्स लगाते हैं यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें। और यह जो एक रुपये के ऊपर तो 60 प्रतिशत मनोरन्जन कर और उसके आगे और सरचार्ज कर दिया है और दूसरी तरफ आपने एयरकन्डीशनर्स और कूलर पर छूट दी है··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोपाल जोशी ने रसगुल्ले खिलवाये हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : वह तो हमने भी खाये हैं दो दफे। लेकिन वित्त मंत्रीजी आपको देखना होगा कि किस प्रकार के टैक्स लगाना राजस्थान की जनता के हितों में होगा मैं समझता हूं कि आपने जो यह गरीब तबके पर टैक्स लगाया है उसमें आपने इनके साथ ज्यादती की है। आज आम आदमी कर भार से दुखी है और आपने उसे करों से और दुखी कर दिया। इसी प्रकार जो रजिस्ट्रेशन वगैरहा पर आपने जो टैक्सेज बढ़ाये हैं उसका भार भी गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर जगह एफीडेविट्स पेश होते हैं इसमें आपको बता दूं खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उन्हें एफीडेविट्स पेश करना पड़ता है यह एक प्रक्रिया बनी हुई है तो उसके लिये उन्हें स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी या वह लोग जो कि कोर्ट्स वगैरहा में जाते हैं उन्हें भी स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी यह कौन लोग हैं यह वह जो कि गरीब हैं कमजोर तबका है जो कि पहले ही कर भार से दबा है आपने जो टैक्सेज वगैरह लगाया है न्याय संगत नहीं लगाया है। क्योंकि एफीडेविट्स जो कि ज्यादातर या तो नोटरीज से लेते हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है या कोर्ट्स में पेश करने पड़ते हैं इसमें आपने जो शुल्क बढ़ाया है उससे गरीब तबके पर एक जबरदस्त मार पड़ी है। मैं समझता हूं कि गरीब तबके की कमर टूट जायेगी इसलिये मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर वे विशेष तौर से ध्यान दें और मैं समझता हूं कि वह ध्यान देंगे भी। इसके साथ साथ आपने जो शराब पर टैक्स लगाया है यह उचित है। राज्य सरकार को शराबबन्दी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि अगर राज्य सरकार शराबबन्दी नहीं करके सिर्फ शराब के टैक्स से अगर विकास करना चाहती है तो यह नहीं हो सकता और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि किसी भी देश की इकोनोमी अगर शराब पर निर्भर करती है तो वह सरकार ठीक नहीं कही जा सकती किसी भी सूरत से आपकी इकोनोमी का बेस शराब है। शराब की अधिक से अधिक दुकानें खुलें और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो, क्या यही आपकी इकोनॉमी का आधार है? क्या आपके बजट इकोनॉमी का यही आधार है? इधर हम देखते हैं कि शराब पीकर जा रहा है कोई और उधर शराबबन्दी की बात करके चले जाते हैं। इधर प्रधान मंत्रीजी से बात

(श्री ओंकारलाल चौहान)

होती है। उनसे परामर्श होता है। पूरी तसल्ली दी जाती है। वह भी कोशिश करती है इस बात के लिये कि शराबबन्दी होनी चाहिये और यह खत्म होना चाहिये धीरे धीरे आप भी चाहते हैं। लेकिन शराब का जो प्रोविजन है वह भयंकर है। आपने 20 परसेंट किया हो या 25 परसेंट किया हो। यह तो कुछ भी नहीं। यदि आप इसको ही अपनी इकोनॉमी का बेस मान कर चलते हैं देशी शराब भी तो आपकी रेवेन्यू का एक सोर्स है। यदि रेवेन्यू का सोर्स है तो 20 परसेन्ट, 25 परसेन्ट कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 35 परसेन्ट, 40 परसेन्ट भी कर दें तो भी कम है। फिर भी यह कर देते और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो लगाया उसकी आवश्यकता नहीं रहती। इस पर अधिक कर लगाते तो मनोरंजन कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। किसी सेठ को, किसी साहूकार को, किसी फ्यूडल लैंडलोर्ड को, किसी जमींदार को शराब पीना है, रंगरेलियां करनी हैं तो टैक्स दे अधिक। एक रुपये की बोतल को पचास रुपये में खरीदे। इसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे भी गरीब जो शराब पीना चाहें, जो बिगड़ना चाहें उनको बिगड़ने दें। इसमें क्या आपत्ति है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गम गलत करते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : सुमित्राजी, बड़े लोगों का काम है···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी को शराब पीने वालों के साथ सहानुभूति है। लेकिन सिनेमा देखने वालों के साथ सहानुभूति नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय,···

श्री उपाध्यक्ष : Two wise men think alike.

श्री चन्दनमल बैद : There is one man and one woman; and they never think alike.

श्री ओंकारलाल चौहान : आपको यह सोचना है, मैं समझता हूं, आपकी यह परिधि में है। माननीय वित्त मंत्रीजी की दृष्टि व्यापक है। काफी दिनों तक मैं उनके संपर्क में रहा हूं। किन बन्दिशों में, किन परिधियों में रह कर, किन कारणों से, मैं समझ नहीं पाया, आपने यह बजट प्रावधान इस प्रकार के पेश किये हैं? कुछ कमी महसूस हुई। इतना ही कह सकता हूं इस सम्बन्ध में। कंटरी लिकर को छोड़ा? वाट फौर कंटरी लिकर में महुआ वगैरा होता है। उस कंटरी लिकर को भी नहीं छोड़ना चाहिये था। शराब को ही इकोनॉमी का बेस मान कर चलते हैं तो कंटरी लिकर को नहीं छोड़ना चाहिये था। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत दूरदर्शिता से, बहुत ईमानदारी से सोचते हैं तो शराब से ही आपकी सारी इनकम पूरी हो जाती है। गांजा, भंग, चरस, शराब देशी, परदेशी। टिकिट भी आ गया इनके परव्यू में। इस प्रकार की बातें आप बजट में रखते हैं इससे जनता का हित नहीं होगा। इससे जनता का अहित ही होगा। जिस प्रकार से रिसोर्सेज को टैप करना चाहिये उस प्रकार से टैप नहीं हुए बल्कि छूट मिल गयी है।

Page No 98

(98)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीया प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण देश को बनाने का है। इसके साथ साथ यह भी बात आती है कि कमजोर आदमियों को कुछ सहायता मिले। उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त न हो सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की समय बढ़ाने की अनुमति है जब तक माननीय सदस्य का भाषण समाप्त न हो जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त न कर लें।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीया प्रधान मंत्री ने देश में इमरजेन्सी लागू करने के बाद देश की परिस्थितियों को समझा और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को रखा। इसलिये रखा कि जिससे गरीब लोगों को, गरीब तबके को राहत मिले और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। माननीय वित्त मंत्रीजी बातों में लग गये हैं। मेरा सारा भाषण ही निकल जायगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Hon'ble Finance Minister. Attention please.

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, चम्बल कमान्ड एरिया, इनमें जो भूमि है उसकी इर्रीगेशन रेट्स को डबल कर दिया है। इसका क्या कारण है? 17 हजार, उसका 34 हजार कर दिया। सोर्सेज चाहिये, तो आपने एट ए टाइम बढ़ाया इससे गरीब की कमर टूटेगी। आप उनको क्यों खत्म करना चाहते हैं वित्त मंत्रीजी, यह मेरी समझ में नहीं आया। हमारे देश की प्रधान मंत्री के सपनों को साकार करना चाहते हैं या उनके विपरीत चलना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी क्या करना चाहते हैं? इस ओर ध्यान दें। इस ओर आप माइन्यूटली सोचें जिससे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ओंकारलाल चौहान : लोगों को राहत मिले। डबल न करें रेट्स।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स भी बढ़ा दीं। पांच पैसे से छः कर दिये। बढ़ा दीजिये। आपने दरें तो बढ़ा दीं। इकोनोमी का बेस आपका एग्रीकल्चर है और इर्रिगेशन। एक तरफ आप राहत देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप रेट्स बढ़ाते हैं, डबल करते हैं। आपने क्यों नहीं एजुकेशन सेस लगाया? आपकी जिन पंचायतों ने लगाया उनका कितना वसूल होता है? निल के बराबर। आप पंचायत समितियों के जरिये से करते तो काफी तादाद में पैसा आता। आप ज्यादा

(श्री ओंकार लालचौहान)

से ज्यादा मोबिलाइज करते। 232 पंचायत समितियां हैं राजस्थान में उनकी मार्फत आप लाते। लेकिन आपने इर्रीगेशन रेट्स बढा दी? किन पर इसका असर पड़ेगा? किसान की हालत क्या है? शुरू में निवेदन किया हाउस के सामने कि प्राईसेस में कमी हुई है, भावों में गिरावट आई है 1974-75 के मुकाबले 1975-76 और 1976-77 में और उनमें इतनी गिरावट आई कि किसानों का कोई हिसाब ही नहीं रहा और वह असंतुलित हो गए। कोई सन्तुलन बैठता ही नहीं है। मैं जब जानता कि आप ट्रैक्टर पर टैक्स कम करते आप देखें हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब में कितनी संख्या में ट्रैक्टर हैं और वह अन्न उत्पादन में हमसे कितना आगे है। उसका कारण यही है कि वहां खेती के काम आने वाली चीजों पर टैक्स बहुत ही कम है क्योंकि ट्रेक्टर एग्रीकल्चर की जान है। पंजाब में और आपके यहां ट्रैक्टर के टैक्स में फर्क है। यहां टैक्स कम होना चाहिए था। साथ ही आपने कह दिया कि लग्जरी गुड्स हैं उन पर से टैक्स कम किया जाता है। अपने लाइट डीजल आइल पर कुछ कम किया है लेकिन क्रूड आइल जो कि अधिकतर किसानों के काम आता है उस पर कोई रियायत नहीं दी। फर्टीलाइजर और यूरिया 60 के हिसाब से 110 आ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप एग्रीकल्चर इकानॉमी को बेस मान कर चल रहे हैं तो क्यों नहीं फर्टीलाइजर की कीमतों में कमी की गयी? क्या कारण है कि प्राईवेट सेक्टर के अन्दर व पब्लिक सेक्टर के अन्दर फर्टीलाइजर बनता है उसकी कीमतें ज्यादा हैं? क्या आप उस पर अंकुश नहीं लगा सकते?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय को ऐसे रिसोर्सेस टैप करने चाहिए था, किये भी हैं आपने, इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन फिर भी उसमें खामियां रही हैं। अगर आप इन रिसोर्सेस को देखते, लाइट डीजल आइल को आपने किया वह भी बहुत कम ऊंट के मुंह में, जीरा है। जैसा माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्राजी कह रही थीं कि 2 बोरी अनाज में एक ढोल डीजल का आता है। वहां एक बोरी में आता था और अब 3 बोरी में आता है। आप कम्पेरेटिव स्टडी करके देखें और अगर आप कम्पेरेटिव स्टडी करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इन सब आंकड़ों को देखते हुए इस बात पर आयेंगे कि वास्तव में यह जन हित में आपने नहीं किया। इसकी ओर आपने पूरा ध्यान देने कोशिश नहीं की। इस सब को देखने से मालुम होता है कि इसमें कहीं न कहीं कमी है। एग्रीकल्चर गुड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए था और पूरा का पूरा इसका फायदा उठाना चाहिए था।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ कि आपने लोगों को हाउस साइट्स दी हैं। आयुर्वेद औषधालय खोलने की भी आपने बात कही है, अच्छी बात है। कुछ रुपया एजूकेशन की की तरफ भी बढ़ाया है, महिलाओं की तरफ इससे ज्यादा होना चाहिए था लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आपने जो टैक्सेशन की पालिसी को अपनाया उसके अनुरूप वह नहीं बैठता है। उसके प्रपोरशन में आप देखें तो वह नहीं बैठता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री ओंकार लाल चौहान)

महोदय, कि उसके साथ ही साथ 1974-75 या 1975-76 में आपने हाउसिंग लोन दिये हैं वह मैं समझता हूं कि बहुत कम हैं। आपने हाउस साइट्स अलाट किये, ठीक है लेकिन उसका क्या परसेन्टेज है ? मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उससे हमारे किसानों को कितना फायदा हुआ है। आप आंकड़े देखें सोसाइटीज के। मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो विभाग का प्रगति-विवरण दिया गया है उसमें अधिक से अधिक सीकर में ज्यादा हुआ है सीकर के लोगो को मिले इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। ठीक है लेकिन···

श्री चन्दन मल बैद : झुंझुनूं में भी काफी है।

श्री ओंकारलाल चौहान : सीकर में 72.98 दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सीकर में ही है, झुंझुनूं में नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : सबसे ज्यादा सीकर में 72.98 दिया है। यह भी इम्बेलेन्स के रूप में आता है। मैं समझता हूं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। रीजनल इम्बेलेन्स नहीं होना चाहिए। सारा राजस्थान एक प्रदेश है उसमें चाहे झुंझुनूं हो, चाहे सीकर हो, कोटा हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो सब को एक तरफ से देख कर चलना चाहिए था। इसमें थोड़ी उपेक्षा की गयी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में सबसे कम है।

श्री ओंकारलाल चौहान : हां, बाड़मेर में बहुत कम है। डेजर्ट एरिया में मरु विकास बोर्ड खोल दिया है। उसमें क्या हुआ। ? उसमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर ही खर्चा है। उसका कभी विकास की दृष्टि से लाभ नहीं हुआ है। सिर्फ दो तीन चिलिंग प्लान्ट डाल दिये गये हैं। इस दृष्टि से सक्षम होना चाहिए कि कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं की गई हो जिससे असन्तोष हो। आर. ई. एस. में हम देखते हैं कि जयपुर नम्बर वन पर आता है। नम्बर2 उदयपुर है, नम्बर तीन बांसवाड़ा है और 4 नम्बर पर अजमेर आता है। कैसे यह अलाटमेन्ट होता है, पता नहीं। मैं सिर्फ रेफरेन्स के बतौर ही निवेदन कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इम्बेलेन्सेस हैं इनको भी सरकार को दूर करना चाहिए। यह इम्बेलेन्सेस ऐसे होते हैं कि जिससे आपस में भावना बनती है और इन्टीग्रेट एप्रोच हमारे राजस्थान के प्रति नहीं रहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आना चाहूंगा काफी समय होता जाता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जहां इन्होंने अच्छे काम किये हैं उनकी मैं तारीफ भी करता हूं। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ काम अच्छे भी किये हैं लेकिन तारीफ से ज्यादा मैं यह कहूंगा कि आपने मजदूरों की कमर तोड़ी है, किसानों की कमर तोड़ी है और उन सबकों की कमर तोड़ी है जिससे राजस्थान ग्रसित रहेगा कम से कम साल भर तो। आगे का पता नहीं लेकिन कम से कम इस साल तो ग्रसित रहेगा। लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी जो आपने बजट पेश किया है उसके लिए आपको

(श्री. ओंकार लाल चौहान)

कभी दुआयें नहीं मिलेंगी। यही निवेदन कर सकता हूं। इसलिए इस बजट को मैं एन्टी-पीजेन्ट बजट मानकर चलता हूं। आप जैसे कड़क हैं, जितने स्ट्रेट होकर आप चलते हैं जितना आपका मस्तिष्क विशाल है और ललाट चौड़ा है हम जानते थे कि बजट भी इसी प्रकार का आयेगा। और ऐसा ही तो आप का बजट अच्छा होता। लेकिन हुआ इसके विपरीत है। मैं सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। यह अफसोस जाहिर करता हूं। इस प्रकार का बजट न्यायसंगत बजट नहीं है और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में और किसी भी ढंग से और किसी भी वर्ग के आधार पर यह न्यायसंगत बजट नहीं कहा जा सकता। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 11 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.10 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 11 मार्च, 1976 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(102)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्र. सं. 20 की सूची)

सीलिंग कानून के अन्तर्गत जिलेवार प्राप्त भूमि का विवरण

(एकड़ों में)

नाम जिला		क्षेत्रफल जिसको अधिग्रहण करने के आदेश दिये जा चुके	क्षेत्रफल जिसका वास्तविक कब्जा लिया गया
1.	अजमेर	12775	5797
2.	अलवर	2587	299
3.	बांसवाड़ा	1442	1432
4.	बाड़मेर	49086	31989
5.	भरतपुर	1831	1014
6.	भीलवाड़ा	36126	19475
7.	बीकानेर	92755	81720
8.	बूंदी	25262	14882
9.	चित्तौड़गढ़	9051	5030
10.	चूरू	2264	1691
11.	डूंगरपुर	21647	1742
12.	गंगानगर	28487	5157
13.	जयपुर	36086	15085
14.	जैसलमेर	75093	62021
15.	जालौर	35226	21767
16.	झालावाड़	2954	874
17.	झुंझुनू	933	882
18.	जोधपुर	29216	15635
19.	कोटा	13327	1653
20.	नागौर	3399	2016
21.	पाली	30988	19202
22.	सवाई माधोपुर	8863	6828
23.	सीकर	1400	1299
24.	सिरोही	8480	6935
25.	टौंक	14710	17595
26.	उदयपुर	13480	6767
	योग:–	569468	352779

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 24 की सूची)

बकाया टैक्स वसूली के संबंध में ग्राम पंचायात लालसोट द्वारा समय समय पर की गई कार्यवाही का विवरण।

पत्र	क्र. सं.	दिनांक	नाम अधिकारी।यूनियन अध्यक्ष।बस मालिक
1	2	3	4
नोटिस	630	4–9–66	श्री ज्ञानचन्द सिन्धी इन्चार्ज प्रेसीडेन्ट, लाल सोट सवाई माधोपुर व कोथून रूट।
"	631	"	श्री बृजकिशोर शर्मा द्वारा कैलाश भाई भट्ट प्रेसीडेन्ट, जयपुर सवाई माधोपुर रूट मुख्यालय, जयपुर।
"	632	"	श्री पन्नालाल प्रेसीडेन्ट, जयपुर–गंगापुर रूट दौसा–गंगापुर मोटर यूनियन, दौसा।
"	633	"	श्री कन्हैयालाल यादव प्रेसीडेन्ट, दौसा–गंगापुर मोटर यूनियन, दौसा।
"	644	"	श्री सुगनचन्द शर्मा प्रेसीडेन्ट, दौसा–वौंली रूट, दौसा।
"	56	4–6–68	श्री एजेन्ट दौसा–गंगापुर रूट, दौसा–वौंली, जयपुर–सवाई माधोपुर, जयपुर धोलपुर, लालसोट–माधोपुर एवं लालसोट कोथून तथा लालसोट, जयपुर।
"	201	19–11–74	श्री हरीशंकर पारासर एजेण्ट, दौसा–गंगापुर, लालसोट, टूडू, लालसोट–सपोटरा, लालसोट–गंगापुर, लालसोट–वांदी-कुई, लालसोट–वरसी।
"	निल	15–6–95	अध्यक्ष, दौसा–गंगापुर बस यूनियन, दौसा।
"	29	19–6–70	अध्यक्ष, दौसा–गंगापुर बस ओपरेटर यूनियन, दौसा।
	22	13–5–70	श्री चेयरमैन साहब, आर. टी. ए., जयपुर।
	32	4–5–75	अध्यक्ष, जयपुर–सवाई माधोपुर बस यूनियन, जयपुर।
"	33	"	अध्यक्ष, जयपुर–धोलपुर बस यूनियन, जयपुर।
"	108	3–8–75	श्री रीजनल ट्रान्सपोर्ट अधिकारी, ट्रान्सपोर्ट विभाग, जयपुर।

(104)

1	2	3	4
नोटिस	294	28–2–76	श्री सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, जयपुर ।
,,	110	3–8–75	श्री पुलिस अधीक्षक, जयपुर ।
,,	111	,,	श्री उप जिला अधिकारीजी, दौसा ।
,,	112	,,	श्री एस. एच. ओ., लालसोट ।
,,	113	,,	श्री पीरूमल अध्यक्ष, दौसा–गंगापुर बस यूनियन, जयपुर ।
,,	114	,,	श्री वीरेन्द्र पारीख, अध्यक्ष, जयपुर–धौलपुर बस यूनियन, जयपुर ।
,,	162	23–9–75	श्री उप जिला अधिकारी, दौसा ।
,,	108	3–8–75	श्री जिला दण्डनायक (जिलाधीश), जयपुर ।
,,	161	23–9–75	श्री जिलाधीश महोदय, जयपुर ।
,,	278	31–1–76	,, ,, ,,
,,	281	6–2–76	,, ,, ,,
,,	282	28–2–76	,, ,, ,,
,,	294	,,	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर ।

जिलाधीश द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

पत्र संख्या	दिनांक	विवरण
371	3–12–75	ग्राम पंचायत, लालसोट को वसूली की कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
पा/आडिट/370	,,	निदेशक, परिवहन विभाग, जयपुर को वसूली हेतु लिखा गया ।